संपादकीय

'अंडरडॉग' असणे आणि राहणे!

आपल्या समाजाला 'नायक' आवडतात. ज्यांच्या मार्गात हजार अडचणी येतात, शेकडो लोक त्यांना त्रास देतात, छळतात, अपमान करतात, पै-पैसाठी त्यांना पदोपदी संघर्ष करावा लागतो, डोळ्यांतले पाणी पुसून काळजातली आग जिवंत ठेवावी लागते, असे नायक किंवा नायिका. मग एक दिवस ते जिंकतात आणि छळणारा समाजच त्यांना डोक्यावर घेऊन नाचू लागतो. ज्यांना छळले, त्यांच्या यशाचा गुलाल आपल्याच अंगावर पडल्याच्या भ्रमात पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न करायला मोकळा होतो. आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ची कहाणी तरी काय वेगळी आहे? या कहाणीचे नायक आहेत भारतातल्या खेड्यापाड्यात, लहान शहरात जन्मलेले, वाढलेले, रक्ताचे पाणी करून खेळण्याची आणि देशासाठी पदक जिंकण्याची आग जिवंत ठेवणारे खेळाडू. काहींनी गेल्या स्पर्धेतील आपल्या पदकांचा रंग बदलण्याची सरस कामगिरी केली, काहींनी सोनेरी ना सही रूपेरी आणि ताम्रवर्णीय पदक आणले. २१ सुवर्ण, २७ रौप्य आणि ३७ कांस्य अशी ८५ पदके यंदा भारताने घरी आणली. २०२२ च्या (स्पर्धा २०२३ मध्ये झाली होती.) आशियाई स्पर्धेत भारताला २८ सुवर्णपदकांसह एकूण १०७ पदके मिळाली होती. म्हणजे वास्तविक भारताची कामगिरी घसरली. मात्र, खेळातले यश असे कोरड्या आकडेवारीत मोजणे आपल्या देशात उचित नव्हे. मैदानावर जे घडते ते जग पाहते, मैदानाबाहेर जे घडते ते कुणाला दिसते का आणि त्यावर व्यवस्था म्हणून काम केले जाते का, हा खरा प्रश्न आहे. त्या प्रश्नाचे उत्तर जसे क्रिकेटने शोधले तसे बाकी खेळांना आणि त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या धुरिणांना सापडले तर उत्तम. मात्र, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची तयारी अन्य खेळांत कमीच पडली. विशेषतः टेनिस, शूटिंग (पिस्तूल आणि रायफल), फेन्सिंग, रोइंग, स्क्वॉश या खेळांकडून यंदा फार अपेक्षा होत्या, त्यात कामगिरी अगदी जेमतेम किंवा निराशाजनक झाली. त्याहून वाईट म्हणजे काही खेळाडूंनी, विशेषतः ॲथलेटिक्स स्पर्धेत ऐनवेळी माघार घेतली किंवा काहींनी स्पर्धेत भाग घेऊन स्पर्धा पूर्ण केलीच नाही. हे असे का? अपयश येणे, स्पर्धेत खराब कामगिरी होणे हे समजू शकते; पण स्पर्धेतून ऐनवेळी माघार घेणे किंवा स्पर्धा पूर्णच न करणे याची सरकार पातळीवर चौकशी होणे गरजेचे आहे. खेळाडू फिट नव्हते, तर जपानपर्यंत पोहोचले कसे, याचे उत्तर ॲथलेटिक्स फेडरेशनने दिले पाहिजे. या स्पर्धेत अजून एक गोष्ट दिसली, डेडलाइन जवळ आली की 'टार्गेट' पूर्ण करण्याची भारतीय मानसिकता. पहिले काही दिवस अगदी सुस्त गेल्यावर २ आणि ३ ऑक्टोबरला पदकांची लड फुटली आणि पदकतालिकेत आपण चौथा नंबर टिकवू शकलो. पण, आपले खेळाडू आजही आंतरराष्ट्रीय दबाव हाताळू शकण्यात कमी पडतात, हे या स्पर्धेने ठळकपणे समोर आणलेच. त्यासाठी खेळाडूंची मानसिकता बदलली पाहिजे. त्यादृष्टीने त्यांची तयारी करवून घेतली पाहिजे आणि 'हरलेला' सामना 'जिंकायचा' कसा याचे प्रशिक्षण आणि अनुभवही या खेळाडूंना मिळायला हवा. तसे झाले तर चित्र नक्कीच बदलू शकेल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळत असतानाही आर्थिक चणचण ही आपल्या खेळाडूंची कायमची समस्या आहे. अर्थात, असे असतानाही जगाने आपल्या खेळाडूंची जिद्द आणि दर्जाही पाहिला. भारताने ४३ महिला आणि ३४ पुरुष असे ७७ खेळाडूंचे पथक पाठविले होते. महिलांची कामगिरी जास्त सरस ठरली. महिलांनी व्यक्तिगत आणि सांघिक मिळून ११ सुवर्ण आणि मिश्र प्रकारात तीन सुवर्णपदके आणली. हॉकी महिला संघाने तर ४४ वर्षांचा दुष्काळ संपवीत सुवर्ण जिंकले. क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, ४ बाय ४०० रिले, बॉक्सिंग, तिरंदाजी यातले महिलांचे यश हेच सांगते की- महिला संघ ही आता 'साइड स्टोरी' राहिलेली नाही. काही महिला संघांनी थेट २०२८ लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिक पात्रता गाठली. लवलीना ते कुमकुम या मुलींनी सगळ्या अडथळ्यांवर मात करीत यश खेचून आणले. मात्र, आताशा त्यांच्या कामगिरीपेक्षा त्यांचे हाल आणि वेदना कंटेंट म्हणून विकण्यात समाजमाध्यमांसह मुख्य माध्यमांनाही जास्त रस आहे. या जिद्दी खेळाडूंचे निखळ यश साजरे करणे आणि त्यांच्या मागून येणाऱ्या तरुण मुली आणि मुलांसाठीही उत्तम व्यवस्था उभारून यशाच्या वाटा मोकळ्या करणे ही खरी गरज आहे. त्यासाठी गुणवान खेळाडूंना संपूर्ण आर्थिक आणि कौशल्याधारित पाठिंबा मिळाला पाहिजे. या दिशेने पावले पडली नाहीत, तर जेवढी पदके आणता आली त्यातच आनंद मानत राहावा लागेल आणि 'अंडरडॉग' असूनही यशाचे झेंडे लावल्याच्या कौतुकातच अडकून राहावे लागेल. हे कधीतरी थांबले पाहिजे. किती दिवस अंडरडॉग बनून राहणार?

हे काळे डाग मुळात पडतातच का?

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी इतर आयुक्तांचे म्हणणे का ऐकून घेतले नाही? उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांमुळे देश अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे.

डॉ. विजय दर्डा
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

गेल्या काही दिवसांत अनेकांनी मला फोन करून निवडणूक आयोगात नेमके काय सुरू आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त यांच्यातील मतभेदांच्या ज्या बातम्या येत आहेत, त्यामागचे सत्य काय आहे? मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी का जोर धरते आहे? ते राजीनामा देतील का?

- या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे गुंतागुंतीची आहेत आणि हा गुंता उलगडणे सोपे नाही.

आपण पांढरे कपडे घालतो तेव्हा त्यावरचा डाग सहज दिसेल हे आपल्याला माहिती असते. म्हणून तर काळे डाग पडू नयेत यासाठी शक्य तितकी काळजी घ्यावी लागते. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. त्याच्यावर काळे डाग दिसत असतील, तर देशाने अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. लोकशाहीमध्ये निवडणुकांची विश्वासार्हता ही सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट आहे. निवडणुका विश्वासार्ह 'असाव्या' लागतात आणि त्या तशा आहेत, हे 'दिसावे'ही लागते. पारदर्शकतेला बाधा आणणारे कोणतेही पाऊल हे लोकशाहीला हानी पोहोचविते.

टी. एन. शेषन यांच्या आधी 'मुख्य निवडणूक आयुक्त' नावाचे काही पद असते, हे देशातील बहुसंख्यांना माहितीही नव्हते. या पदाची ताकद, अधिकार आणि प्रतिष्ठा किती मोठी आहे हे प्रथम टी. एन. शेषन यांनी दाखवून दिले.

एखादी समर्पित व्यक्ती एखाद्या पदावर विराजमान होते, तेव्हाच त्या पदाची ताकद प्रत्यक्ष कृतीमध्ये उतरते. महाराष्ट्रातील अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचेच उदाहरण घ्या. ते जिथे कुठे जातात, तिथे ते पदच चर्चेत येते. त्यांच्या येण्यापूर्वी अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे किती अधिकार आहेत, याची किती लोकांना कल्पना होती?

निवडणूक आयोगाकडे अथांग अधिकार आहेत. निवडणूक आयुक्तांना हटविण्यासाठीही संसदेचीच शक्ती लागते. निवडणुकीच्या काळात मुख्य सचिवांपासून ते अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंतच्या बदल्यांचे आदेश निवडणूक आयोग देऊ शकतो. उमेदवारी अर्ज फेटाळू शकतो. राजकीय पक्षांची मान्यताही रद्द करू शकतो; पण याचा अर्थ असा नाही की, आयोगात अधिकारावर असलेल्यांनी बेलगाम वर्तन करावे. या अधिकारालाही उत्तरदायित्वाचे कोंदण असते.

आयोगाला काही नव्या तरतुदी करायच्या असतील तर त्यासाठीचा सर्वोच्च अधिकार संसदेकडे आहे. संसदेतून जो कायदा मंजूर झाला आहे, त्याच्याशी कोणालाही छेडछाड करता येणार नाही. नव्या मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी असलेल्या फॉर्म क्रमांक ६ मध्ये काही अतिरिक्त तरतुदी करण्यात आल्या. त्याचा निश्चितच कोट्यवधी तरुणांवर परिणाम झाला

असेल. ज्यांच्या आई-वडिलांची नावे यापूर्वीच्या मतदार यादीत नाहीत, असे अनेक तरुण मतदार असू शकतात. ग्रामीण भारतात तर हे अगदी सहजच शक्य आहे.

पूर्वी राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते एखाद्याचे नाव मतदार यादीत आहे की नाही, याची काळजी घेत असत. नाव नसेल तर ते त्या व्यक्तीला अक्षरशः पकडून घेऊन जात आणि नाव नोंदवून घेत. तरीही अनेकांची नावे मतदार यादीतून सुटत असत. वस्तुतः मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ असली पाहिजे. वर्तमान निवडणूक आयोगाने या विरोधात वर्तन केले. दोन्ही निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी या तरतुदीला विरोध केला होता. मात्र, ज्ञानेश कुमार यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही.

टी. एन. शेषन यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी तत्कालीन सरकारने दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली होती. शेषन यांनी त्यांना डावलले. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ते सर्वोच्च न्यायालयातही गेले. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन्ही निवडणूक आयुक्त निर्णय प्रक्रियेत समान आहेत.

या पार्श्वभूमीवर सध्या निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत नेमके काय सुरू आहे, याबद्दल साशंकता आहे. राजकीय पक्ष आपापल्या सोयीने या सगळ्याची व्याख्या करण्याचा प्रयत्न करणार, पण सामान्य नागरिक अस्वस्थ आहेत, हे मात्र खरे.

ज्यांनी या लोकांना या पदांवर बसविले, त्यांनाच या लोकांनी अडचणीत आणले आहे. पदावर बसविणाऱ्यांनी 'तुम्ही हे करा' किंवा 'तुम्ही ते करा' असे सांगितले नसेल. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप वेगळे, माझा मुद्दा वेगळा आहे!

कॅप्टन स्मित ! आम्हाला तुमचा अभिमान आहे!

भारतीय वैमानिक कॅप्टन स्मित मच्छार यांनी दुबईहून तेल अवीवला जाणाऱ्या फ्लायदुबईच्या विमानात सहवैमानिकाने केलेल्या हल्ल्यात जखमी होऊनही १८० प्रवाशांचे प्राण वाचविले. त्यांच्या या अद्भुत धैर्याला सलाम! त्यांनी केवळ प्रवाशांचे प्राण वाचविले नाहीत, तर भारताची मानही उंचावली आहे. सहवैमानिकाच्या हल्ल्यात गंभीररीत्या जखमी झाल्यानंतर ते कॉकपिटचा दरवाजा उघडू शकले नसते आणि काही अनर्थ घडला असता, तर लगोलग संशयाचे धुके पसरले असते. भारतीय वैमानिकांच्या विश्वासार्हतेवरही शंका घेतली गेली असती.

- पण, मला एक प्रश्न पडतो. सहवैमानिक ओमानचा नागरिक होता. ओमानच्या नागरिकांसाठी तेल अवीव बंद असताना त्या देशातील वैमानिकाला तर तेल अवीवकडे जाणाऱ्या मार्गावरच्या विमानात सहवैमानिकाची जबाबदारी मुळात मिळालीच कशी?

- काहीतरी पाणी मुरते आहे, हे नक्की. काय, ते खणून काढले गेले पाहिजे!

vijaydarda@lokmat.com
डॉ. विजय दर्डा यांचे समग्र लेखन वाचण्यासाठी स्कॅन करा :

अन्वयार्थ

'स्मार्ट'फोनचा वैताग पुरे, आता 'डम्ब' फोनकडे वळूया!

डम्ब फोन, लँडलाइन, डायरी लिहिणं ... डिजिटल जगण्याला नकार देऊन लोकांना स्वतःचा वेळ, लक्ष आणि मानसिक शांतता पुन्हा मिळवायची आहे !

साधना शंकर
लेखिका, केंद्रीय राजस्व सेवेतील निवृत्त अधिकारी

एखादी जुनी सीरियल किंवा सिनेमा बघताना त्यातली माणसं लँडलाइन फोन वापरताना आणि स्मार्टफोनशिवाय जगताना दिसतात. ते आयुष्य किती साधं आणि शांत वाटतं. सध्या वयाच्या साठीत असलेल्या आपल्यापैकी अनेकांनी ते दिवस प्रत्यक्ष अनुभवले आहेत. पुढे स्मार्टफोन आणि वेगवान तंत्रज्ञानाने आपल्या आयुष्याला अक्षरशः वेढून टाकलं. फोन हा आज आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा अविभाज्य सोबती झाला आहे आणि आपल्या अनेक निर्णयांवर अल्गोरिदम्सचं नियंत्रण आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रभावाखाली जगणाऱ्या जगाला डिजिटल आयुष्याचे ताणेबाणे आधीच जाणवू लागले आणि डिजिटल जगाला पडलेल्या अनेक तड्यांमधून ॲनालॉग जगण्याची गरज पुन्हा जाणवू लागली आहे.

दिवसाचे कित्येक तास न संपणारं स्क्रोलिंग, सतत लक्ष वेधून घेणारी कितीतरी ॲप्स, गोपनीयतेवर होणारं अतिक्रमण आणि आपला फोन आपल्या सतत मागावर आहे अशी भावना अशा अनेक कारणांमुळे लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होऊ लागले. त्यातून ॲनालॉग युगातील वस्तूंनी पुन्हा माणसांची दारं वाजवायला सुरुवात केली आहे. 'डम्ब फोन' किंवा साधे फिचर्स असलेला फोन जगभरात अनपेक्षितपणे पुन्हा लोकप्रिय होतो आहे. विशेषतः डिजिटल थकवा जाणवणाऱ्या शहरी भागांमध्ये, जेन झी आणि मिलेनियल पिढीत! स्मार्टफोन आल्यावर डम्ब फोन पूर्णपणे नाहीसा झाला नाही. लहान शहरं, ग्रामीण भाग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल क्षेत्रांत तो वापरात राहिलाच. तो स्वस्त होता, त्याची बॅटरी टिकाऊ होती, फोन मजबूत होता आणि कॉल, 'एसएमएस'सारख्या मूलभूत गरजा सहज पूर्ण करत होता. गेल्या काही वर्षांत मात्र शहरांमध्येही डम्ब फोनला असलेली मागणी वाढताना दिसते आहे. विशेषतः तरुणांमध्ये या फोनला असलेल्या मागणीची अनेक कारणं सांगितली

जातात. त्यातील मुख्य कारण म्हणजे 'डिजिटल डिटॉक्स', स्वतःचा वेळ आणि लक्ष पुन्हा थाऱ्यावर आणण्याच्या इच्छेतून, सतत जोडले राहण्याच्या ताणातून मुक्तता आणि मानसिक शांतता मिळवण्यासाठी लोक जाणीवपूर्वक हा बदल स्वीकारत आहेत. डेटाच्या गोपनीयतेची चिंता आणि आपला डिजिटल फूटप्रिंट कमी करण्याची गरज हेही महत्त्वाचे घटक आहेत. डम्ब फोनमध्ये सतत तुमच्यावर लक्ष ठेवणारी ॲप्स नसतात आणि तो तुमच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्षही ठेवत नाही.

डम्ब फोन्सच्या बरोबरीनेच अनेक ठिकाणी केव्हाच कालबाह्य होऊन गेलेली लँडलाइनही पुन्हा वापरात येऊ लागली आहे. कारणं साधारण तीच आहेत. प्रत्यक्ष आणि खराखुरा मनापासून होणारा संवाद आणि आहे त्या क्षणात रसरसून जगण्याचा प्रयत्न म्हणून याकडे बघता येईल. बाजारपेठ आणि मोबाइल कंपन्याही आता या वाढत्या ट्रेंडला प्रतिसाद आणि प्रोत्साहन देत आहेत. नव्या डम्ब फोनमध्ये व्हॉट्सॲप, यूपीआय आणि व्हिडीओ कॉलिंगसारख्या सुविधा देण्यात येत आहेत. अनेक कंपन्या आता हे नव्या प्रकारचे 'मिनिमलिस्ट डम्ब फोन' तयार करत आहेत. काही अहवालांनुसार, २०२६ पर्यंत भारतात तब्बल २२ कोटी लोकांनी डम्ब फोनकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. २०२४ मध्ये या बाजारपेठेची किंमत जवळपास २.३ अब्ज डॉलर्स एवढी होती आणि ती सतत वाढत आहे. विविध गरजांनुसार निवडण्यासाठी आता अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. काही स्टार्ट-ॲप्ससुद्धा आता खास गरजांना अनुरूप डम्ब फोन तयार करत आहेत.

पूर्वी ॲनालॉग गोष्टींच्या पुनरागमनामागे जेन झी आणि मिलेनियल्सचा 'नॉस्टॅल्जिया' म्हणजे जुन्या काळाची ओढ हे कारण मानलं जात असे; पण आता डम्ब फोन असो, लँडलाइन असो, डायरी लिहिणं असो किंवा आजीच्या काळातील छंद जोपासणं असो, डिजिटल जगण्यातील ताणतणावाविरोधात एक मूक विरोध दिसतो. स्वतःचा वेळ, लक्ष आणि मानसिक शांतता पुन्हा मिळवण्याचा सजग प्रयत्नही त्यात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं अतिक्रमण पुढे या सगळ्याला किती आणि कसं आव्हान देईल हे पाहायचं.

sadhna99@hotmail.com

जगभर

मृत्यूची इंजेक्शन्स देऊनही ती जिवंत; घोरत होती!

आजकाल काही देशांत फाशी किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा देणं बंद केलं आहे, तर बहुतांश देशांत अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत मृत्युदंड देण्याचा पर्याय स्वीकारला जातो. मात्र, आज विज्ञान इतकं पुढे गेलं आहे की मृत्युदंड देतानाही त्या गुन्हेगाराला कमीतकमी वेदना व्हाव्यात किंवा होऊच नयेत आणि शांतपणे, पण 'निश्चित' मृत्यू त्याला यावा.. अशा प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जातात.

अमेरिकेत मात्र नुकतीच एक आश्चर्यकारक घटना घडली, ज्याची जगभरात चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेत एका महिला कैद्याला गंभीर गुन्ह्यासाठी मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली होती. बुधवारी तिला मृत्यूची दोन इंजेक्शन्स देण्यात आली. मात्र, ही दोन्ही इंजेक्शन्स दिल्यानंतरही तिचा मृत्यू तर झाला नाहीच, तिच्या हृदयाची धडधड अखंड सुरू होती, तिला झोपही लागली आणि ती चक्क मोठमोठ्यानं घोरत होती! या अनपेक्षित घटनेनंतर तिची मृत्यूची शिक्षा तूर्तास टाळण्यात आली आहे.

ही घटना अमेरिकेतील टेनेसी राज्यात घडली. क्रिस्टा गेल पाइक या महिलेला १९९५ मध्ये हत्येच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं होतं. त्यानंतर एक वर्षानं तिला मृत्यूची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र, मृत्यूच्या इंजेक्शनची मात्रा न चालल्यानं ही महिला बचावली!

मृत्यूचं इंजेक्शन देताना नेमकं काय घडलं, याचा घटनाक्रमही सध्या खूप चर्चेत आहे. रात्री ७ वाजून २७ मिनिटांनी क्रिस्टाला स्ट्रेचरला बांधण्यात आलं होतं. ती शुद्धीत होती. त्यानंतर तिला पहिलं इंजेक्शन देण्यात आलं. रात्री ८ वाजून २६ मिनिटांनी तिला पेंटोबार्बिटल या औषधाचं दुसरं इंजेक्शन देण्यात आलं. त्यावेळी ती चक्क झोपेत होती. रात्री ८ वाजून ५३ मिनिटांनी तिचा मायक्रोफोन बंद करण्यात आला आणि मृत्यूच्या प्रक्रियेचे साक्षीदार असलेल्या व्यक्तींना बाहेर जाण्यास सांगण्यात आलं. यानंतर

क्रिस्टाच्या वकिलांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची याचिका दाखल करून मृत्यूची प्रक्रिया त्वरित थांबवण्याची मागणी केली.

विष शरीरात गेल्यानंतरही व्यक्ती जिवंत राहण्याची अमेरिकेतील ही पहिलीच घटना आहे.

यापूर्वी अमेरिकेत सात प्रकरणांमध्ये मृत्यूचं इंजेक्शन दिल्यानंतरही संबंधित व्यक्ती जिवंत राहिली होती. मात्र, त्या घटनांमध्ये प्राणघातक औषध शिरेत देताना वैद्यकीय पथकाला अडचणी आल्या होत्या. त्यामुळे इंजेक्शनची प्रक्रियाच अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण झाली नव्हती.

टेनेसीच्या नियमांनुसार, पहिलं इंजेक्शन दिल्यानंतर कैद्याचा मृत्यू झाला नाही तर दुसरं इंजेक्शन दिलं जातं. मात्र, त्यानंतरही व्यक्ती जिवंत राहिली तर पुढे काय करायचं, याबाबत नियमांमध्ये स्पष्ट तरतूद नाही.

क्रिस्टाला १९९५ मध्ये तिची १९ वर्षांची सहाध्यायी कोलीन स्लेमर हिच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं होतं. जानेवारी १९९५ मध्ये तिचा तत्कालीन प्रियकर तादारिल शिप आणि आणखी एका मित्रानं स्लेमरला टेनेसी विद्यापीठाच्या परिसरातील जंगलात बोलावलं होतं. तिघांनी धारदार वस्तूनं तिच्यावर हल्ला केला. गुन्हा घडला तेव्हा क्रिस्टा १८ वर्षांची होती, तर तिचा प्रियकर शिप १७ वर्षांचा होता. शिप अल्पवयीन असल्यामुळे त्याला मृत्युदंडाऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. टेनेसीमध्ये दोनशे वर्षांनंतर महिला कैद्याला प्रथमच मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र या घटनेनंतर आता यावर्षी दिल्या जाणाऱ्या इतर सर्व मृत्यूच्या शिक्षांना तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे.

करनीती

टॅक्स ऑडिटला २१ दिवसांची मुदतवाढ

अर्जुन (काल्पनिक पात्र): कृष्णा, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चे टॅक्स ऑडिट ३० सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण करण्यासाठी करदात्यांची धावपळ सुरू होती. आता ही मुदत वाढली आहे का?

कृष्ण (काल्पनिक पात्र): होय अर्जुना! सीबीडीटीने २१ दिवसांची अतिरिक्त मुदत दिली आहे. आता टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट २१ ऑक्टोबर आणि प्राप्तिकर विवरणपत्र २१ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत दाखल करता येईल.

अर्जुन : या दिलाशाचा लाभ नेमका कोणाला मिळेल?

कृष्ण : ज्यांची खाती ऑडिट होणे बंधनकारक असल्याने ज्यांच्या रिटर्नची मुदत ३१ ऑक्टोबर होती, उदा. रु. ३ कोटी उलाढाल असलेले व्यापारी यात येतात, कारण त्यांची उलाढाल रु. १ कोटीपेक्षा जास्त आहे (रोख जमा व रोख देयके प्रत्येकी एकूण रकमेच्या ५% च्या आत असल्यास ही मर्यादा रु. १० कोटी आहे). रु. ५० लाखांपेक्षा जास्त व्यावसायिक प्राप्ती असलेलेदेखील यात येतात. तसेच ऑडिट होणाऱ्या कंपन्या, भागीदारी फर्म्स व LLP, अशा फर्म्सचे कार्यरत भागीदार, ऑडिट होणारे ट्रस्ट आणि कलम 44AD अंतर्गत प्रिझम्प्टिव्ह दरापेक्षा कमी नफा दाखवणारे छोटे व्यापारीही यात समाविष्ट आहेत. मात्र कलम 92E अंतर्गत येणारी ट्रान्सफर प्रायसिंगची प्रकरणे या मुदतवाढीत नाहीत. पगारदार, पेन्शनधारक किंवा ऑडिट लागू नसलेले छोटे व्यापारी यांची मुदत आधीच संपली आहे. त्यांनी अद्याप रिटर्न भरले नसल्यास लेट फी भरून रिटर्न लवकरात लवकर भरावे.

- **उमेश शर्मा,** चार्टर्ड अकाउंटंट

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

विशेष

पोस्ट कार्ड पुन्हा परतलंय.. तरुणाई जोडतेय जिव्हाळ्याचा नवा पूल!

पूर्वी पत्र हा अनेकांसाठी हृदयस्पर्शी ठेवा होता. डिजिटल युगानं हे माध्यम संपवलं; पण तेच आधुनिक युग या जुन्या माध्यमाला पुनर्जन्म देतं आहे..

पोस्ट कार्ड, आंतरदेशीय पत्र, टपाल.. आपल्या आई-वडिलांच्या काळात संवादाचा हा अतिशय महत्त्वाचा दुवा होता. एकमेकांच्या ख्यालीखुशालीसाठी तर हा एकमेव मार्ग होता. शहरात शिकायला गेलेला मुलगा, नोकरीनिमित्त बाहेरगावी असलेला नवरा, बाप, भाऊ., लग्न होऊन सासरी गेलेली लाडकी बहीण, परगावी असलेले आप्तस्वकीय, आपले जवळचे मित्र-मैत्रिणी.. यांच्याशी संवाद साधायचा, माहितीची देवाणघेवाण करायची तर पत्राशिवाय दुसरा उत्तम पर्यायही नव्हता. भावनेनं ओथंबलेल्या या पत्रांची

त्यामुळेच मोठ्या आतुरतेनं वाट पाहिली जायची. दारावरून पोस्टमन गेला की त्याला आवर्जुन विचारलं जायचं, दादा, आज आमचं काही टपाल आहे का? काहीच नसलं तर त्याचं फार वाईटही वाटायचं.

हातानं लिहिलेल्या या पत्रात आत्यंतिक जिव्हाळा होता. कुणाचं पत्र आलं असेल, त्यात काय लिहिलं असेल.. याची एक अनामिक ओढ असायची. एक छोटंसं पत्र.. पण त्याच्या आठवणी कित्येक दिवस पुरायच्या. ही पत्रं अतिशय काळजीनं जपून ठेवली जायची. प्रसंगी ही जुनी पत्रं पिशवीतून, पेटीतून काढून पुन्हा पुन्हा वाचली जायची आणि अनेकांचे डोळे ओलावायचे! एक पत्र, पण आख्ख्या घरादारासाठी मोठी उत्सुकता निर्माण करायचं आणि एका अनामिक आनंदाची लहर त्या घरात फिरायची.. आलेल्या पत्राला तितक्याच उत्सुकतेनं, सुवाच्च अक्षरात उत्तरही पाठवलं जायचं. पलीकडची व्यक्तीहीत्याच उत्सुकतेनं आणि हुरहुरीनं पत्राची वाट पाहायची. पत्र पाठवणं आणि समोरच्या व्यक्तीला ते मिळणं, यात बराच काळ, काही दिवस लागायचे, तरीही या पत्रांनी लोकांना लळा लावला होता. मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग ॲप्सच्या आजच्या आधुनिक काळानं पत्रांची ही गंमत

आणि त्यातला जिव्हाळा संपवला. पत्रं पाठवणं नुसतं कालबाह्यच झालं नाही, तर अनेकांच्या स्मरणातूनही ती गेली.. मात्र, गंमत अशी की जे माध्यम जुन्या पिढीला कालबाह्य वाटतंय, तेच पत्रांचं हे माध्यम आज काही तरुणांना नव्यानं आकर्षित करतं आहे.

लोकांच्या स्मरणातून गेलेलं हे पोस्टकार्ड आता पुन्हा चर्चेत आलं आहे. जगभरातील तरुण मुलांनी या पत्राचा वापर करणं पुन्हा सुरू केलं आहे. स्वतःच्या हस्ताक्षरात लिहिलेलं पत्र, या पत्राची वाट पाहण्याची उत्सुकता, त्यातलं थ्रील आणि या पत्रात नेमकं काय असेल, याचा सस्पेन्स.. आजच्या तरुणाईला या गोष्टी कदाचित भावल्या असाव्यात.. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ज्या तंत्रज्ञानानं, इंटरनेटनं पत्रव्यवहार संपवला, त्याच इंटरनेटनं तरुणाईला पारंपरिक पोस्टकार्डकडे परत नेलं आहे.

जगभरातील अनोळखी व्यक्तींना पोस्टकार्ड पाठवणं, त्यांच्याकडून पोस्ट कार्ड मिळवणं, वेगवेगळ्या देशांची टपाल तिकीट जमा करणं आणि त्या तिकिटांमागची माणसं, घटना व इतिहास शोधणं.. हा नव्या पिढीचा एक वेगळाच छंद बनत आहे. या नव्या प्रवाहामागे Postcrossingसारख्या ऑनलाइन व्यासपीठांची महत्त्वाची भूमिका आहे.

Postcrossingवर नोंदणी केलेली व्यक्ती जगातील दुसऱ्या कोणत्याही भागातील सहभागी व्यक्तीला पोस्ट कार्ड पाठवते. समोरची व्यक्ती कोण असेल, हे अनेकदा आधी माहीत नसतं आणि त्याच वेळी जगाच्या कुठल्यातरी कोपऱ्यातून आपल्यासाठी पोस्ट कार्ड निघालेलं असतं.. ज्या डिजिटल युगानं पत्रव्यवहाराचं हृदयस्पर्शी माध्यम संपवलं, तेच आधुनिक युग या जुन्या माध्यमाला पुनर्जन्म देतं आहे, हा विरोधाभासही अतिशय रंजक आहे.

तिरकस आणि चौकस — गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

गुंडांचा राजाश्रय रोखण्याची गरज

'ठाण्यातील पोलीस इतके निष्क्रिय का?' हा जयेश सामंत यांचा 'सविस्तर' वृत्तलेख (४ ऑक्टोबर) वाचला. ठाण्याला साहित्यिक, विचारवंत, कलावंत, सामाजिक कार्यकर्ते व आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंच्या योगदानामुळे एक वैभवशाली इतिहास लाभलेला असताना, आज मात्र गुन्हेगारीचे सावट त्यावर पडले असून ते ठाण्याच्या सुसंस्कृतीला गालबोट लावणारे आहे. राजकीय नेते जर गुंडांना राजाश्रय देत असतील, तर पोलिसांची केविलवाणी अवस्था होते. कर्तबगार पोलिसांची राजकीय नेत्यांपुढे जर अशी हतबलता होणार असेल आणि यातून विशिष्ट व्यक्तींच्या गुन्ह्यांकडे जर पोलीस जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणार असतील, तर भविष्यात शांतता व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघून तो एक मोठा भयानक दैवदुर्विलास ठरेल. याविरुद्ध आता येथे जनमताचा रेटा उभारणे गरजेचे आहेच. त्याचबरोबर सर्वत्र सीसीटीव्ही बसवणे, बंद पडलेले दिवे चालू करणे, गुन्हेगारांवर तडीपारीच्या नोटिसा देणे, सर्वत्र दक्षता समित्या स्थापन करून, त्यांना काही पोलिसी अधिकार देणे, सामाजिक संघटनांच्या मदतीने गस्त वाढवणे, या उपाययोजनाही गरजेच्या असून, गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी राजकारण बाजूला ठेवून, एकंदर गुन्हेगारीच्या राजाश्रयाबाबत अत्यंत कडक धोरण न स्वीकारल्यास, ही गुन्हेगारी सामान्य माणसापर्यंत पोहोचण्यास वेळ लागणार नाही.

■ **प्रदीप करमरकर**, ठाणे

शंभरी भरवलेलीच आहे...

''**लोकसेवे'चीच 'शंभरी'**?' हे शनिवारचे संपादकीय (३ ऑक्टोबर) म्हणजे विविध लोकसेवा आयोग आणि त्यांनी 'भर्ती' केलेल्या बहुसंख्य भरताड अधिकारी वर्गाबाबतचे अतिसौम्य टिपण आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी या सेवांना पोलादी चौकटीची उपमा देऊन 'सत्ताधाऱ्यांना देशहिताचा सल्ला देण्यात कुचराई झाल्यास ते या सेवकांचे अपयश ठरेल' असे विधान केले होते, ते तर आता खरे ठरते आहे.

आयएएस, आयपीएस आणि तत्सम अधिकारीवर्गाला घटनात्मक संरक्षण, सर्वाधिक प्रतिष्ठा आणि विशेष सवलती व अधिकार उपलब्ध असूनही या तथाकथित लोकसेवकांमधे कोण भ्रष्ट नाही हे भिंग लावून शोधावे लागत असेल तर अग्रलेखाच्या शीर्षकात प्रश्नचिन्ह आवश्यक नाही. हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतके अपवाद वगळले तर लोकसेवक म्हणवले जाणारे हे अधिकारी सत्ताधाऱ्यांचे आणि त्यांच्या पिलावळींचे हितसंबंध सांभाळून स्वतःचे खिसे भरण्यात व्यग्र आहेत.

सचिव पदांवर थेट भरतीचा पर्याय निवडून लोकसेवा आयोगास वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱ्या पंतप्रधान महोदयांनाही लोकसेवा आयोग हे तरुणांचे 'श्रद्धास्थान' वाटते हे खरे असेल तर ही अभिमानास्पद बाब आहे. पण स्वातंत्र्यानंतर हळूहळू पण निश्चितपणे याच आयोगांना श्रद्धांजली वाहण्याच्या दिशेने आपली वाटचाल चालू आहे, त्याचे काय?

■ **वसंत शंकर देशमाने**, परखंदी (ता. वाई, जि. सातारा)

'लोकसेवा'च चिरायू ठरेल!

''**लोकसेवे'चीच 'शंभरी'**?' (३ ऑक्टोबर) या संपादकीयातील 'सरकारी नोकऱ्यांचे वाढते आकर्षण हे 'लोकसेवे'चे असते की वरकमाईचे?' या प्रश्नाचे मुळात जाऊन उत्तर शोधले तर असे दिसते की, सरकारी नोकरीच्या सुरक्षिततेची तसेच निवृत्तीवेतनाची हमी या दोन गोष्टी खासगी क्षेत्रात मिळत नाहीत म्हणूनही हे आकर्षण असते, यात गैर काहीच नाही.

माझे निरीक्षण असे की, सरकारी नोकरी मिळण्यापूर्वी वरकमाईचे कुठलेही आकर्षण नसते. उलट लोकसेवा, देशसेवेचे बाळकडूच आपल्या शिक्षणातून, शिक्षकांकडून, पालकांकडून मिळालेले असते. यूपीएससी, एमपीएससी आदी स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत असताना तर सर्वांना देशसेवेची नशाच चढलेली असते. पण मग एकदम हे वरकमाईचे आकर्षण? तर ते नोकरीत एकदा स्थिरस्थावर झाल्यावर दिसू लागते. तशा संधी चालून येत असतील तर का सोडा- हा विचार बळावतो आणि या संधींत सहभागी होणार नसाल तर तुम्ही बाहेर फेकला जातात असेही दिसते. पण कित्येक सरकारी नोकर, वरिष्ठ अधिकारी प्रामाणिकपणे लोकसेवा करतातही. त्यांच्या जिवावरच देश चालतो. म्हणूनच 'लोकसेवे'ची शंभरी भरण्याची वेळ येणार नाही याची खात्री वाटते.

■ **श्रीराम वैजापूरकर**, मिलवॉकी (अमेरिका)

संशोधन सत्वर प्रत्यक्षात यावे!

धारावीतील इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्याने जैवविघटनशील सॅनिटरी पॅड्सची संकल्पना मांडून अन्य विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेने व मदतीने प्रत्यक्षात आणल्याची 'रविवार्ता' (लोकसत्ता- ४ ऑक्टो.), सभोवताली शिक्षण व विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत फारसे चांगले ऐकू येत नसतानाच्या काळात खरोखरच दिलासादायक आहे. या सुशोधनामागची संकल्पना आता लालफितीत न अडकता प्रत्यक्षात यावी हीच अपेक्षा. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी व सरकारनी प्रोत्साहन देणे अत्यंत गरजेचे आहे.

■ **सुमित प्रकाश मोदले**, चिंचणी (जि. पालघर)

दबाव असेल, तर वेळ लागणारच...

'नव्या कायद्यांमुळे 'तारीख पे तारीख' संपेल' या शीर्षकाची बातमी (लोकसत्ता- ४ ऑक्टो)वाचली. देशात नव्या फौजदारी कायद्यांची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यानंतर एफआयआर दाखल झाल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत 'तीन वर्षांत न्याय मिळेल' हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा दावा खरा ठरायचा तर, न्यायव्यवस्थेसहित पोलीस यंत्रणेलाही अधिक सजग राहावे लागेल! मात्र अंमलबजावणीत खरी मेख आहे 'एफआयआर' दाखल होण्याची! ज्यांच्या विरोधात तो दाखल होणे अपेक्षित आहे तो दाखल करून घेण्याचे स्वातंत्र्य हे फक्त पोलीस यंत्रणेच्या हातात! या दाखल होण्याला काळ व वेळेचे अजिबात बंधन नाही, याला कारण पोलीस यंत्रणेवर असणारा पडद्यामागील राजकीय व सामाजिक पत यांचा दबाव! कायद्याच्या अंमलबजावणीची सुरुवातच जर अशी 'दबकत' होणार असेल तर नव्या कायद्याने तारीख पे तारीख हे चित्र कोण व कसे बदलणार?

■ **प्रवीण आंबेसकर**, ठाणे

न्याय झाला, हे कळेल का?

'वरच्या दरबारात कोणी सुटत नाही' हे वनमंत्री गणेश नाईक यांचे, ठाण्यातील राजकीय गुन्हेगारीचा बळी ठरलेल्यांच्या कुटुंबास भेट दिल्यानंतरचे विधान (बातमी : लोकसत्ता- ४ ऑक्टो.) वाचले. कायद्याची अंमलबजावणी ही 'इथल्या' गुन्हेगारांना 'विनाविलंब' जरब बसावी आणि गुन्हेगारी कमी व्हावी यासाठी असते असे सामान्य नागरिकांना वाटते. 'वरच्या दरबारा'त भले न्याय निवाडा होईलही; कदाचित शिक्षा सुद्धा होईल... पण ती ज्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे त्यांना कळेल का, हा प्रश्न आहे!

■ **मधुकर घारपुरे**, सावंतवाडी

'अभिजात मराठी'चा हिशेब द्या!

'मराठी भाषा ही समृद्ध संस्कृतीची वाहक' असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी ३ ऑक्टोबरला मराठी अभिजात भाषा गौरव दिनाच्या कार्यक्रमात केल्याची बातमी (लोकसत्ता- ४ ऑक्टो.) वाचली. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणे ही निश्चितच ऐतिहासिक आणि अभिमानाची गोष्ट; पण दोन वर्षांनंतर एक साधा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे–अभिजात दर्जाच्या या 'गौरवा'चा मराठी भाषेला प्रत्यक्ष फायदा किती झाला? मराठीच्या संशोधनासाठी किती निधी उपलब्ध झाला? प्राचीन मराठी ग्रंथांचे जतन आणि डिजिटायझेशन किती झाले? मराठीतील संशोधनाला किती चालना मिळाली? मराठीला तंत्रज्ञान, उच्च शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी किती ठोस योजना राबवल्या?

आज मराठी शाळांसमोर अस्तित्वाचे प्रश्न आहेत, उच्च शिक्षणात इंग्रजीचे वाढते वर्चस्व आहे आणि मराठीतील गुणवत्तापूर्ण संशोधनाला पुरेशा संधींचा प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत अभिजात दर्जा हा मराठीच्या गळ्यातील पदक न राहता विकासाचे साधन बनायला हवा. सरकारने दरवर्षी गौरव दिन साजरा करण्यापेक्षा निधी किती दिला, योजना कोणत्या सुरू केल्या आणि त्याचा परिणाम काय झाला, याचा सार्वजनिक हिशेब द्यावा.

■ **अर्जुन बाबाराव वाळवंटे**, हिंगोली

आधी देवत्व, मग कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व?

नदीला थेट नदीहक्क देता येत नसल्यामुळे देवत्व संकल्पनेचा वापर करत नदीला देवत्व आणि देवतेचे कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व असा मार्ग भारतातील न्यायव्यवस्थेने २०१८ पासून शोधला, पण तो आज कोणत्या टप्प्यावर आहे... आणि 'नदीत्व' मान्य करूनच नदीला हक्क देणाऱ्या अन्य देशांपेक्षा हे निराळे कसे?

चित्ततोष खांडेकर
नदी विषयक संशोधक अभ्यासक
chittatoshresearch@gmail.com

नदीकारण

जिथे नद्यांना केवळ संसाधन किंवा देवाची करणी म्हणून पाहिले गेले, किंवा घरातील कुटुंबीय म्हणून पाहिले गेले, अशा देशांमध्ये नद्यांना कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व आणि नदीहक्क कसे दिले जातात याचा आढावा या सदरात आजवर घेतला गेला. पण जिथे नदीचे देवता म्हणून उदात्तीकरण केले जाते त्या भारतात कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व आणि नदीहक्कांची संकल्पना कशी मांडता येईल? नदीत्व, देवत्व आणि कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व यांचा सहसंबंध कसा समजून घेता येईल?

'कायद्यासमोर सारे समान' हे ए.व्ही. डायसी या ब्रिटिश कायदेतज्ज्ञाने दिलेले कायद्याचे तत्त्व आजही भारतीय न्यायव्यवस्थेचा पाया आहे. संविधानातील अनुच्छेद १४ हेच अधोरेखित करतो. राज्यसंस्था कोणत्याही व्यक्तीस कायद्यासमोर समानता नाकारणार नाही असा त्याचा आशय. फक्त मेख ही आहे की व्यक्तीची (पर्सन) व्याख्या हा अनुच्छेद करत नाही. व्यक्ती म्हणजे फक्त मनुष्य? सजीव आणि निर्जीव दोन्ही? एखादी संस्था? याबद्दल संविधान थेट भाष्य करत नाही. त्यामुळे कायद्यासमोर समान नक्की कोण याचा अर्थ लावायची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर येऊन पडते. न्यायव्यवस्थेने या अनुच्छेद १चा अर्थ लावताना व्यक्तीचे दोन प्रकारात वर्गीकरण केलेः पहिला प्रकार म्हणजे नैसर्गिक व्यक्ती (नॅचरल पर्सन) - अर्थात मनुष्य, जो स्वतःच्या हक्कांसाठी न्यायालयात धाव घेऊ शकतो, तसेच आपली कर्तव्यही चोख बजावू शकतो. दुसरा प्रकार म्हणजे कायदेशीर व्यक्ती (लीगल पर्सन). न्यायमूर्ती राजीव शर्मा यांनी वेळोवेळी केलेल्या भाष्यांनुसार मनुष्य सोडून कोणतीही सजीव, निर्जीव वस्तू, संस्था वा इतर काही- ज्याला संविधानाच्या चौकटीत आणि कायद्याच्या भाषेत हक्क दिले जाऊ शकतात, त्याला कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व (लीगल पर्सनहूड) बहाल करता येऊ शकते. त्यानुसार आधुनिक भारताच्या इतिहासात वेगवेगळ्या टप्प्यांवर कायदेशीर व्यक्ती म्हणून कंपन्यांना, धार्मिक संस्थांना, सेवाभावी संस्थांना हक्क देण्यात आले. राज्य सरकारेदेखील कायद्याच्या दृष्टीने 'व्यक्ती'च आहेत. पण हे व्यक्तिमत्त्व 'देवत्व' संकल्पनेला देता येऊ शकते?

जगभरातील सगळ्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक चर्चांमध्ये देव ही संकल्पना केंद्रस्थानी राहिली आहे. आता देव आहे की नाही, या वादात इथे पडण्याची गरज नाही, मुद्दा देवत्व या संकल्पनेचा आहे. काही ठिकाणी निसर्गालाच देवत्व देण्यात आले आहे. कुठे निर्गुण निराकाराला देव मानण्यात आले आहे, कुठे पाषाणात देव शोधला आहे तर कुठे चकाकणाऱ्या सोन्यात, तर कुठे लाकडात. कुठे अग्नीच्या समिधांमध्ये देवाची अनुभूती येते, तर कुठे पाण्याच्या प्रवाहात देवाचे प्रतिबिंब दिसते. कुठे देवाचे शब्दच धर्मग्रंथ आणि सामाजिक नियम म्हणून पुढे येतात, तर कुठे लोकगीते आणि कथा देवाचे राज्य उभे करतात. देवत्वाचा प्रकार कोणताही असो, देवाची प्रार्थनास्थळे जगभर उभी राहिली आहेत. मग अग्निदेवाची अग्यारी असो वा ग्रामदेवतेची मंदिरे, चर्च असो वा मशीद, देवाची विविध प्रकारे उपासना करण्याच्या जागा देवालाच वाहिल्या आहेत. आध्यात्मिक, सांस्कृतिक स्तरावर हे ऐकायला फार छान वाटत असले तरी इथे कायद्यासमोर एक मोठा पेच उभा राहतो. उपासना मंदिरे देवाची, भक्त पूजा करतात देवाची, दक्षिणा दिली जाते देवाच्या नावे, मग या उपासना मंदिरांचा मालकी हक्क कोणाचा?

हा प्रश्न हिंदू धर्मातील मंदिरांबाबत आणखीच कठीण होतो. कारण हिंदू मंदिराला 'देवाचे घर' म्हणतात, तर मंदिराची निगा राखणारे विश्वस्त होतात, त्यांच्याकडे मालकी हक्क नाहीत. मंदिरांची जागा वा पैसा कोणी बळकावला तर मालकीचा खटला कोण लढणार? देव की विश्वस्त? समजा विश्वस्तांनीच देवालयात अफरातफर केली तर?

असाच एक खटला बॉम्बे हायकोर्टासमोर गुजरातमधील डाकोर येथील रणछोडदासजी मंदिराबाबत १८८८ मध्ये उभा राहिला. रणछोडदासजी या देवतेचे भक्त विरुद्ध मंदिराचे विश्वस्त, असा हा खटला होता. आम्ही देवाला देत असलेल्या दक्षिणेचा हे विश्वस्त गैरवापर करतात, दक्षिणा देवाची आहे, त्यांची नाही अशी भक्तांची भूमिका होती. तर मंदिराची काळजी १८६० पासून आम्हीच घेतो, म्हणून मंदिरावर आणि येणाऱ्या दक्षिणेवर मालकी आमचीच, त्यावर भक्तांना आक्षेप असण्याचे कारण नाही अशी भूमिका विश्वस्तांची होती. तेव्हा निकाल देताना न्यायालयाने रणछोडदासजी या देवतेलाच कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व बहाल केले, आणि विश्वस्तांना वेळोवेळी दक्षिणेचा हिशेब लोकांसमोर आणि देवासमोर मांडण्याचे आदेश दिले. या आणि अशा इतर खटल्यांचा आधार घेत हिंदू देवतांना कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व देण्याचा पायंडा भारतीय न्यायव्यवस्थेत पडला. या कायदेशीर व्यक्तिमत्त्वाच्या मालमत्तेची जबाबदारी, हक्क सांभाळण्याची जबाबदारी आणि प्रतिनिधित्वाची जबाबदारी विश्वस्तांना देण्यात आली. पुढे १९६९ च्या योगेंद्रनाथ खटल्यात तर देवतेला करदाता म्हणून मान्यताही देण्यात आली. अनुच्छेद १४ अंतर्गत मंदिरातील देवताही कायद्यासमोर समान झाल्या आणि विश्वस्त त्यांच्या हक्कांचे काळजीवाहू.

चंबळ नदी-देवतेचे राम सुतार यांनी साकारलेले शिल्प

पण मेख अशी आहे की हिंदू धर्मात फक्त मंदिरातील मूर्तीलाच देवता मानले जात नाही तर नदीला, पर्वतांना अगदी प्राण्यांना देवत्व बहाल केलेले आहे. आता याच्या मुळाशी सर्व सजीव-निर्जीवांमध्ये परमेश्वर आहे हे उदात्त तत्त्वज्ञान असले तरी कायद्याच्या भाषेत या सगळ्यांना 'देवता' म्हणून कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व देता येईल का? याबद्दल मात्र न्यायव्यवस्थेने वर्षानुवर्षं कमालीचे मौन बाळगले होते.

मुहम्मद सलीम वि. उत्तराखंड सरकार (२०१८) या खटल्यात हे मौन सोडण्यात आले. गंगा-यमुना या एखाद्या देवतेप्रमाणेच पवित्र आहेत (देवता नाहीत), तसेच नद्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी संविधान सरकारला देते (अनुच्छेद ४८अ) आणि त्यांचे संवर्धन करण्याचे कर्तव्य नागरिकांना देते (अनुच्छेद ५१अ). या दोन्ही गोष्टींची दखल घेत गंगा-यमुनेला कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व देण्यात यावे व ते हक्क सांभाळण्याची जबाबदारी सरकारी अधिकारी आणि लोकांच्या काही प्रतिनिधींना देण्यात यावी, असा आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिला. या निकालाचा हवाला देत पुढील खटल्यांमध्ये निसर्गाला हक्क देण्याची एकच चढाओढ सुरू झाल्याचे दिसते. त्याच वर्षी मिगलानी खटल्यात हिमनद्यांना आणि हिमालय पर्वताला देखील कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व देण्यात आले. हा दर्जा २०२० मध्ये पंजाबमधील सुखना सरोवराला हा दर्जा देण्यात आला. २०२२ मध्ये धरणीलाच (मदर अर्थ) मद्रास उच्च न्यायालयाने कायदेशीर व्यक्तीचा दर्जा दिला.

पण पुढे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. 'संविधान पर्यावरणाचे आणि नद्यांचे संरक्षण करा असे म्हणत असेल, म्हणून त्यांना लगेच कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व देता येईल का?' असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. यामुळे नदीहक्कांच्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला.

या सगळ्याच खटल्यांमध्यील समान धागा हा की नदीचे धार्मिक महत्त्व अधोरेखित करताना संबंधित न्यायाधीशांनी नदीला देवता म्हणून हक्क द्यावे अशी मांडणी कुठेच केली नव्हती. देवतांना कायदेशीर व्यक्तीमत्व देण्याचा पायंडा (प्रिसीडेंड) भारतात १८६५पासून दिसून येतो. याच पायंड्याचा वापर करत मद्रास उच्च न्यायालयाने ताम्रभरणी नदीला २०२६ मध्ये हक्क आणि कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व बहाल केले. वेद, रामायण आणि महाभारतातील उल्लेख तसेच स्थानिक काव्यांमधील वर्णने यातून तमिळनाडूतील ताम्रभरणी नदी ही देवता असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. तसेच नदीचे होणारे उत्सव, नदीत डुबकी मारून नदीची केली जाणारी प्रार्थना याचा आधार घेत नदीचे देवत्व न्यायालयाने अधोरेखित केले. नदीला देवत्व असले तरी नदीची पूजा आणि उत्सव करण्याच्या नादात होणारे नदीचे प्रदूषण थांबवण्याची एक सूचक नियमावलीही न्यायालयाने दिली. नदी संवर्धनासाठी, प्रदूषणापासून संरक्षण करण्यासाठी, तिला नदीहक्क देत असल्याची मांडणी न्यायालयाने केली आहे. देवतांना कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व आहे आणि ताम्रभरणी नदी ही एक देवता आहे म्हणून तिला हक्क आहेत असा निवाडा मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुरै खंडपीठाने केला. त्यामुळे थांबलेल्या नदीहक्कांच्या चर्चांना पुन्हा नवसंजीवनी मिळाली. या मांडणीकडे सर्वोच्च न्यायालय कशा अनुशंगाने बघते हे येत्या काळात महत्त्वाचे ठरेल.

इतर देशांमधील नदीहक्कांची कथा भारतातील नदीहक्कांपेक्षा कथा वेगळी ठरते. एक तर नदीहक्कांची चळवळ लोकचळवळीतून नाही तर न्यायालयीन निकालांतून भारतात उदयास आली. दुसरी गोष्ट नदीला थेट नदीहक्क देता येत नसल्यामुळे देवत्व संकल्पनेचा वापर करत नदीला देवत्व आणि देवतेचे कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व असा आगळा-वेगळा मार्ग न्यायव्यवस्थेने शोधला, हेही दखल घेण्याजोगेच आहे. पण नदीहक्कांसाठी फक्त न्यायव्यवस्थाच भारतात प्रयत्न करते आहे का? तसेच देवत्व देऊन कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व देण्याची भूमिका घातक ठरू शकते का? लोकचळवळी याकडे कसे पाहतात? याचा ऊहापोह पुढच्या लेखात.

कुतूहल

उत्क्रांती आजही चालू आहे?

होय, नक्कीच आजही उत्क्रांती घडते आहे. उत्क्रांती म्हणजे अनेक पिढ्यांमध्ये प्रजातीच्या वैशिष्ट्यांमध्ये होणारा बदल! उत्क्रांती ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे याची स्पष्ट उदाहरणं आजही दिसतात.

मलेरिया आणि ब्लॅक डेथ या रोगांपासून संरक्षण देणारं जनुकीय उत्परिवर्तन गेल्या अनेक हजार वर्षांमध्ये झालं आहे. त्यामुळे या रोगांमुळे माणसं दगावण्याचं प्रमाण अगदी नगण्य झालं आहे. त्याचप्रमाणे या रोगांचं मूळ असलेले जीवाणू वा परजीवी यांच्याही जनुकांत बदल घडले व ते कमी प्राणघातक झाले. परंतु ते लहान मानवी समूहात पसरण्याची संभाव्यता वाढली.

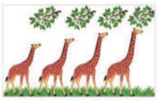

दुसरं उदाहरण तिबेटी लोकांचं! सर्वसाधारणपणे कमी उंचीवर राहाणाऱ्यांना जास्त उंचीवर गेल्यावर ऑक्सिजन कमी मिळाल्यामुळे त्रास होतो. पण तिबेटी लोक, ज्यांचं वास्तव्य अति उंचीवरच असतं, त्यांना हा त्रास होत नाही. कारण त्यांची जनुकं अनोख्या प्रकारे अशी रूपांतरित झाली आहेत की ज्यामुळे त्यांच्या रक्तातल्या ऑक्सिजनचं कार्यक्षमतेनं नियमन होतं आणि त्यांना हृदयरोग उद्भवत नाही.

तिसरं उदाहरण : जागतिक लोकसंख्येपैकी बरेच जण प्रौढत्वात 'लॅक्टेज' नावाचं विकर तयार करण्याची क्षमता गमावतात. शरीरात जर हे विकर असलं तरच दुधात असलेली साखर व लॅक्टोज पचवता येतं. नाहीतर गॅस होणं, पोट फुगणं अशा तक्रारी जाणवतात. परंतु सुमारे दहा हजार वर्षांपूर्वी जेव्हा माणसाने दुग्धोत्पादनासाठी प्राणी पाळायला सुरुवात केली तेव्हा या पशुपालक लोकांमध्ये प्रौढत्वापर्यंत लॅक्टोज पचवण्याची आनुवंशिक क्षमता स्वतंत्रपणे विकसित झाली आणि ती अजूनही विविध समूहांमध्ये पसरत आहे.

माणसांप्रमाणे प्राणीसुद्धा उत्क्रांत होत आहेत. आफ्रिकन हत्ती एकेकाळी लांब सुळ्यांसाठी प्रसिद्ध होते आणि त्यामुळे त्यांची खूपच जास्त शिकार व्हायची. हे हत्ती आता जनुकीय उत्परिवर्तनामुळे सुळेविरहित जन्माला येतात. त्यामुळे त्यांची शिकार होत नाही. तशीच, सुरुवातीला जिराफांची मान आखूड होती. अन्नाच्या शोधात झाडांची पानं खाण्यासाठी त्यांना मान ताणावी लागली. या गरजेतून हजारो वर्षांत त्यांच्या लांब मानेचा गुणधर्म उत्क्रांत झाला आणि तो पुढच्या पिढ्यांमध्ये संक्रमित झाला.

रोगकारक जीवाणू व विषाणू हेदेखील सतत उत्क्रांत होत असतात. क्षयरोगाचे जीवाणू आता अनेक औषधांना दाद देत नाहीत. पेनिसिलिन या प्रतिजैविकानं जे जीवाणू पूर्वी सहज नष्ट होत होते, त्यांच्यावर आज पेनिसिलिनचा काहीच प्रभाव पडत नाही. कारण सततच्या वापरानं हे जीवाणू उत्क्रांत झाले. आता करोना विषाणूच्या उत्क्रांतीमुळे त्यांच्या डेल्टा, ओमिक्रॉन अशा अनेक उपप्रजाती निर्माण झाल्या.

– डॉ. मुग्धा पत्की
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

कुमकुम मोहोड

तिरंदाजीत दोन प्रकार - रिकर्व्ह आणि कम्पाउंड. रिकर्व्ह म्हणजे दोन ठिकाणी वक्रता असलेला धनुष्य, कम्पाउंडला तेवढी वक्रता नसते. दोन्ही प्रकारांत अंतरांतही फरक असतो. रिकर्व्ह प्रकारात कसोटी लागते बाण सोडणाऱ्या हाताच्या सामर्थ्याची. कुमकुम मोहोडने आशियाई क्रीडा स्पर्धेआधी त्यावर खूप काम केले. बाण नेमका कोणत्या वेळी सोडायचा, यावर तिने मेहनत घेतली. या प्रकारातील आधुनिक बाण सुमारे २१० फूट प्रतिसेकंद वेगाने जात असल्याने हे नियंत्रण फार महत्त्वाचे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत दोन सुवर्ण व एका रौप्यपदकाची कमाई करणाऱ्या कुमकुमने पाय जमिनीवर असतील तर किती बुलंद यश खेचून आणता येते, याचे उदाहरण दाखवून दिले. संयम आणि एकाग्रतेचा उत्तम मिलाफ तिच्या कामगिरीतून दिसला. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताला तिरंदाजीतील महिला रिकर्व्ह सांघिक प्रकारात सुवर्ण मिळवून दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, महिला रिकर्व्ह वैयक्तिक अंतिम फेरीत तिने नाट्यमय 'शूट-ऑफ'मध्ये दक्षिण कोरियाच्या ओह येजिनवर मात करून, २० व्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील आपले दुसरे सुवर्णपदक जिंकले. ही कामगिरी करणारी ती पहिली भारतीय महिला तिरंदाज ठरली आहे.

वडील अनिल मोहोड हे मिठाईच्या दुकानांसाठी लागणारे पुठ्ठ्याचे डबे बनवतात. घरची परिस्थिती सर्वसामान्य. पण, कुमकुमच्या आई-वडिलांनी मोठे स्वप्न पाहिले. छोट्याशा व्यवसायातून मिळणाऱ्या मर्यादित उत्पन्नातून घरखर्च आणि कुमकुमच्या खेळाचा खर्च भागवला. अवघ्या तीन हजार रुपयांच्या लाकडी धनुष्यापासून कुमकुमने सराव सुरू केला. तिच्यासाठी ही एक विलक्षण झेप आहे. तिरंदाजीसाठी एकाग्रता खूप महत्त्वाची असते. यासाठी ती संगीत ऐकते. ती डायरीत नोंदी करून ठेवते. आपले 'गोल' ठरवते. आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ चा उल्लेखही तिच्या डायरीत आहे. अमरावतीच्या 'खेलो इंडिया' धनुर्विद्या प्रशिक्षण केंद्रावर ती नियमितपणे सराव करते. तिची सर्वांत मोठी क्षमता काय, तर मानसिक कणखरपणा. तिने पाच वर्षे कुणी तरी वापरलेल्या जुन्या धनुष्यासह सराव केला, स्पर्धांसाठी रेल्वेच्या स्लीपर क्लासमधून प्रवास केला, पण कधीही तक्रार केली नाही. वयाच्या सतराव्या वर्षी इतकी प्रगल्भता दुर्मीळच.

यावर्षी जूनमध्ये अंतालिया (तुर्कीये) येथे आयोजित विश्वचषक स्टेज-३ स्पर्धेत तिने धीरज बोम्मदेवरासह रिकर्व्ह मिश्र दुहेरीचे सुवर्णपदक जिंकले. याआधी कुमकुमने चीनमध्ये विश्वचषक स्टेज-२ स्पर्धेत भारतीय महिला संघात सहभागी होऊन, सुवर्णपदक जिंकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पहिल्यांदाच खेळत असलेली कुमकुम अजिबात घाबरलेली दिसली नाही. या स्पर्धेत उतरलेल्या काही तिरंदाजांचा वकूब,अनुभव मोठा होता, पण ती डगमगली नाही.

कुमकुमला एकच लक्ष्य खुणावत होते, ते म्हणजे झळाळते पदक. ते स्वप्न तिने जपानच्या भूमीत साकारले. तिच्या परिश्रमाचे खऱ्या अर्थाने चीज झाले. आता कुमकुमचे नवीन लक्ष्य आहे, ते २०२८ च्या लॉस एंजलिस ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक प्राप्त करण्याचे!

राजवाडे विचारविश्व

मंदिराच्या जीर्णोद्धाराबद्दलचा शिलालेख

वि.का.राजवाडे ऐतिहासिक साधनांच्या शोधात ठिकठिकाणी भटकंती करीत, तेव्हा त्यांची नजर किती बारकाईने आसमंत न्याहाळीत असे, याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे मंगळवेढे येथील एक मराठी शिलालेख. कोल्हापूरहून प्रकाशित होणाऱ्या 'ग्रंथमाले'तून १९०६ साली एका लेखाद्वारे त्यांनी त्या शिलालेखाबद्दल लिहिले, 'सांगली संस्थानातल्या मंगळवेढे गांवांत काशीविश्वेश्वराचे देऊळ आहे. त्या देवळाच्या सभामंडपाच्या दरवाज्याजवळील डाव्या बाजूच्या पहिल्या खांबाच्या बैठकीच्या वरल्या शिळेवर चारही बाजूंनी व तिसऱ्या खांबाच्या एका बाजूने मिळून पाच बाजूंनी एक मराठी लेख लिहिलेला आहे. लेखाचा शक १४९४ आंगिरस आहे. (इसवी सन १५७२). अक्षरे सरासरी एक इंच व्यासाची असून एकंदर ओळी ६० आहेत. पहिल्या बाजूवर १७, दुसऱ्या बाजूवर ११, तिसऱ्या बाजूवर १२, चौथ्या बाजूवर १२ व पांचव्या बाजूवर आठ. शिलालेख एकनाथस्वामीच्या वेळेस लिहिलेला असल्यामुळे त्याची भाषा एकनाथकालीन भाषेची बव्हंशाने मापक आहे... हिपरग्याचा कुलकर्णी मंगळवेढ्याची पाहणी करीत असता त्याने देवालयाचा जीर्णोद्धार केल्याचा हा लेख आहे. लेखाचा कौल मुल्ला याकुबाने काढला, असे म्हटले आहे...'

एवढी प्राथमिक माहिती देऊन झाल्यावर राजवाड्यांनी तो शिलालेख यथामूल स्वरूपात, ६० ओळींमध्ये दिला. मंदिराला रोज हजारो भाविक भेट देत असतात, पण तशा भेटीत सभामंडपात चौफेर नजर फिरवून खांबांवरील शिलालेख हुडकणारे व तो मजकूर अशा प्रकाशझोतात आणणारे राजवाडे एखादेच! मजकूर देऊन ते थांबले नाहीत, त्यांनी त्यावर संदर्भासह स्पष्टीकरण देणारे भाष्यही केले. त्यांनी लिहिले, 'लेख शक १४९४ मधील आहे. त्यावेळी विजापुरास आदिलशाही होती. देवगिरीच्या जाधवांचे राज्य शक १२३९त (इसवी सन १३१७ मध्ये) गेल्यापासून शक १४९४ पर्यंत देवळाची हेळसांड होऊन ते पडून गेले. त्याचा जीर्णोद्धार मंगळवेढच्या मुजुमदाराने केला. हा मुजुमदार दामाजीपंताची चहाडी ज्या मुजुमदाराने पातशहापाशी केली, त्याचाच वंशज होता, असे म्हणतात. देसाई (देशपति-देसवई = देसाई), कुलकरणी, चौधरी, पाटील ह्या चार गावकामगारांबरोबर मुल्लाचीही गणना होऊ लागून शक १४९४ मध्ये बरीच वर्षे लोटली होती. हिंदूंच्या देवळाचा जीर्णोद्धार करण्याच्या कामी कौल काढणारा मनुष्य मुल्ला होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. विजापूरशाहीत हिंदुमुसलमानांचे गावगन्ना ऐक्य होते, असे ह्यावरून म्हणता येईल; परंतु, देवळाचाहि कौल करण्यास मुल्लाची जरूर लागावी, हिंदू मिळू नये, ह्याचा अर्थ असा होतो की, कोण्यातरी मुसुलमानाचे अनुमोदन जीर्णोद्धाराला आहे, असे दाखवणे मुजुमदाराला इष्ट वाटले... मुजुमदारांनी छळलेल्या दामाजीपंतांचे वंशज सध्या गुलबर्ग्यास आहेत, असे म्हणतात.'

शिलालेखाचे ऐतिहासिक व धार्मिक-सांस्कृतिक संदर्भ असे स्पष्ट करून झाल्यावर राजवाड्यांनी मजकुराच्या भाषेची वैशिष्ट्ये नमूद केली. त्यांनी लिहिले, 'ह्या शिलालेखांत करुनु, चालवुनु, म्हणुनु, वाजवुनु वगैरे ऊन प्रत्ययान्त धातुसाधितांची उकारान्त रूपे आली आहेत. 'आणि' ह्याअर्थी 'वा' शब्द योजला आहे. ह्या 'वा'मध्ये व फारशी 'व'मध्ये एका कान्ह्याचाच (= कान्याचाच) काय तो भेद आहे. ह्या लेखानंतर शंभर वर्षांनी 'वा'चा लोप होऊन 'व' हे उभयान्वयीच त्याची जागा पटकावून राहिले. 'मंगळवेढेयाचे' असे रूप प्रस्तुतच्या 'मंगळवेढ्याचे' ह्या रूपाऐवजी त्यावेळी प्रचलित होते. परंतु 'त्याणें', 'त्यासि', 'त्याचे' ही रूपें 'तेणें', 'तेयासि', 'तेयाचे', ह्या ज्ञानेश्वरकालीन रूपांच्या ठिकाणी रूढ झालेली दिसतात. प्रस्तुत लेखात 'ल'च्या ऐवजी सवत्र 'ळ'चा उपयोग केलेला आहे. मजजवळील ज्ञानेश्वरीतहि 'ल'कार नाही. ह्यावरून 'ल' उच्चारच त्यावेळी नव्हता. असेच केवळ म्हणता कामा नये. ल व ळ हे दोन्ही एका 'ळ'नेंच दर्शविण्याचा प्रघात पडला होता. बाकी देवनागरीत ही दोनही चिन्हें होती, हे प्रसिद्धच आहे... लेख जशाचा तसाच अस्सल बरहुकूम नकल केला आहे. त्यावरून तत्कालीन ऱ्हस्वदीर्घाचा प्रकार पाहता येईल...'

एखाद्या शिलालेखातील मजकुराचा किती वेगवेगळ्या प्रकारे विचार करता येऊ शकतो, याचा राजवाड्यांनी सहज दाखवलेला हा नमुना अभ्यासकांनी आवर्जून लक्षात घ्यावा.

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

(अवतरणांतील शुद्धलेखन मूळ उताऱ्याबरहुकूम)

नक्की अडले कोठे?

भारत- अमेरिका व्यापार कराराबद्दल आपण एक सांगावे आणि अमेरिकेने दुसरेच, हा गोंधळ केवळ वृत्ताबाबतचा नसून बाजारपेठेचाही आहे, त्यामुळे तो अधिक गंभीर...

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराचा विषय 'अगदी संपल्यात जमा' (ऑल्मोस्ट डन अॅण्ड डस्टेड) असे आपण जाहीर केल्यानंतर आठवडाभराने अमेरिका जर 'चर्चा सुरू आहे पण करार व्हायलाच हवा असे नाही' (डील अनाऊन्समेंट नॉट इमिनंट) असे म्हणत असेल तर त्याचा अर्थ नक्की काढायचा कसा? कराराचा मुद्दा निकालात निघाल्याची घोषणा आपले व्यापारमंत्री पीयूष गोयल यांनी सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात राजधानी दिल्लीत केली. त्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात दूरध्वनीवरून चर्चा झाली आणि त्यानंतर करारावर अंतिम हात फिरवण्यासाठी वा त्यास मूर्त स्वरूप देण्यासाठी गोयल हे अमेरिकेत गेले. तेथे 'जी२०' देशगटाच्या व्यापारमंत्र्यांच्या परिषदेत ते सहभागी झाले. या परिषदेनिमित्ताने त्यांची अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांच्याशी चर्चा झाली. त्यानंतर ग्रीर यांनी हे विधान केले. भारत-अमेरिका यांच्यातील चर्चा शेवटच्या टप्प्यात आहे... त्याची परिणती म्हणून उभयतांत करार व्हायलाच हवा असे काही नाही, हे त्यांचे वक्तव्य वास्तव स्पष्ट करण्याऐवजी ते अधिकच झाकते. अशा वेळी या कराराचे भिजत घोंगडे नक्की कोठे पडले आहे हे सांगण्याची जबाबदारी भारताने घ्यावी. कारण या कराराच्या प्रक्रियेस दीड वर्ष होऊन गेले. ती पुढे सरकतच नसेल तर अडचण आहे कोठे हे जनतेस समजायला हवे. अमेरिकी व्यापारमंत्र्याच्या या ताज्या विधानाच्या पार्श्वभूमीवर या करार प्रक्रियेचा आढावा आवश्यक ठरतो.

या प्रक्रियेच्या सुरुवातीची घोषणा झाली २०२५ सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात. तीनुसार त्या वर्षाच्या ऑक्टोबरपर्यंत किमान स्वीकारार्ह व्यापार कराराची चौकट निश्चित केली जाणे अपेक्षित होते. ते झाले नाही. त्यानंतर उभयतांत आयातशुल्कादी मुद्द्यांवर 'लघु करार' (मिनी डील) व्हावा असे प्रयत्न झाले. ते फसले. नंतर यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात अध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात पुन्हा एकदा कराराच्या आणाभाका झाल्या आणि काही किमान मुद्द्यांवर एकमत तयार करून 'व्यापक व्यापार करार' प्रत्यक्षात येण्यासाठी चर्चा सुरू ठेवण्याचे ठरले. ती चर्चा सुरू राहिली; पण 'काही किमान' मुद्द्यांवर एकमत काही होऊ शकले नाही. तरीही ट्रम्प यांनी आपल्या सवयीशी इमान राखत उभयतांतील कथित कराराची घोषणा परस्पर करूनही टाकली. त्याआधीच्या आठवड्यात आपले वाणिज्यमंत्री गोयल यांनी ''पुढील चार-पाच दिवसांत कराराचा मसुदा प्रसृत होईल'' अशी घोषणा केली होती. नंतर ट्रम्प यांनी हे विधान केल्याने उभय देशांत सर्व काही आलबेल असल्याचे चित्र निर्माण झाले.

पण ते किती फसवे होते हे दीड वर्षानंतर ग्रीर यांच्या निःसंदिग्ध प्रतिपादनातून स्पष्ट होते. त्यावेळच्या जाहीर तपशिलानुसार भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकेत आकारला जाणारा आयात कर आता १८ टक्के इतका होणे अपेक्षित होते. त्यानुसार गोयल यांनी तर पुढे जाऊन कोणकोणत्या भारतीय उत्पादकांस याचा फायदा होईल याचा तपशील सादर केला. मोटारींचे/ विमानांचे सुटे भाग, चहा, औषधे, हिरे निर्यातदार आदी अनेक क्षेत्रांतील उद्योगांस या करारामुळे व्यापक व्यापारसंधी निर्माण होणे अपेक्षित होते. त्या बदल्यात भारताकडून काय काय सवलती अमेरिकी उत्पादनांस दिल्या जातील, हे स्पष्ट केले गेले. भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून आपण सोयाबीन, सोया तेल, मका, मक्यापासून बनवलेले इथेनॉल वगैरेंच्या शुल्क मुक्त वा अल्पशुल्क आयातीस होकार दिला नाही. पण अमेरिकेत मक्यापासून इथेनॉल बनवले गेल्यानंतर उरलेल्या चिपाडांचे पशुखाद्य भारतात येऊ देण्याचे ठरले. अमेरिकी पशुखाद्यांत प्रथिनांचे प्रमाण आपल्या पशुखाद्यापेक्षा अधिक असते. कारण आपले पशुखाद्य

अमेरिकेशी करार हा काही जीवनमरणाचा प्रश्न नाही हे खरे आणि रशियन तेल आपल्याला हवेच. पण स्पष्टतेचा अभाव आपली असमर्थता दर्शवणारा ठरतो...

सोयाबीन वा सरकी यांच्यातील तेल काढून घेतल्यानंतर उरलेल्या कडब्यापासून बनते. तर अमेरिकेचे मक्याच्या चिपाडापासून. त्यामुळे आपल्या पशूंस चांगल्या दर्जाचे अमेरिकी पशुखाद्य मिळण्याची सोय झाली. पण पुढे काहीच घडले नाही. अर्थात त्यामुळे आपले सोयाबीन उत्पादक आनंदले असतील. आधीच सोयाबीनच्या दरांचा मुद्दा. त्यात त्याची पशुखाद्य बनवण्याची उपयुक्तताही कमी झाली तर उत्पादकांची अधिकच पंचाईत. ती होणे तूर्त टळले. ट्रम्प यांनी 'जाहीर केलेल्या' करारानुसार युरोपप्रमाणे अमेरिकी वाइनही आता भारतात अधिक मुबलक आणि अधिक स्वस्त उपलब्ध अपेक्षित होते. तेही झाले नाही. हे सर्व मुद्दे तसे पाहू गेल्यास किरकोळ. भारत-अमेरिका यांच्यातील संभाव्य व्यापार करारात खरी अडचण आहे ती रशियन तेलाचे आपण काय करणार, ही. आपण रशियन तेल खरेदी करत राहिल्यास भारतीय उत्पादनांवर १०० टक्के आयातशुल्क आकारण्याचा इशारा ट्रम्प यांनी नुकताच दिला. आपणास दररोज ५५-५८ लाख बॅरल्स खनिज तेल लागते. त्यातील ८२-८५ टक्के इतके तेल आपण आयात करतो. कारण ते आपल्या देशात पिकत नाही. त्यातही या परदेशी तेलापैकी ३५ टक्के तेल आपण रशियाकडून घेतो. ती खरेदी पूर्ण बंद करणे आपणास परवडणार नाही, हे उघड आहे. पण 'रशियन तेल आम्ही खरेदी करणारच' असे निःसंदिग्धपणे आपण स्पष्ट केलेले नाही. अमेरिका-भारत यांच्यातील संभाव्य व्यापार करारावर भाष्य करताना ट्रम्प यांनी परस्पर ''भारत यापुढे रशियन तेल खरेदी करणार नाही'' असे विधान केले होते. आता पुन्हा १०० टक्के आयातशुल्काचा इशारा त्यांनी दिला. म्हणजे या 'तेलकट' प्रश्नावर तोडगा निघालेला नाही. गेल्या वेळी ट्रम्प यांनी भारताकडून रशियन तेल खरेदी बंद होते किंवा काय हे तपासण्यासाठी एका समितीची घोषणाही केली होती. ते अपमानास्पद होते. त्याउप्पर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केल्यास भारतास दिलेल्या आयात करार सवलतींचा फेरविचार करण्याचा इशाराही ट्रम्प यांनी दिला होता.

या करारासंदर्भात भारत पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून ५०,००० कोटी डॉलर किमतीच्या उत्पादनांची खरेदी करेल; अशीही घोषणा केली होती. तसे करावयाचे तर वर्षाला १०,००० डॉलरची खरेदी आपणास अमेरिकेकडून करावी लागेल. सध्या वर्षभरात आपण जेमतेम ४१०० डॉलर किमतीच्या वस्तू अमेरिकेकडून घेतो. ट्रम्प म्हणतात तसे करावयाचे तर वर्षाला दुपटीपेक्षा रकमेची खरेदी अमेरिकेकडून करावी लागणार. हे आपण कसे करणार; ही बाब अद्यापही अस्पष्टच आहे. ते सर्व या कराराच्या अंतरिम मसुद्यात होते, असा युक्तिवाद यावर करता येईल. ते ठीक. पण अंतरिमचे रूपांतर अंतिम मसुद्यात होताना यात नक्की बदल काय होणार हे तरी एव्हाना स्पष्ट व्हायला हवे. पण कोणत्याच मुद्द्यावर कसलीच स्पष्टता नाही. ना अमेरिका काही सांगते ना आपण काही त्यावर भाष्य करतो.

असे असताना हा करार आता झाल्यातच जमा आहे, असे सांगणार आणि अमेरिकी प्रतिनिधी म्हणणार करार होईलच असे नाही. हे गोंधळ वाढवणारे आहे. हा गोंधळ केवळ वृत्ताबाबतचा नाही. तर बाजारपेठेचाही आहे. तो अधिक गंभीर. तेव्हा अधिक वेळ न दवडता भारताने तरी हा नक्की कोणत्या मुद्द्यावर अडलेला आहे, हे सांगायला हवे. अमेरिकेशी करार हा काही जीवनमरणाचा प्रश्न नाही. तेव्हा त्याची इतकी तमा बाळगण्याचे कारण नाही. नक्की काय अडले आहे आणि कोठे हे जरी कळले तरी पर्यायाचा विचार आणि कृती करता येईल. त्या अभावी नुसतीच संदिग्धता आपली असमर्थता दर्शवते. ती शोभणारी नाही.

आता पुढे काय?

लाल किल्ला

महेश सरलष्कर
mahesh.sarlashkar
@expressindia.com

केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी दररोज आंदोलने होत आहेत. मुंबईत कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) आंदोलन केले. ठाकरे बंधूंच्या सेनेनेही आंदोलन केले. दिल्लीत तर काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या युवक संघटना सातत्याने आंदोलन करत आहेत. त्यांनी पोलिसांना सळो की पळो करून सोडले आहे. दुसऱ्या बाजूला, काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी 'छात्रों की गूंज' हा कार्यक्रम वेगवेगळ्या शहरांमध्ये करत आहेत. हा कार्यक्रम १० ऑक्टोबरला तमिळनाडूत होईल. त्याच दिवशी सीजेपीचे दिल्लीत आंदोलन होणार आहे. जिकडे तिकडे आंदोलनेच होत आहेत. असे असताना भाजप मात्र शांत आहे. भाजपचे नेते काहीही करताना दिसत नाहीत. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरच्या रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'मन की बात' हा त्यांचा खास मार्गदर्शन करणारा रेडिओ कार्यक्रम केला की नाही, हेदेखील लोकांना आठवत नाही. 'मन की बात'चा विशेषपणा संपला की काय, असा प्रश्न पडू शकतो. हा कार्यक्रम झाला असेल तर तो कोणी ऐकला आणि मोदींनी काय सांगितले? ते आंदोलने, ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयोगाच्या कथित गैरप्रकारांबद्दल बोलले असतील तर त्याची चर्चा मुख्यधारेतील प्रसारमाध्यमांनी केलीच असती. तशी ती झाली नाही. म्हणजेच मोदींनी फारशा महत्त्वाच्या नसलेल्या गोष्टींवर भाष्य केले असावे. मुद्दा इतकाच की, देशभर आंदोलने सुरू असताना भाजप फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहे. त्यावर फारसे मतप्रदर्शनही करताना दिसत नाही. भाजपचे वाचाळ नेतेही गप्प बसून आहेत. असे का व्हावे, हे कोडेच म्हणावे लागेल.

मुंबईतील 'सीजेपी'चे आंदोलन झाल्यानंतर मतभेद चव्हाट्यावर येऊ लागले आहेत. भाजपविरोधी गटांतील वेगवेगळे लोक एकमेकांची उणीदुणी काढू लागले आहेत. काहींचे म्हणणे आहे की, 'सीजेपी' हा भाजपचा 'ब' चमू आहे. हा गट दुसरी 'आप' बनण्याची शक्यता आहे. आपमुळे नेहमी भाजपचाच फायदा झाला आहे. या टीकेला 'सीजेपी'च्या नेत्यांकडून प्रत्युत्तर दिले जात आहे. कित्येक वर्षे काँग्रेसने काहीच केले नाही. हा पक्ष निष्क्रिय राहिला म्हणून 'सीजेपी'सारख्या संघटनांना रस्त्यावर उतरून लोकांचे प्रश्न मांडावे लागत आहेत. काँग्रेसने केले तरी काय, असा या नेत्यांनी प्रश्न केला आहे. 'सीजेपी' समर्थक विरुद्ध काँग्रेस समर्थक असा सामना आता रंगू लागला आहे. दुसऱ्या बाजूला, डावे पक्ष आणि त्यांच्या युवक संघटना स्वतंत्रपणे ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. तिकडे 'आप'ही स्वतंत्रपणे आंदोलन करत आहे. एकप्रकारे आंदोलकांच्या 'इंडिया' आघाडीमध्ये मतभेद होऊ लागले असल्याचे दिसते. खरी 'इंडिया'

अद्याप तरी भाजपला सत्तेवरून खाली खेचण्याइतके या आंदोलनांचे स्वरूप व्यापक झालेले नाही; पण...

आघाडी म्हणजे विरोधी राजकीय पक्षांची युती असतेही आणि नसतेही. तसेच या समांतर 'इंडिया'चे होऊ लागले आहे की काय, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.

'इंडिया' आघाडीमध्ये नेहमीच ताणेबाणे पाहायला मिळतात. वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर प्रत्येक पक्षाची वेगवेगळी भूमिका असते. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा पराभव झाला नव्हता, तेव्हा त्यांनी काँग्रेसला राज्यात भाव दिला नव्हता. 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि काँग्रेस यांची मते वेगवेगळी होती. आता 'द्रमुक' हा पक्ष काँग्रेसवर आरोप करून 'इंडिया' आघाडीतून बाहेर पडला असून 'टीव्हीके'चा प्रवेश नुकता झालेला आहे. गेल्या आठवड्यात 'इंडिया' आघाडीची दिल्लीत बैठक झाली. तीत ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात संघर्ष करण्याचा निर्णय झाला आहे. काही कार्यक्रम ठरले आहेत. त्याचा परिणाम काय होतो, यावर 'इंडिया' आघाडी खरोखर देशात भाजप, मोदी-शहांविरोधात वातावरणनिर्मिती करू शकते का, हे पाहायचे.

ज्ञानेश कुमार यांच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगातील कथित गैरप्रकारांची वाच्यता झाली आणि त्यांनी अप्रत्यक्षपणे चुकांची कबुली दिल्यानंतर भाजप आणि केंद्र सरकार प्रचंड दबावाखाली आले. त्यानंतर लगेच आंदोलनांचाही रेटा वाढला. त्यामुळे कधी नव्हे इतकी भाजपची पीछेहाट झाल्याचे पाहायला मिळाले. नाही तर भाजपचे नेते नेहमी आक्रमक असतात. या वेळी त्यांनी जाणीवपूर्वक शांत राहण्याचे ठरवले आहे, असे दिसते. आत्ता काहीही केले तरी त्याची प्रतिक्रिया प्रतिकूलच असेल, हे त्यांना माहीत आहे. सीजेपीचे पहिले आंदोलन झाले. त्यानंतर आरक्षणविरोधी आंदोलनाने उचल खाल्ली होती. त्याला अप्रत्यक्षपणे उजव्या संघटनांचे समर्थन असू शकते. पण, गेल्या काही दिवसांमध्ये असे विरोधी आंदोलनही होताना दिसत नाही. ही उजवी मंडळीही शांत राहिली आहेत. हे पाहता भाजपने रणनीतीचा भाग म्हणून शांत राहणे पसंत केले असल्याचे दिसते.

आंदोलने होऊ देत, भाजपविरोधी-सरकारविरोधी आवाज दूरपर्यंत पोहोचू देत, मोदी-शहांविरोधात कोणाला जे काही बोलायचे आहे ते बोलू देत. ही आंदोलने किती महिने चालतात, आम्ही बघतोच, असा पवित्रा भाजपने आणि त्यांच्या नेत्यांनी घेतला आहे. नोव्हेंबरमध्ये संसदेचे हिवाळी अधिवेशन होईल. ते वाया जाण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशन जंतर-मंतरच्या आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून वाया गेले होते. तसे हिवाळी अधिवेशनही फारसे कामकाज न होता संपू शकते. मोदी-शहांनी संसदेच्या अधिवेशनाला कधीच फार महत्त्व दिले नाही. त्यांना त्यांच्या कामाबद्दल संसदेमध्ये चर्चा होणे कधी अपेक्षितच नव्हते. आपल्याला हवे ते कायदे विरोधकांच्या गोंधळात संमत करून घेणे, हाच त्यांचा प्रमुख उद्देश असतो आणि तो बहुतांश वेळी पूर्णही होतो.

मोदी-शहांना संसदेत खरा पराभव लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेचे घटनादुरुस्ती विधेयक संमत न झाल्याने पाहावा लागला. हा पराभव मोदी-शहांच्या जिव्हारी लागला असला तरी पुन्हा हे विधेयक संमत करण्यासाठी त्यांना पुरेसे संख्याबळ जमवता आलेले नाही. ते आशावादी होते म्हणून तर त्यांनी पावसाळी अधिवेशन अधिकृतपणे संपवलेले नाही. हे पाहता एखादे अधिवेशन वाया गेले म्हणून केंद्र सरकारचे वा भाजपचे काहीही बिघडत नाही. देशभर आंदोलने झाली तरी चालतील; पण दिल्लीत पुन्हा ठिय्या मारू दिला जाणार नाही. बाकी आंदोलकांनी काहीही करावे, अशी भूमिका केंद्र सरकार आणि भाजपने घेतल्याचे दिसते.

मोदी-शहा वा ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलने तीव्र होऊ लागली आहेत, यात वादच नाही. त्याची तीव्रता गावागावांमध्ये दिसू लागली तर मात्र केंद्र सरकार खऱ्या अर्थाने धोक्यात येईल. आत्ता तरी असे होताना दिसत नाही. पण, जेपी आंदोलनासारखा वणवा कधी पसरेल, हेही सांगता येत नाही. 'सीजेपी'ने विरोधकांना कशाला निवडणुकीच्या भानगडीत पडता, असे विचारले असले तरी राजकीय पक्षांना निवडणुकीचे महत्त्व कळते. निवडणुका टाळून लोकशाही टिकवता येत नाही. त्यामुळेच तर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, आता काय आम्ही निवडणुका लढवू नये का? विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलने करत असले तरी त्यांना निवडणूकही लढवायची आहे. उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा अशा राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तिथे विरोधकांना भाजपचा थेट सामना करावा लागणार आहे. निवडणुकीच्या राजकारणातही पराभव करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये कितीही घोटाळे होत असले तरी त्याविरोधात आवाज उठवत असताना ही प्रक्रिया टाळता येत नाही. त्यामुळे काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, भाजप हे पक्ष उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीचे डावपेच आखण्यात गुंतलेले आहेत. भाजप शांत राहण्यामागे उत्तर प्रदेशची निवडणूक हेही कारण आहे. भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत देशातील सर्वात मोठे राज्य हातून जाऊ द्यायचे नाही.

शिवाय, सीजेपी वा विरोधी पक्षांच्या आंदोलनामुळे भाजपचा उत्तर प्रदेशात थेट पराभव होईल, असे नव्हे. तिथे निवडणूक 'जेन-झी'च्या मुद्द्याप्रमाणे इतर मुद्द्यांवरही लढवली जाईल. त्यामध्ये जातसमीकरणांचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. पक्षांची संघटनात्मक ताकदही महत्त्वाची आहे. भाजप उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकीची रणनीती तयार करण्यात गुंतलेला आहे. तिथे योगी आदित्यनाथ तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले आणि भाजपला तीनशेच्या आसपास जागा जिंकता आल्या तर पुन्हा मोदींचा जयजयकार सुरू होईल. तेव्हा भाजप कसा आक्रमक होईल, ते पाहण्याजोगे असेल. उत्तर प्रदेशच्या विजयाची भाजप वाट पाहत आहे, असे दिसते. उत्तर प्रदेशात भाजप साध्या बहुमताने पास झाला तर मात्र तो भाजपचा पराभवच असेल. भाजपचा पराभव झाला तर देशभरातील वातावरणच बदलून जाईल. मग, मोदींना राजीनामा देण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. पण आत्ता तरी भाजपचा पराभव होईल अशी टोकाची परिस्थिती उद्भवलेली दिसत नाही. 'इंडिया' आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये समाजवादी पक्ष हा एकमेव पक्ष भाजपशी दोन हात करू शकतो. या पक्षाकडे तुलनेने भक्कम संघटना आहे. बाकी कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाकडे तितकी संघटनात्मक ताकद नाही. काँग्रेसकडे राहुल गांधींचे नेतृत्व असले तरी संघटना अजून तेवढी मजबूत झालेली नाही. त्यामुळेच भाजप निश्चिंत आहे.

आंदोलने होतात, ती पुढेही होत राहतील. अद्याप तरी भाजपला सत्तेवरून खाली खेचण्याइतके या आंदोलनांचे स्वरूप व्यापक झालेले नाही. अडीच वर्षांनंतर लोकसभा निवडणुकीमध्ये काय होईल, हे आत्ता कोणीच सांगू शकत नाही. ही आंदोलने तोपर्यंत कायम राहिली किंवा ती इतकी ताकदवान झाली की, त्यांच्या दबावाखाली मोदी सरकारच कोसळले तर वेगळी परिस्थिती निर्माण होईल. पण, आत्ता तरी भाजपचे लक्ष्य उत्तर प्रदेशची निवडणूक हेच असेल.

अन्वयार्थ

भाषाभिमानाच्या दोन तऱ्हा!

तमिळनाडूचा हिंदी भाषेला टोकाचा विरोध आहेच, पण हे टोक किती असावे? राज्य महामार्गावरील दिशादर्शक फलकावर तमिळ आणि इंग्रजीबरोबरच हिंदी भाषेचा वापर केल्याबद्दल तमिळनाडू सरकारने बांधकाम विभागाच्या दोन अभियंत्यांना तात्काळ निलंबित केले आणि फलकावरील हिंदीतील नावे लगेच हटवली. तमिळनाडूपुरते १९६८ पासून तमिळ व इंग्रजी असे दोन भाषा सूत्र लागू आहे.तरीही हिंदी वापरल्याने द्रमुकसह विविध राजकीय पक्षांनी रान उठवले. 'हिंदी लादण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न तमिळनाडूने आतापर्यंत हाणून पाडला होता. पण मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांचा टीव्हीके पक्ष राज्य सरकारमार्फत हिंदी लादण्याच्या प्रयत्नांना साथ देणार का' अशी टीका माजी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केली. तमिळनाडूत हिंदीच्या विरोधात तीव्र भावना आहे. परिणामी विजय सरकारला तात्काळ कारवाई करणे भाग पडले. दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई झाली. तमिळनाडूत दोन भाषा सूत्र असताना हिंदीचा वापर कसा काय झाला याची चौकशी केली जाईल, असे सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. तसेच दिशादर्शक फलकावरील हिंदीतील मजकूर त्वरित हटवण्यात आला. राष्ट्रीय महामार्गावर स्थानिक भाषा, इंग्रजी व हिंदीमध्ये दिशादर्शक फलक असावेत, असे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे धोरण असले तरी तमिळनाडूचा त्याला अपवाद आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर हिंदीत फलक लावण्याचा प्रयत्न २०१७ मध्ये मोदी सरकारने केला, तोसुद्धा सर्व प्रादेशिक पक्षांमुळे तमिळनाडूत अमलात येऊ शकला नव्हता.

तमिळनाडूत हिंदी विरोध नवीन नाही. गेल्याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदीवरून तमिळनाडू सरकारची कानउघाडणी केली. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जवाहर नवोदय विद्यालये सुरू करण्यासाठी पुढील तीन महिन्यांत जागा उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिला. तसेच हिंदीवरून तमिळनाडू सरकारने आपली मानसिकता बदलावी, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला. ही मानसिकता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही बदलण्याचे नाव नाही. जागा न देण्याचीच भूमिका तमिळनाडूतील विजय सरकारने घेतली. यापूर्वीच्या द्रमुक सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्र तरतूद असल्यामुळे हे धोरण स्वीकारणार नाही, अशा हट्टापायी केंद्राकडून मिळणाऱ्या दोन हजार कोटींवर पाणी सोडले होते, तो निर्णयही विजय यांनी कायम ठेवला आहे.

भाषेचा अभिमान रास्त प्रमाणात ठीकच, पण महाराष्ट्रातील परिस्थिती याउलट दिसते. 'मी मराठी बोलणार नाही' असे कोणी लुंग्यासुंग्या आव्हान देतो. तसा प्रकार क्वचित उघडकीस आला आणि संबंधिताला चोप दिला गेला, हा अपवाद. पण मराठीला विरोध करण्याची हिंमत महाराष्ट्रात होते कशी? कर्नाटकात एका राष्ट्रीयकृत बँकेच्या व्यवस्थापकाने 'मी कानडीत बोलणार नाही, फक्त हिंदीतच बोलेन' अशी भाषा केल्यावर सर्वपक्षीय नेते एकटवले. शेवटी बँकेला त्या अधिकाऱ्याची बदली करावी लागली. अन्य भाषांचा जरूर आदर झाला पाहिजे. पण तसे करताना स्थानिक भाषा बोलणार नाही अशी भूमिकाही योग्य नाही. स्थानिकांच्या भाषेचा मान राखला गेला पाहिजे. पण स्थानिकांना गृहीत धरण्याची वृत्ती विशेषतः मुंबई महानगर प्रदेशाबाबत अनेक सत्ताधाऱ्यांनी राखली. त्यातूनच आता, ठाणे जिल्ह्यातील मीरा- भाईंदर ही 'जैनांची नगरी' अशी उद्दाम भाषा भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता येथे करू शकतात. काही धार्मिक गुरूंकडून डिवचले जाते. मध्यंतरी पांढऱ्या पट्ट्यांचा वाद असाच चिघळला होता. हे सारे मुंबई आणि महाराष्ट्रातच घडते. चेन्नई, कोलकाता, बंगळूरु, हैदराबाद अशा सर्वच महानगरांत लोकव्यवहाराची भाषा म्हणून स्थानिक भाषेला महत्त्व असते. अपवाद फक्त मुंबई महानगराचा. याचे कारण अर्थातच महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते आणि राजकारणी. मराठीचा आग्रह धरल्यास त्याला संकुचित ठरवले जाते. मुंबईतील अनेक गुजरातीबहुल उपनगरांमध्ये गुजरातीत फलक झळकतात. तमिळनाडूत एका फलकावर हिंदी झळकले तर किती वाद झाला. ठाकरे बंधूंच्या प्रखर विरोधामुळे राज्यात अजून तरी त्रिभाषा सूत्र शाळांमध्ये लागू झालेले नाही. पण कधी ना कधी हिंदी तिसरी भाषा म्हणून लादली जाणार हे निश्चित आहे. भाषावार प्रांतरचनेमुळे देशाचे नुकसान झाले, असा मतप्रवाह असणारा इतिहासतज्ज्ञ आणि जाणकारांचा एक मोठा वर्ग आहे. तमिळनाडूइतका टोकाचा भाषाभिमान नसला तरी किमान मराठीचा सन्मान होईल व मराठीला आव्हान देण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही, याची खबरदारी महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी घेणे अपेक्षित आहे.

गुंतवणुकीच्या घोषणा वारेमाप, तरी प्रत्यक्षात प्रकल्प कोंडी का?

विश्लेषण

सचिन रोहेकर
sachin.rohekar@expressindia.com

विविध राज्यांच्या गुंतवणूक परिषदांमध्ये गाजावाजा करून जाहीर झालेले बडे प्रकल्प प्रवर्तकांच्याच अनास्थेमुळे बारगळताहेत आणि देशी उद्योगांची परदेशातील थेट गुंतवणूक मात्र वाढते आहे, हे निष्कर्ष एका ताज्या अहवालातले...

प्रकल्पांच्या घोषणांमध्ये वाढ कितपत?

'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी' (एनआयपीएफपी) या आर्थिक धोरण आणि वित्तव्यवहारांवर संशोधन करणाऱ्या स्वायत्त संस्थेचा एक अहवाल नुकताच आला आहे. आर्थिक वर्ष २०१४ ते २०२६ या कालावधीतील खासगी क्षेत्रातील प्रकल्पांचे विश्लेषण करणाऱ्या या अहवालानुसार, नवीन प्रकल्पांच्या घोषणांचे मूल्य २०१४-१५ मधील ४ लाख कोटी रुपयांवरून, २०२६ मध्ये थेट ३५ लाख कोटी रु.वर गेले आहे. म्हणजेच वर्षभरात जाहीर होणाऱ्या प्रकल्पांचे प्रमाण जवळपास नऊ पटीने वाढत आले आहे. या दरसाल घोषित होत आलेल्या प्रकल्पांचे एकत्रित मूल्य २०२१-२०२३ दरम्यान सुमारे ५६ लाख कोटी रु. होते, ते आर्थिक वर्ष २०२४-२६दरम्यान १०४ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. अर्थात प्रस्तावित प्रकल्पातून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होईपर्यंत अनेक कारणाने प्रकल्प रद्द होण्याचा धोका असतो.

खासगी भांडवली गुंतवणूक खरेच वाढतेय?

रिझर्व्ह बँकेने खासगी क्षेत्रातून भांडवली गुंतवणूक आधीच्या वर्षातील २.६ लाख कोटींवरून, आर्थिक वर्ष २०२६-२७मध्ये ३.२ लाख कोटींवर जाण्याची अपेक्षा ताज्या अंदाजात वर्तवली आहे. तथापि अहवालानुसार, पश्चिम आशियातील संघर्षानंतर मार्च २०२६मध्ये खासगी गुंतवणुकीच्या घोषणांमध्ये वार्षिक तुलनेत ५६ टक्के घसरण दिसत आहे.

प्रकल्प अजूनही अडचणीत का?

भूसंपादन, पर्यावरणीय आणि कायदेशीर मंजुऱ्या, रस्ते, वीज, पाणी उपलब्धता यांसारख्या कारणांमुळे २०१४मध्ये ६० टक्के प्रकल्प रखडत होते. आर्थिक वर्ष २०२६पर्यंत हे प्रमाण घसरून केवळ २० टक्के राहिले, असे 'एनआयपीएफपी'चा अहवाल सांगतो. अनेक राज्यांत एक खिडकी योजना, कोळसा क्षेत्रातील सुधारणा आणि दिवाळखोरी व नादारी कायदा यामुळे प्रकल्प अंमलबजावणीतील प्रशासकीय विलंब टळला. अहवालाने 'अडचणीत असलेले प्रकल्पां'च्या केलेल्या व्याख्येनुसार, 'स्थगित' (अंमलबजावणीपूर्वीच मागे घेतले जाणारे आणि नंतर पुन्हा सुरू केले जाऊ शकणारे) प्रकल्प अथवा 'सोडून दिलेले' (अंमलबजावणीदरम्यानच प्रकल्प मागे घेतला जातो आणि तो पुन्हा सुरू होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत) असे दोन मुख्य घटक आहेत. अशा रखडलेल्या प्रकल्पांचे प्रमाणही घटले आहे, परंतु जे रखडले आहेत त्यापैकी ८० टक्के हे प्रवर्तक उद्योगपतींच्या अनास्थेमुळे पुढे जाऊ शकले नाहीत. निधीची कमतरता, बाजारपेठ व आर्थिक परिस्थितीतील प्रतिकूलता आणि कार्यान्वयनातील आव्हाने वगैरे पैलूंचा त्यात समावेश होतो. प्रवर्तकांनाच रस न राहण्याचे हे चित्र मुख्यत्वे मागील तीन वर्षांतील आहे.

खासगी गुंतवणूक कोणत्या दिशेने?

मागील तिमाहीदरम्यान खासगी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीत हालचाल दिसली खरी, मात्र गुंतवणुकीचा वेग मंदावलेलाच आहे. आर्थिक वर्ष २०२६मध्ये नव्या प्रकल्पांसाठी बँकांच्या कर्ज मंजुरीमध्ये १८ टक्क्यांची वार्षिक वाढ नोंदवली गेली असली तरी यातून खासगी भांडवली खर्चावर आधारलेल्या 'क्रेडिट ग्रोथ सायकल'ने गती पकडल्याचे म्हणता येत नसल्याचे 'कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज'चा अहवाल सांगतो. नवीन खासगी प्रकल्पांसाठी कर्ज मंजुरी २०१०-११च्या पातळीवर पोहोचली, असे असले तरी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या एकूण कर्जांपैकी नव्या प्रकल्प कर्जांचा वाटा २०२४-२५प्रमाणेच २०२५-२६मध्येही अवघा ३ टक्के इतकाच राहिला आहे. शिवाय एकूण प्रकल्प मंजुरींपैकी ५० टक्के हिस्सा पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा असून, प्रामुख्याने वीज क्षेत्राला बँकांकडून झुकते माप मिळत आहे, याकडे 'एनआयपीएफपी'प्रमाणेच कोटकच्या अहवालाने लक्ष वेधले आहे. पारंपरिक क्षेत्रांचा वाटा घटून, अक्षय्य ऊर्जा, आयटीईएस, विदा केंद्र यासारख्या अत्यल्प नोकऱ्या असणाऱ्या क्षेत्रांचा गुंतवणुकीतील वाटा वाढला आहे.

परदेशात मात्र कोट्यवधींची गुंतवणूक कशी?

देशांतर्गत खासगी गुंतवणुकीचा वेग अपेक्षेपेक्षा मंदावलेला असताना, आघाडीचे भारतीय उद्योग समूह अमेरिकेत अब्जावधी डॉलरची नवी गुंतवणूक जाहीर करत आहेत. नुकतेच एस्सार समूहाने अमेरिकेत १८ अब्ज डॉलरच्या (सुमारे १.७३ लाख कोटी रु.) एकात्मिक पोलाद प्रकल्पाची घोषणा केली. जेएसडब्ल्यू स्टील आणि सन फार्मास्युटिकल्स यांसारख्या कंपन्यांनीही अमेरिकेतील आपली गुंतवणूक वेगाने वाढवली. अमेरिकेचे संरक्षणवादी व्यापार धोरण आणि आयात शुल्काच्या धोक्यावर भारतीय कंपन्यांनी शोधून काढलेला हा एक बचावाचा मार्ग आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या संपूर्ण आर्थिक वर्षात भारताची परदेशातील थेट गुंतवणूक ही आधीच्या वर्षातील ४,३७० कोटी डॉलरच्या तुलनेत १२ टक्क्यांनी वाढून सुमारे ४,८६० कोटी डॉलरवर पोहोचली आहे. भारतामध्ये एकूण विदेशी ओघ २०२५-२६ मध्ये विक्रमी ९,४५० कोटी रु. पण भारतीय कंपन्यांनी परदेशात केलेली थेट गुंतवणूक, परदेशी कंपन्यांनी माघारी नेलेला नफा/भांडवल यांचे एकूण प्रमाण त्यापेक्षा जास्त ९,७२० कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे. रुपया प्रति डॉलर ९७ च्या नीचांकातून डोके वर काढत नाही ते यामुळेच!

दैनिक जागरण
वास्तविकता को स्वीकार करना ही सुखी जीवन का आधार है

हताशा भरा अभियान

अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतर कर जैसा अभियान छेड़ दिया है, उसका प्रतिवाद करने के लिए दोनों चुनाव आयुक्तों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि वे उसी संवैधानिक संस्था के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जिसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए, क्योंकि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर का हर पहलू उसकी जानकारी में है और उसने इस प्रक्रिया को बार-बार अपनी सहमति भी प्रदान की है। यदि उसने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया तो कल को उसके साथ-साथ अन्य संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा सकता है। लोकतंत्र अपनी संस्थाओं से ही शक्ति पाता है। उन्हें कमजोर करने का अर्थ है लोकतंत्र को खोखला करना। अभी तक विपक्ष यह काम केवल निराधार आरोपों और एसआइआर प्रक्रिया की छोटी-मोटी त्रुटियों को तिल का ताड़ बनाकर कर रहा था, लेकिन अब उसकी ओर से शांतिपूर्ण आंदोलन की आड़ में अराजकता का सहारा लेने की भी कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग के खिलाफ जनता को गुमराह करने वाले भड़काऊ नारे कोई शुभ संकेत नहीं।

अब इसमें भी कोई संदेह नहीं कि काकरोच जनता पार्टी का भी एजेंडा वही है, जो हताश-निराश विपक्ष का है। विपक्षी दल इसलिए आपे से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि एसआइआर के खिलाफ उनकी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष टिक नहीं पा रही हैं। केरलम सरकार की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बीस वर्ष पुराने मामले को खोलना केवल कांग्रेस की हताशा का ही परिचायक नहीं, बल्कि इसका भी सूचक है कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। विपक्षी दल इसकी जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं कि चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति को लेकर जो नैरेटिव खड़ा किया गया था, वह भोथरा पड़ चुका है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि जिस चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में लगातार सुधार कर विश्व में अपनी एक साख बनाई है और भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, उसे विपक्षी राजनीतिक दल मनगढ़ंत आरोपों के सहारे धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई इससे अवगत है कि मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर अशुद्धियां हैं और उन्हें ठीक करने का काम एसआइआर के जरिये ही हो सकता है, लेकिन इस झूठे आरोप के सहारे उसका विरोध किया जा रहा है कि इससे राजनीतिक दल विशेष को लाभ पहुंचाया जा रहा है। यदि वास्तव में ऐसा है तो कांग्रेस केरलम में सत्ता में कैसे आ गई और तमिलनाडु में भी विपक्षी दल ने जीत कैसे हासिल कर ली?

नशीली दवाओ का धंधा

ब्राउन शुगर, हेरोइन, चरस आदि नशीले पदार्थों को बिहार के गांव-शहर पहुंचाने वाले गिरोहों पर नकेल बहुत जरूरी है। इसका नेटवर्क तेजी से फैलता जा रहा है और विशेष रूप से किशोर एवं युवा इसका शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो वैसे दवा एवं इंजेक्शन तक की तस्करी की जा रही है, जो प्रतिबंधित है। इनका प्रयोग नशे के रूप में किया जा रहा है। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है, जिस पर समय रहते कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। पुलिस ने हाल के दिनों में ऐसे धंधेबाजों को पकड़ा भी है। नशीली दवाएं भी जब्त की गई हैं, पर इसका नेटवर्क इतना बड़ा है कि नए-नए रास्ते निकालकर इसे बाजार में पहुंचाया जा रहा है। पुलिस ने पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में पुलिस ने शनिवार को छह लोगों को प्रतिबंधित दवा एवं इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। ये दवाएं दुकानों में थीं, जहां से बाहर भेजा जाना था। इस धंधे में निचले स्तर तक का नेटवर्क है, जो नशीली दवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाता है। यह सामान्य मामला नहीं है, इसके पीछे गहरी साजिश है, जिसका संचालन बाहर से किया जा रहा है। नशा समाज को खोखला कर रहा है। इस समस्या का निदान जल्द से जल्द खोजना होगा। किशोरों को ड्रग्स की लत लगाई जा रही है और फिर उनके ही माध्यम से इस नेटवर्क को आगे बढ़ाते हुए युवा पीढ़ी को कमजोर करने की गहरी साजिश रची जा रही है। इस नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा, अन्यथा जिस तरह यह जाल फैलता जा रहा है, बहुत खतरनाक हो सकता है। इसे संरक्षण देने वालों का पर्दाफाश करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।

> ड्रग्स नेटवर्क को ध्वस्त करना ही होगा, अन्यथा यह बहुत खतरनाक हो सकता है

अगले सुधारों की पुख्ता तैयारी

निर्मला सीतारमण

जीएसटी की बढ़ती परिपक्वता हमें सुधारों के अगले चरण के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करती हैं

'विकसित भारत' बनने के भारत के संकल्प के लिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें हर स्तर और आकार के उद्यम फल-फूल सकें, चाहे उनकी शुरुआत कहीं से भी हुई हो। पिछले बारह वर्षों में हमारी सरकार ने इन अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण के लिए निरंतर कार्य किया है। वर्ष 2017 में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू होने से अप्रत्यक्ष कराधान के लिए एक साझा राष्ट्रीय ढांचा स्थापित हुआ। 'नेक्स्ट-जेनरेशन का जीएसटी' नौ वर्षों के क्रियान्वयन तथा करदाताओं और राज्यों के अनुभवों के आधार पर इसी प्रयास को आगे बढ़ाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी की परिकल्पना दो परस्पर जुड़े उद्देश्यों के साथ की गई थीः कर दरों को कम एवं तर्कसंगत बनाना और अनुपालन को अधिक सरल बनाना। दरों में किए गए संशोधन 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी हुए। प्रक्रियात्मक सुधारों का अगला चरण शीघ्र ही जीएसटी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सम्मिलित रूप से, इन प्रयासों का उद्देश्य परिवारों को राहत देना, व्यवसायों को अधिक निश्चितता प्रदान करना और करदाताओं के लिए एक ऐसी प्रणाली सुनिश्चित करना है जिसमें वे बिना किसी अनावश्यक कठिनाई के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। राज्य इसमें बराबर के साझेदार रहे हैं। वे परिषद में अपनी प्राथमिकताओं और अनुभवों को लेकर आए, निर्णयों को आकार देने में सहयोग किया और उनके क्रियान्वयन का दायित्व संभाला। जीएसटी की प्रगति प्रत्येक सरकार के उत्तरदायित्वों का सम्मान करते हुए एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की इसी तत्परता पर टिकी है।

इसके परिणाम विश्वास को सुदृढ़ करते हैं। अक्टूबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच दर्ज की गई कर-योग्य आपूर्ति के मूल्य में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 25.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कर दरों की हल्की संरचना के साथ-साथ दर्ज आर्थिक गतिविधियों में भी व्यापक विस्तार देखा गया है। यह उस सुधार के लिए एक अत्यंत उत्साहवर्धक आधार है जिसका उद्देश्य उद्यमों और सार्वजनिक वित्त, दोनों को संबल प्रदान करना है। यह सुदृढ़ता हालिया राजस्व आंकड़ों में स्पष्ट दिखाई देती है। अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह 12.46 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 11.6 प्रतिशत अधिक है। जून से सितंबर तक के प्रत्येक महीने में वार्षिक आधार पर दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई। इन चार महीनों का कुल संग्रह मिलकर लगभग 15 प्रतिशत की गति से बढ़ा। कर वापसी (रिफंड) के बाद शुद्ध संग्रह में भी इस छमाही के दौरान 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार करदाताओं को दी गई राहत और विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि साथ-साथ हुई है।

अवधेश राजपूत

इस विस्तार का दायरा उसके पैमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। सभी 11 क्षेत्रक समूहों और सभी प्रमुख राज्यों में दर्ज कर-योग्य आपूर्ति में वृद्धि देखी गई। भारत जैसी विविध अर्थव्यवस्था में यह व्यापक प्रसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक हिस्सों में होने वाली यह वृद्धि अधिक से अधिक व्यवसायों को विस्तार लेते बाजारों में भाग लेने का अवसर देती है और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न मांग, निवेश तथा रोजगार से अधिकाधिक समुदायों को लाभान्वित करती है। जब कर राहत का प्रभाव कीमतों में दिखाई देता है, तो परिवारों के पास अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने या बचत करने के लिए अधिक गुंजाइश होती है। उपभोक्ता राहत और उद्यम विकास आपस में गहराई से जुड़े हैं। परिवारों की क्रय शक्ति व्यवसायों द्वारा दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मांग को बनाए रखती है। इसका लाभ परिवार से लेकर खुदरा विक्रेता, आपूर्तिकर्ता और उत्पादक तक पहुंचता है। इस व्यवस्था में सहभागिता अत्यंत व्यापक रही है। अगस्त के अंत तक केंद्र व राज्य क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत कुल जीएसटी पंजीकरण लगभग 1.71 करोड़ तक पहुंच गए, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक हैं।

इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आइटीसी की कार्यप्रणाली इस अनुभव का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुधार-उपरांत आंकड़े दर्शाते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से चुकाई गई कर देयता का अनुपात बढ़ा है, जबकि कर-योग्य आपूर्ति के सापेक्ष संचित क्रेडिट में कमी आई है। यह उन व्यवसायों के लिए उत्साहवर्धक है जो पात्र क्रेडिट के प्रभावी उपयोग पर निर्भर करते हैं। किसी छोटे उद्यम के लिए उसकी कार्यशील पूंजी ही यह तय करती है कि वह कितनी सुगमता से कच्चा माल खरीद सकता है, कोई आर्डर पूरा कर सकता है और अगला काम हाथ में ले सकता है। कर वापसी (रिफंड) भी उतनी ही प्रासंगिक है। अप्रैल-सितंबर के दौरान लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपये की धनराशि रिफंड के रूप में लौटाई गई। इस वर्ष अप्रैल-सितंबर के दौरान एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आइजीएसटी) निपटान में उनके हिस्से सहित राज्यों की कुल एसजीएसटी प्राप्तियों में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सात अक्टूबर को जीएसटी परिषद के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव राज्यों के साथ निरंतर विचार-विमर्श और समन्वय से तैयार किए गए हैं। ये प्रस्ताव अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करने के उद्देश्य से पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, विवादों के निपटारे और इनपुट टैक्स क्रेडिट के सुगम प्रवाह से जुड़े हैं। करदाताओं का अनुभव ही इसके क्रियान्वयन का मुख्य मार्गदर्शक बना रहना चाहिए।

जीएसटी के दायरे का विस्तार हमें सुधारों के अगले चरण के लिए एक आधार प्रदान करता है। करदाता के प्रति सम्मान की यही प्रतिबद्धता प्रत्यक्ष करों से जुड़े हमारे कार्य को भी दिशा देती है। एक भरोसेमंद कर प्रणाली उद्यमों को अपने तात्कालिक दायित्वों से आगे बढ़कर योजना बनाने तथा ऐसे अवसरों में निवेश करने में सक्षम बनाती है जिनके फलने-फूलने में समय लगता है। वे चाहे कहीं भी कार्य कर रहे हों, उन्हें यह भरोसा दिलाना प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना के अनुरूप एक 'विकसित भारत' की आर्थिक शक्ति के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है।

(लेखिका केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री हैं)
response@jagran.com

भ्रामक इतिहास को सुधारने की पहल

प्रो. रसाल सिंह

एक समाज जो अपने अतीत में केवल पराजय देखता है, वह भविष्य में भी केवल अनुकरणजीवी बनता है

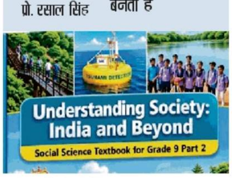

पाठ्य सामग्री को आदर्श बनाना आवश्यक। फाइल

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की नौवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक अंडरस्टैंडिंग सोसायटीः इंडिया एंड बियांड भाग-दो में हुआ परिवर्तन एक पाठ्यक्रम संशोधन मात्र नहीं, बल्कि समकालीन भारत में इतिहास के पुनर्पाठ का उल्लेखनीय प्रयास है। पचास वर्षों से अधिक समय तक भारतीय विद्यार्थी मध्यकालीन भारत को मुख्यतः विदेशी आक्रांताओं के नजरिये से पढ़ते आए हैं। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था, विकसित स्थापत्य कला, उन्नत एवं अभिजात्य जीवनशैली और अपराजेय सैन्य शक्ति एवं गंगा-जमुनी तहजीब आदि उस पुराने पाठ का केंद्र थे। मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले वामपंथी इतिहासकार उसका गुणगान सहिष्णुता की संस्कृति के नाम पर करते रहे। इस दृष्टि ने निश्चय ही भ्रामक इतिहास-बोध वाली ऐसी पीढ़ियां तैयार कीं, जो स्वदेश की गौरवपूर्ण प्रतिरोध परंपरा और देशज सुशासन व्यवस्था और प्रगत कला-संस्कृति से अपरिचित और अनभिज्ञ रह गईं।

नई पुस्तक में बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप ने बार-बार विदेशी आक्रमण, धार्मिक भेदभाव और सामाजिक-आर्थिक संकट झेले, पर स्वदेशी शक्तियों ने लगातार उन आक्रांताओं का प्रतिरोध किया, जो घुसपैठ कर रहे थे। इसमें अनेक ऐसे प्रसंग जोड़े गए हैं, जो अब तक मुख्यधारा की पाठ्यपुस्तकों में अनुपस्थित थे। महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच 1582 में विजयदशमी के दिन लड़ा गया दिवेर के युद्ध को विस्तार से रखा गया है। मेवाड़ की सेना ने इसमें मुगल सेना को पराजित कर अपने खोए हुए क्षेत्रों पर पुनः अधिकार प्राप्त किया था। उत्तर-पूर्व भारत के शक्तिशाली अहोम साम्राज्य का उल्लेख है, जिसने लगभग छह सौ वर्षों तक अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखी और सरायघाट के युद्ध (1671) में 'उत्तर-पूर्व के शिवाजी' कहे जाने वाले वीर योद्धा लचित बोरफुकन के नेतृत्व में मुगल सेना को पराजित किया। इसमें दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य की सामर्थ्य और प्रतिरोध, मराठों की स्वराज की अवधारणा का भी वर्णन है। औरंगजेब की जजिया सहित भारी कर लगाने और धार्मिक कट्टरता की नीतियों के विरुद्ध 1669 में गोकुला जाट और 1686 में सिनसिनी के जमींदार राजाराम के नेतृत्व में हुए विद्रोह, सिख गुरुओं की आध्यात्मिक और राजनीतिक दृढ़ता, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर के बलिदान, गुरु गोविंदसिंह के सशस्त्र संघर्ष और खालसा पंथ की स्थापना आदि के माध्यम से स्थापित किया गया है कि विदेशी आक्रमणों का प्रतिरोध अखिल भारतीय स्तर पर था।

पुस्तक में मंदिरों के विनाश और पुनर्निर्माण का इतिहास भी है। इसमें बताया गया है कि कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण पहले राजा टोडरमल और राजा मान सिंह ने कराया, फिर औरंगजेब द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद उसका पुनर्निर्माण देवी अहिल्याबाई होल्कर ने करवाया। जब मंदिर बनाना प्रतिबंधित हुआ तो श्रीमंत शंकरदेव, माधवदेव, चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, गुरु नानक, भक्त नरसी, ललद्यद आदि भक्त कवियों ने अपने गीतों और पदों के माध्यम से सनातन धर्म, भारतीयता और आध्यात्मिक भावना की रक्षा की। पुस्तक में शासन और सुशासन को केवल पश्चिमी लोकतंत्र (वेस्टमिंस्टर प्रणाली आदि) की देन न मानकर उसकी जड़ें भारतीय परंपरा में खोजी गई हैं। भारत की सुशासन की समझ वैदिक युगीन सभा/समिति, रामायणकालीन रामराज्य और महाभारतकालीन राजधर्म के अलावा मुंडक उपनिषद, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और चोल वंश कालीन सेंगोल जैसे विचारों, ग्रंथों और प्रतीकों से विकसित होते हुए आधुनिक संविधान-आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिक भागीदारी तक पहुंची है। इसमें कई भारतीय संस्थानों के आदर्श वाक्य इसीलिए जोड़े गए, ताकि विद्यार्थी को यह समझ आए कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं अपनी प्रेरणा और प्रतीक अपनी ही परंपरा से लेती हैं।

इस पहल से भारत की युवा पीढ़ी में आत्म-गौरव का पुनर्जागरण होगा, क्योंकि पुराने इतिहास-बोध ने एक प्रकार की हीनता और आत्म-विस्मृति पैदा की थी। भारत की सांस्कृतिक एकता की समझ विकसित होगी। अब विद्यार्थी को भारत एक मानचित्र मात्र नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक चेतना का साकार रूप लगेगा। शासन के भारतीय मानकों की श्रेष्ठ परंपरा का पुनर्स्थापन होगा। इतिहास के प्रति आलोचनात्मक और भारत-केंद्रित दृष्टि का विकास होगा। इस पहल का सबसे दूरगामी प्रभाव विद्यार्थियों के भविष्य-संबंधी दृष्टिकोण निर्माण में होगा। एक समाज जो अपने अतीत में केवल पराजय देखता है, वह भविष्य में भी केवल अनुकरणजीवी बनता है। एक राष्ट्र जो अपने अतीत में प्रतिरोध और पुनर्निर्माण देखता है तथा अपनी शासन परंपरा और प्रतीकों में न्याय, करुणा एवं कल्याण देखता है, वह भविष्य में आत्मनिर्भर बनकर वैसा ही माडल निर्मित करने का उद्यम करता है। यह चेतना ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मूलमंत्र है।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कालेज में प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

ईश्वर का अवतार

श्रीरामचरितमानस में कहा गया है-"जब-जब होई धरम की हानी। बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी॥ तब-तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा॥" गीता भी इसी सत्य को उद्घाटित करती है कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। यहां धर्म का अर्थ मानवता की रक्षा, कल्याण और न्याय के पक्ष में खड़ा होना है।

भारतीय दर्शन में ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और शिव परिवर्तन एवं संहार के प्रतीक माने जाते हैं। इसी जीवन-चक्र में जब आसुरी प्रवृत्तियां संतुलन को बिगाड़ने लगती हैं, तब ईश्वर विभिन्न रूपों में अवतरित होकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। नरसिंह, वराह, वामन, परशुराम, श्रीराम और श्रीकृष्ण जैसे अवतार इसी विश्वास के प्रतीक हैं। त्रेता में श्रीराम ने रावण का अंत किया और द्वापर में श्रीकृष्ण ने कौरवों की अधर्मपूर्ण प्रवृत्तियों के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। दुर्योधन का अहंकार, छल और अन्याय अंततः उसके विनाश का कारण बना। इससे यह संदेश मिलता है कि शक्ति चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, यदि उसका आधार अधर्म है तो उसका स्थायित्व संभव नहीं।

आज मानवता के विनाश के लिए बहुत से अनैतिक और पापमय दुष्कर्म राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्य कर रहे हैं। धर्म की राह पर चलने वाले मनुष्यों को मानवता के विरुद्ध होने वाली हरकतों से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक परिवार का मुखिया अपने परिवार की सुरक्षा करता है उसी प्रकार ईश्वर भी इस सृष्टि रूपी परिवार की सुरक्षा के लिए हर समय प्रयत्नशील रहते हैं। इसी के कारण वह आवश्यकता पड़ने पर एक दिन पृथ्वी पर स्वयं अवतरित होकर मानवता के कल्याण के लिए धर्म की स्थापना करेंगे।

कर्नल शिवदान सिंह

सार्वजनिक स्वास्थ्य के समक्ष नई चुनौती

देवेंद्रराज सुथार

> **2050 तक देश में बुजुर्गों की आबादी के लिए केयरगिवर्स और चिकित्सा सहायकों का एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा**

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 'नेशनल हेल्थ वर्कफोर्स अकाउंट्स 2026' के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2030 तक दुनिया को करीब 1.11 करोड़ हेल्थ वर्करों की कमी का सामना करना पड़ेगा। केवल आधारभूत ढांचे और नए अस्पतालों की इमारतें खड़ी कर देने से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। अस्पतालों का वास्तविक आधार वहां तैनात डाक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं। यदि समय रहते स्वास्थ्यकर्मियों की पर्याप्त तैनाती और उनकी उपलब्धता पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में वैश्विक स्तर पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा चरमरा सकता है।

इस संकट का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि दुनिया भर में हर चार में से एक चिकित्सक रिटायरमेंट की उम्र के करीब पहुंच चुका है। 122 देशों में लगभग 25 प्रतिशत डाक्टर 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। विकसित और अमीर देशों में तो यह आंकड़ा 31 प्रतिशत से भी अधिक है। यानी जहां एक तरफ दुनिया भर की आबादी तेजी से बुजुर्ग हो रही है और उसे अधिक मेडिकल देखभाल की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ इलाज करने वाले डाक्टर खुद उम्रदराज हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर मंडराते इस बड़े संकट के बीच भारत की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर दिखाई देती है। हमारे देश में केवल 12.35 प्रतिशत चिकित्सक ही 55 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। इसका अर्थ है कि भारत के पास युवा मेडिकल पेशेवरों की बड़ी ताकत मौजूद है, जो आने वाले दशकों तक देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभाले रख सकती है। देश में लगभग 14 लाख पंजीकृत एलोपैथिक और 7.5 लाख आयुष चिकित्सक मौजूद हैं, जिससे प्रति 811 व्यक्तियों पर एक डाक्टर की उपलब्धता का अनुपात बनता है। यह आंकड़ा वैश्विक मानकों के लिहाज से काफी संतोषजनक माना जा सकता है।

हालांकि इस बेहतर स्थिति के बावजूद भारत को आत्ममुग्धता से बचना होगा। नीति आयोग और विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2030 तक भारत को भी अपने हेल्थकेयर सिस्टम को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए करीब 25 लाख अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता होगी। वर्ष 2050 तक देश में बुजुर्गों की आबादी 34 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिसके लिए केयरगिवर्स और विशेष चिकित्सा सहायकों का एक विशाल ढांचा तैयार करना पड़ेगा। वर्तमान में भी देश के विभिन्न राज्यों के सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डाक्टरों तथा टेक्नीशियनों के हजारों पद खाली पड़े हैं। यदि भारत को दुनिया का हेल्थ हब बनना है और अपने प्रत्येक नागरिक तक सुलभ इलाज पहुंचाना है तो खाली पदों को भरने के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की तैनाती के लिए नीतिगत कदम उठाने होंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

खाद्य पदार्थों में मिलावट

'घटिया खाद्य सामग्री' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। भोजन हमारे जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है, लेकिन समय के साथ खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या बढ़ती जा रही है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। हाल में नेस्ले कंपनी के एक डेरी उत्पाद का नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरने की खबर ने फिर से खाद्य सुरक्षा के सवाल खड़े कर दिए हैं। बाजार में मिलावटी दूध, मिठाई, मसाले, तेल, पैकेज्ड खाद्य और पेय आदि पदार्थों का अंबार लगा हुआ है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित जांच के लिए एक सरकारी विभाग बना हुआ है, लेकिन लगता है कि उनमें काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसका अपराधी प्रवृत्ति के लोग बेजा फायदा उठाकर मिलावटी खाद्य पदार्थों को बाजार में धड़ल्ले से बेच रहे हैं। मिलावटखोरी को रोकने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति वाली सरकारों और जागरूक उपभोक्ताओं की जरूरत है। मिलावटी खाद्य पदार्थों की वजह से लोग मोटापा, मधुमेह, कैंसर, हाइपरटेंशन आदि विभिन्न बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। हम छोटे-छोटे घरेलू नुस्खों द्वारा असली और नकली खाद्य पदार्थों की पहचान कर सकते हैं। मिलावटखोरी अब महज धोखाधड़ी नहीं, बल्कि एक प्रकार की धीमी हत्या है। सरकार को इस दिशा में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। मिलावटखोरों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मिलावटखोरी के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन की भी जरूरत है।

हिमांशु शेखर, केसपा, गयाजी

पदक कम क्यों

ऐची-नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत एवं 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीते। इनमें से 11 स्वर्ण पदक अंतिम दो दिनों में प्राप्त हुए। कबड्डी, क्रिकेट एवं हाकी में भारत की पुरुष एवं महिला, दोनों ही टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। 17 वर्षीय कुमकुम मोहोड और गोल्फर प्रणवी उर्स ने इतिहास रचा। उच्च कोटि के प्रदर्शन के लिए भारतीय दल की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। जबकि हांगझोउ में 2023 में भारत को 107 पदक मिले थे, जिनमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल थे। पिछली बार के मुकाबले इस बार सात स्वर्ण सहित कुल 22 पदक कम मिले हैं। इसका प्रथम कारण है कि इस बार लगभग 500 एथलीट ही गए थे, जबकि हांगझोउ जाने वाले एथलीटों की संख्या 650 थी। इस बार भारत ने 495 एथलीट भेजे थे। शूटिंग में 22 के स्थान पर 15 ही पदक मिले। बैडमिंटन में भी अपेक्षाकृत प्रदर्शन नहीं हुआ। एथलेटिक्स में पिछली बार 29 पदक मिले थे, इस बार 24 से ही संतोष करना पड़ा। इस बार चेस, ब्रिज, रोलर स्पोर्ट्स एवं कैनोइंग को शामिल नहीं किया गया था। इन खेलों में भारत को पिछली बार छह पदक मिले थे। इनकी जगह सर्फिंग, एमएमए, पैडल, टेकबाल, वर्चुअल ताइक्वांडो एवं फ्रीस्टाइल जैसे नए खेल जोड़े गए थे। इस बार कुल पदक स्पर्धाएं भी 481 से घटकर 469 रह गईं। फिर भी भारत का यह दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन था। 2023 में भी भारत चीन, जापान एवं दक्षिण कोरिया के बाद चौथे स्थान पर था। इस बार भी वही स्थिति रही है।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

प्रकृति के साथ खिलवाड़

आज संकट केवल मौसम के बदलने का नहीं, बल्कि उसके अनुरूप हमारी तैयारियां न होने का भी है। देश के अलग अलग हिस्सों में कभी बारिश का इंतजार लंबा होता है तो कभी कुछ घंटों की मूसलधार बारिश ही बाढ़ जैसे हालात पैदा कर देती है। इसका खामियाजा खेती से लेकर शहरों की व्यवस्था तक को भुगतना पड़ता है, लेकिन हर बार प्रकृति को दोष देकर हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। तालाबों और जलधाराओं पर कब्जे, बेहिसाब कंक्रीटीकरण, भूजल का दोहन और घटते हरित क्षेत्र ने मौसम की मार को और घातक बना दिया है।

प्रमोद कुमार गोयल, मेरठ

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com. R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

22.68 लाख घटनाएं रिपोर्ट हुईं वर्ष 2024 में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर, जबकि 36.37 लाख का आंकड़ा विशेष रूप से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं से जुड़ा है।

आजकल

डिजिटल आर्थिकी में साइबर सुरक्षा कवच

डिजिटल भारत की कहानी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसके साथ एक दूसरी कहानी भी लगभग उसी गति से आकार ले रही है। यह कहानी साइबर ठगी की है। कभी जेब काटने के लिए अपराधी को आपके पास आना पड़ता था, अब उसे आपकी जेब तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं। एक फोन काल, एक संदेश, एक फर्जी लिंक, एक नकली वेबसाइट या वीडियो काल के जरिये वह आपके बैंक खाते तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। अपराधी और पीड़ित के बीच की भौतिक दूरी लगभग अप्रासंगिक हो गई है, लिहाजा इसके लिए बेहतर साइबर सुरक्षा कवच जरूरी है

डा. मुकुल श्रीवास्तव
सीनियर प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय

प्रतीकात्मक

भारत में डिजिटल भुगतान और आनलाइन सेवाओं का विस्तार आर्थिक अवसरों और सुविधा का बड़ा माध्यम बना है। लेकिन इसी डिजिटल विस्तार ने अपराधियों के लिए भी संभावनाओं का नया संसार खोल दिया है। समस्या केवल यह नहीं कि साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। असली चिंता यह है कि ठग अब तकनीक के साथ मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे केवल पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगते, वे डर पैदा करते हैं, लालच देते हैं, भरोसा पैदा करते हैं और कई बार पीड़ित को इतना मानसिक दबाव में डाल देते हैं कि वह स्वयं अपने खाते से रकम अपराधी के खाते में पहुंचा देता है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली पर वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की 36.37 लाख घटनाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं में नागरिकों द्वारा रिपोर्ट की गई कुल वित्तीय क्षति 22,845 करोड़ रुपये थी। 2023 में यह नुकसान 7,465 करोड़ रुपये था। यानी एक वर्ष में लगभग 206 प्रतिशत की वृद्धि। लेकिन यहां एक अंतर समझना जरूरी है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 2024 में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित 22.68 लाख घटनाएं रिपोर्ट हुईं, जबकि 36.37 लाख का आंकड़ा विशेष रूप से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं से संबंधित है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े भी इसी चिंता की पुष्टि करते हैं। क्राइम इन इंडिया 2024 के अनुसार, देश में साइबर अपराध की श्रेणी में 1,01,928 मामले दर्ज हुए, जबकि 2023 में इनकी संख्या 86,420 थी। यानी 17.9 प्रतिशत की वृद्धि। इन मामलों में 73,987 यानी 72.6 प्रतिशत मामलों में अपराध का उद्देश्य धोखाधड़ी था। अर्थात साइबर अपराध अब कोई हाशिये की समस्या नहीं है। यह सीधे नागरिक की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा अपराध बन चुका है। साइबर ठगी का पुराना तरीका अपेक्षाकृत सरल था- फोन आया, बैंक कर्मचारी बनकर ओटीपी पूछा और खाता खाली कर दिया। अब अपराधी समझ चुके हैं कि हर व्यक्ति ओटीपी नहीं बताएगा। इसलिए उन्होंने रणनीति बदली है।

कई मामलों में खाते के वास्तविक धारक को यह जानकारी नहीं होती कि उसके खाते का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा है। दूसरी ओर, कुछ मामलों में खाते उपलब्ध कराने के लिए कमीशन का लालच भी दिया जाता है। इससे साइबर अपराध की रकम को उसके मूल स्रोत तक पहुंचाना पुलिस के लिए कठिन हो जाता है।

सीमा-विहीन प्रकृति : साइबर अपराध की एक और चुनौती इसकी सीमा-विहीन प्रकृति है। अपराधी एक देश में, सर्वर दूसरे देश में और बैंक खाते किसी तीसरे स्थान पर इस्तेमाल कर सकता है। दक्षिण-पूर्व एशिया में मौजूद अंतरराष्ट्रीय स्कैम कंपाउंड्स से जुड़े मामलों में भारतीय नागरिकों को निशाना बनाए जाने और भारतीयों की तस्करी कर ऐसे नेटवर्क में काम कराने के मामले भी सामने आए हैं। इस स्थिति में स्थानीय पुलिस के सामने केवल अपराधी की पहचान का सवाल नहीं होता। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय सहयोग, डिजिटल साक्ष्य, बैंकिंग लेन-देन और अलग-अलग देशों की कानूनी प्रक्रियाओं का सवाल खड़ा होता है। यही कारण है कि साइबर अपराध की जांच पारंपरिक पुलिसिंग से अलग तकनीकी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की मांग करती है।

तकनीकी व्यवस्था विकसित करना : सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए कई व्यवस्थाएं विकसित की हैं। लेकिन तकनीकी व्यवस्था बनाना और उसका प्रभावी इस्तेमाल दो अलग बातें हैं। जिला स्तर पर जांच अधिकारियों को डिजिटल फोरेंसिक, क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शन, आनलाइन पहचान, बैंकिंग ट्रेल और अंतरराष्ट्रीय डिजिटल साक्ष्य की जांच में लगातार प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सरकार के अनुसार 30 जून, 2026 तक साइबर अपराध से निपटने के लिए साइबर फोरेंसिक और प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं 33 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित की जा चुकी थीं और 24,600 से अधिक कानून प्रवर्तन अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों तथा अभियोजकों को साइबर अपराध, जांच और फोरेंसिक से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा चुका था।

तकनीक कितनी भी सुरक्षित क्यों न हो, यदि नागरिक भय या लालच में गलत निर्णय लेता है तो सुरक्षा की कई परतें कमजोर पड़ सकती हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा को केवल कंप्यूटर विशेषज्ञों का विषय मानना भूल होगी।

डिजिटल ढांचे के प्रति भरोसा : भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का व्यापक रूप से विस्तार किया है। अब चुनौती केवल डिजिटल सेवाओं को अधिक तेज, सस्ता और सुविधाजनक बनाने की नहीं है। चुनौती यह भी है कि इस डिजिटल ढांचे में नागरिक का भरोसा बना रहे। सबसे अहम बात यह है कि साइबर ठगी को केवल 'आनलाइन फ्राड' कहकर छोटा नहीं किया जा सकता। जब एक व्यक्ति की वर्षों की बचत महज कुछ मिनट में चली जाती है, तो यह केवल तकनीकी अपराध नहीं रहता, यह उसके आर्थिक जीवन और सामाजिक विश्वास पर सीधा आघात होता है।

डिजिटल भारत की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होगी कि कितने लोग आनलाइन भुगतान कर रहे हैं या कितनी सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध हैं। उसकी असली परीक्षा यह होगी कि आम नागरिक इस डिजिटल दुनिया में कितना सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करता है।

साइबर अपराध घटित होने से पहले की सावधानी

आलोक वर्मा
साइबर मामलों के जानकार

साइबर ठगी होने के बाद हम क्या करते हैं? पीड़ित 1930 पर फोन करता है, शिकायत दर्ज होती है, बैंक खातों में रकम रोकने की कोशिश होती है और पुलिस अपराधियों की तलाश शुरू करती है। लेकिन साइबर अपराध जिस गति से बदल रहा है, उसमें अब एक दूसरा सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। क्या उस बैंक खाते, मोबाइल नंबर या डिजिटल गतिविधि को ठगी होने से पहले पहचाना जा सकता है जिसका इस्तेमाल अपराध में होने वाला है? साइबर अपराधियों और वित्तीय अपराध में लिप्त खातों के केंद्रीय डाटाबेस यानी संदिग्ध रजिस्ट्री में 30 जून तक बैंकों से 30.48 लाख से अधिक संदिग्ध पहचान संबंधी डाटा प्राप्त हुए थे। यह आंकड़ा साइबर अपराध से लड़ाई की अगली दिशा की तरफ इशारा करता है।

एक सामान्य बैंक खाते का उदाहरण लीजिए। उसमें महीनों तक छोटे घरेलू लेनदेन होते हैं। अचानक लाखों रुपये आने लगते हैं और रकम आते ही कई दूसरे खातों में भेजी जाने लगती है। खाताधारक के पुराने व्यवहार और नए लेनदेन में कोई मेल नहीं है। ऐसे में क्या बैंक को किसी पीड़ित की शिकायत का इंतजार करना चाहिए या तकनीक इस असामान्य व्यवहार को पहले ही पहचान सकती है? भारत डिजिटल भुगतान खुफिया निगम की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य एआइ, मशीन लर्निंग और बिग डाटा की मदद से डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी की वास्तविक समय में पहचान, रोकथाम और विश्लेषण करना है। हालांकि इसमें एक चिंता यह भी है कि यदि किसी एल्गोरिदम ने वास्तविक ग्राहक के वैध लेनदेन को संदिग्ध मान लिया तो क्या होगा? किसी छोटे व्यापारी के खाते में त्योहार के दौरान अचानक सामान्य से कई गुना ज्यादा रकम आ सकती है। किसी परिवार को मकान बेचने पर बड़ी रकम मिल सकती है। असामान्य लेनदेन हमेशा अपराध नहीं होता। इसलिए तकनीक को अपराधी से तेज बनाने के साथ निर्दोष नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा भी जरूरी होगी।

किसी खाते पर संदेह होने और उसके अपराध में शामिल साबित होने में फर्क है। यदि तकनीक के आधार पर भुगतान रोका जाता है तो ग्राहक को उसका कारण जानने, अपनी पहचान और लेनदेन प्रमाणित करने तथा गलत रोक को तेजी से हटवाने की व्यवस्था भी चाहिए। इसीलिए भविष्य की साइबर सुरक्षा का सवाल केवल अधिक शक्तिशाली एआइ नहीं, बल्कि जवाबदेह एआइ भी है। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की 32.80 लाख से अधिक शिकायतों में 11,158 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम बचाई गई।

पर अब सफलता का पैमाना भी बदलना चाहिए। पुलिस ने कितने साइबर अपराधी गिरफ्तार किए, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ यह आंकड़ा भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए कि कितनी संभावित ठगी नुकसान होने से पहले रोक दी गई। साइबर सुरक्षा में सबसे अच्छी जांच वह भी हो सकती है जिसकी जरूरत ही न पड़े, क्योंकि तकनीक और समय पर मिले संकेत ने अपराध को पूरा होने से पहले रोक दिया। वस्तुतः भारत ने डिजिटल भुगतान को आसान बनाने में बड़ी दूरी तय की है।

अब अगली चुनौती उसे सुरक्षित बनाने की है। साइबर अपराधी अगर डाटा और तकनीक से अपना अगला शिकार खोज रहा है तो सुरक्षा व्यवस्था को भी उपलब्ध डाटा से खतरे का अगला संकेत खोजना होगा। आने वाले समय में साइबर अपराध से लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण सवाल शायद यह नहीं होगा कि ठगी के बाद अपराधी कितनी जल्दी पकड़ा गया। सवाल यह होगा कि खतरे के संकेत पहले से मौजूद थे तो फिर ठगी होने ही क्यों दी गई?

खरी-खरी

वीकेंड वाला पहाड़

निर्मल गुप्त

हमारे यहां एक अजीब बीमारी है। वीकेंड आते ही पहाड़ याद आना। सोमवार से शुक्रवार तक आदमी एसी आफिस में बैठा-बैठा कहता है, उफ्फ, बड़ा पाल्यूशन है, बड़ी टेंशन है, बस पहाड़ मिल जाए, सुकून मिल जाए। शनिवार सुबह होते ही सुकून की घरघराहट शुरू होती है। घर से निकलते ही पता चलता है कि वह अकेला सपरिवार सुकून खोजने नहीं निकला, पूरा उत्तर भारत निकला है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, मेरठ – सब एकसाथ। सबको एक ही पहाड़ दिख रहा है। मसूरी, नैनीताल, शिमला। जैसे गूगल मैप ने सबको एक ही लोकेशन पिन करके भेज दिया हो कि इधर ही शांति मिलेगी, और कहीं नहीं। और फिर शुरू होता है महाजाम।

रुड़की से पहले, देहरादून से पहले, हरिद्वार बाईपास पर। गाड़ियां ऐसी रेंग रही हैं जैसे पहाड़ खुद चल कर मैदान में आ गया। अब यहीं पर हमारा असली राष्ट्रीय चरित्र दिखता है। ट्रैफिक सेंस हमारे यहां आप्शनल सब्जेक्ट है। पास होना जरूरी नहीं। गाड़ी भले ही चार घंटे से एक ही जगह खड़ी हो, जुबान एक सेकेंड को नहीं रुकती।

हर आदमी ट्रैफिक एक्सपर्ट है। हर आदमी दूसरे को समझा रहा है। बस खुद गलत लेन में खड़ा है, गलत साइड से आया है, और हेलमेट डिक्की में रखा है। दो घंटे बाद जब गाड़ी थोड़ी चलती है, तो पता चलता है जाम की वजह एक छोटा सा गड्ढा, या एक ई-रिक्शा जो बीच सड़क पर सवारी उतार रहा है। इतने बड़े जाम की इतनी छोटी वजह। किसी तरह घिसट-घिसट कर आदमी पहाड़ पर पहुंचता है।

पहुंचते ही दूसरा जाम। माल रोड जाम, पार्किंग जाम, होटल वाले कह रहे हैं- साब, रूम नहीं है। है भी तो 2500 वाला पांच हजार में। भीड़ इतनी कि पहाड़ कम, आदमी ज्यादा दिख रहे हैं। धुंध कम, धुआं ज्यादा है। शांति ढूंढने आए थे, यहां कोलाहल मिल रहा है। फिर भी आदमी हिम्मत नहीं हारता। उसी जाम में खड़ा होकर, उसी भीड़ के बीच सेल्फी लेता है और इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करता है- सुकून तो दरअसल यहीं है। फिर उसे देखने वाले भी अगले वीकेंड वहां जाने का प्लान बनाते हैं।

X पोस्ट

जापान और जर्मनी जैसे देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी तरह बर्बाद हो गए थे, लेकिन उनकी अगली पीढ़ियों ने आतंक की राह नहीं पकड़ी। इसलिए आतंक को वाजिब ठहराने के लिए बहाने बनाना बंद कीजिए।

एम. गिब्सन@MelGibsonstory

नोएडा में इमारत से कूदकर जान देने वाले इंजीनियर के आसपास लोग जमा थे और उसका वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे पकड़ने या कूदने से रोकने की कोई बहुत कारगर कोशिश नहीं की। एक समाज के तौर पर हम इसी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं।

सुमंत रमण@sumanthraman

हम एशियाड में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीतने की खुशी मना ही रहे थे कि वेस्टइंडीज के खिलाफ 351 रन बनाकर हम वनडे मैच हार गए। शाई होप का शतक केएल राहुल की शतकीय पारी पर भारी पड़ गया। बुमराह की विकेट लेने की क्षमता भी कमजोर पड़ रही है। अगला वनडे विश्व कप दक्षिण अफ्रीका की मुश्किल पिचों पर ही होना है। याद रहे कि मैच गेंदबाज ही जिताते हैं।

सुशील दोशी@RealSushilDoshi

अजय जायसवाल
उप राजनीतिक संपादक, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश डायरी

चेहरों से संदेश, सेंधमारी से शक्ति परीक्षण

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की दस्तक तेज हो चुकी है, पर समीकरणों के लिए चेहरों से संदेश और सेंधमारी से शक्ति के प्रदर्शन तक सियासी दांव-पेच जोरों पर है। विधानसभा की बड़ी परीक्षा से पहले राज्यसभा की 10 और विधान परिषद (शिक्षक-स्नातक निर्वाचन क्षेत्र) की 11 सीटों के लिए इसी माह होने जा रहा चुनाव राजनीतिक दलों की रणनीतिक चाल की परीक्षा लेगा। राज्यसभा चुनाव में भाजपा की सात और सपा की दो सीटों पर तो जीत पक्की है, लेकिन असली लड़ाई 10वीं सीट पर है, जिस पर दोनों दल प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं। इसके भी ऊपर वोटों का गणित बिठाने के लिए दोनों दलों के एक-दूसरे में सेंधमारी के दावे से चुनावी माहौल और शक्ति के परीक्षण का रास्ता खुल गया है। दूसरी तरफ विधान परिषद सदस्य के चुनाव में जीत-हार भी विधान सभा चुनाव से पहले बड़ा संदेश देगी।

सपा ने भाजपा के दो बागियों को प्रत्याशी बनाकर चुनौती पेश कर दी है। ऐसे में दोनों चुनावों में राजनीतिक दलों के संख्या बल के साथ अनुशासन, असंतुष्टों पर पकड़, सहयोगी दलों के भरोसे, प्रत्याशी चयन और क्रास वोटिंग की क्षमता भी परखी जाएगी।

राज्यसभा चुनाव में मौजूदा विधायकों की संख्या के हिसाब से भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए सात सीटें आसानी से निकाल सकता है और सपा-कांग्रेस गठजोड़ दो सीटें। चुनाव की घोषणा के बाद ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीन प्रत्याशी उतारने और भाजपा को चौंकाने का दावा किया। अखिलेश ने पार्टी के प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव के साथ उद्योग जगत से जुड़े धनराज परिमल नाथवानी का नाम घोषित कर चौंकाया भी। अब भी तीसरे प्रत्याशी का दावा बरकरार है और सेंधमारी का खेल शुरू हो चुका है। सपा अध्यक्ष कह चुके हैं कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं और कुछ वापस आना चाहते हैं। दूसरी तरफ भाजपा के लिए भी आठवीं सीट का गणित आसान नहीं है। इस बीच उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सपा के 25 विधायकों के संपर्क में होने के दावे और भाजपा के नौवां पर्चा खरीदने से नई चर्चाएं शुरू हो गईं हैं। वर्ष 2024 के राज्यसभा चुनाव में सपा के कुछ विधायकों के भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने का अनुभव दोनों दलों के सामने है। इस बार भी क्रास वोटिंग होती है, तो सवाल यह उठेगा कि सेंध किस खेमे में लगी और क्यों लगी? ऐसे में राज्यसभा के नतीजे भी चौंका सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन। फाइल

दूसरी तरफ विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने 11 उम्मीदवारों में तीन मौजूदा एमएलसी को दोबारा उतारा है, लेकिन टिकट बंटवारे से उपजी नाराजगी के सहारे सपा को सियासी सेंधमारी का अवसर मिला। सपा ने पहले ही सभी 11 सीटों पर तीन मौजूदा एमएलसी सहित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, लेकिन बाद में आगरा शिक्षक सीट पर अपना प्रत्याशी बदलकर भाजपा से टिकट मांग रहे मौजूदा निर्दल एमएलसी आकाश अग्रवाल और गोरखपुर-फैजाबाद सीट पर अपने घोषित प्रत्याशी को बदलकर भाजपा से बगावत करने वाले डा. संजयन त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षक और स्नातक मतदाता केवल संख्या नहीं, अपने-अपने सामाजिक दायरे में राय बनाने वाले वर्ग भी हैं, इसलिए यहां का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव के लिए संगठन के प्रभाव और शिक्षित वर्ग के बीच राजनीतिक पकड़ का संकेत माना जाएगा।

इन चुनावों की हलचल के बीच कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी तैयारी को धार दिया है। विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' को प्रदेश अध्यक्ष, सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष, देवेंद्र निषाद और आलोक प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया है। मोना ब्राह्मण चेहरा हैं, मसूद पश्चिमी यूपी के प्रमुख मुस्लिम नेता, देवेंद्र निषाद समुदाय से और आलोक प्रसाद पासी समुदाय से आते हैं। यह कांग्रेस की अपने सामाजिक विस्तार की कोशिश है। इस बीच बसपा में आकाश आनंद की फिर वापसी के भी संकेत मिल रहे हैं।

वहीं पूर्व आइएएस दिव्या मित्तल भी राजनीति में उतर आई हैं। मीरजापुर की जिलाधिकारी रहते कई नई पहल से पहचान बनाने वाली वर्ष 2013 बैच की दिव्या ने अगस्त में इस्तीफा दिया था। दिव्या के अपना दल बनाने का कितना असर होता है, यह तो बाद की बात है, लेकिन उनका प्रवेश ऐसे समय में हुआ है, जब सभी दल युवा, शिक्षित और प्रशासन से सीधे जवाबदेही चाहने वाले वर्ग तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ है कि राज्यसभा और परिषद के चुनाव, सीटों की गिनती से कहीं अधिक 'सियासी तापमान' नापने वाले हैं। नए राजनीतिक चेहरे बताएंगे कि चुनावी मैदान में पुराने समीकरणों के साथ कितनी नई जगह बन सकी है?

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आराधना मिश्रा को उत्तर प्रदेश और परगट सिंह को पंजाब का अध्यक्ष बनाने से कांग्रेस को चुनावों में लाभ मिलेगा?

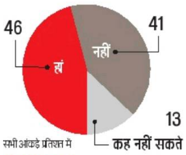

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या वनडे विश्व कप की तैयारियों के सिलसिले में गेंदबाजी भारत की सबसे कमजोर कड़ी बनती दिख रही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

बाभन को आराधना मुस्लिम को इमरान,
लुभा-लुभा कांग्रेस हित भरें वोट की खान।
भरें वोट की खान फील्डिंग तो है बढ़िया,
लेकिन यह दुर्भाग्य मिला नेता भड़भड़िया।
सुनकर उसके बोल रूठ जाता है जन-जन,
रहें साथ अखिलेश तो क्यों रीझेगा बाभन!

-ओम प्रकाश तिवारी

छत्तीसगढ़ डायरी

सिंगापुर से निवेश की उम्मीद

सतीश चंद्र श्रीवास्तव
संपादकीय प्रभारी, रायपुर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इन दिनों सिंगापुर की यात्रा पर हैं। प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद भरे दौरे में पांच वरिष्ठ अधिकारी भी साथ गए हैं। यद्यपि विपक्षी दल कांग्रेस ने आयोजन में भागीदारी को सैर-सपाटा तथा फिजूलखर्ची बताते हुए पिछले ढाई वर्षों में निवेश के दावों को विफल करार दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आठ लाख करोड़ रुपये निवेश से रोजगार के दो लाख अवसर सृजन के आंकड़े के साथ सफलता के दावे ठोक रही है। अब छह अक्टूबर को मुख्यमंत्री की वापसी के बाद ही निवेश प्रस्तावों की तस्वीर साफ होगी। तब तक दौरे पर चर्चा का दौर जारी रहेगा।

भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की सबसे बड़ी चिंता यही है कि आयोजन में भागीदारी के लिए छत्तीसगढ़ का चुनाव क्यों हुआ। मुद्दा इसलिए भी विशेष है कि विदेश मंत्रालय ने पहली बार आयोजित सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फार ग्रोथ (सिंग) फोरम 2026 में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ को चुना है। आम तौर पर प्राथमिकता सूची में अंतिम स्थान रखने वाले प्रदेशवासियों के लिए यह गर्व का विषय हो सकता है, परंतु संदेश और सवाल को लोकतंत्र की ताकत बनाने वाले पहले ही समीक्षा में जुट गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री सिंगापुर के निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों को आइटी, एआइ, डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रानिक्स, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भागीदारी के लिए निमंत्रित करेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ दौरे पर गए मुख्य सचिव विकास शील के पास समग्र प्रशासनिक व्यवस्था के साथ निवेश नीति की भी जिम्मेदारी है तो प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह रणनीतिक समन्वयक की भूमिका में हैं। वाणिज्य व उद्योग सचिव रजत कुमार, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन (सीएसआइडीसी) के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार और मुख्यमंत्री के ओएसडी उमेश अग्रवाल का तालमेल इस दौरे की सफलता की पृष्ठभूमि तैयार करेगा। उम्मीद की जा रही है कि कौशल विकास, वन्यजीव संरक्षण, उद्यानिकी और हरित विकास (ग्रीन ग्रोथ) के क्षेत्र में भी सिंगापुर के संस्थानों के साथ संवाद लाभकारी रहेगा। रायपुर, नया रायपुर, भिलाई और दुर्ग में 50 लाख की प्रस्तावित आबादी के साथ स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) की परिकल्पना में पहले ही आइटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और निवेश, स्टार्टअप एवं उद्यमिता, परिवहन और ग्रीन एवं स्मार्ट शहरी विकास की परिकल्पनाएं हैं।

प्रदेश सरकार का दावा है कि नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के बाद निवेश प्रस्तावों में तेजी आई है और 18 महीनों में ही लगभग दो लाख लोगों को रोजगार देने वाली 290 परियोजनाओं के लिए आंकड़ा आठ लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव तक पहुंच गया है। इनमें लगभग 175 परियोजनाओं में काम शुरू होने का भी दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के वर्तमान दौरे को सिंगापुर से मिलने वाले प्रस्ताव, एमओयू, पूंजी निवेश और रोजगार के अवसर की कसौटी पर कसी जाएगी। यद्यपि विपक्ष का दावा है कि जून 2025 तक प्रदेश में पंजीकृत लगभग 19 हजार औद्योगिक इकाइयों में चार हजार बंद हो गई थीं। ऐसे में सिंगापुर दौरा सिर्फ निवेश प्रचार अभियान बनकर नहीं रह जाए।

सिंगापुर के प्रतिनिधियों के साथ (बाएं दोनों) विष्णु देव साय (बीच में) एवं अन्य अधिकारी। डीपीआर

प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दल परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। स्मृति ईरानी को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद से युवा भाजपा नेताओं में कुछ विशेष उत्साह उत्पन्न हो गया है तो झारखंड से सांसद सुखदेव भगत को कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने के बाद नए समीकरणों की उम्मीद और मजबूत हो गई है। ईडी के आरोप पत्र में महादेव आनलाइन सट्टा से अवैध आय का आंकड़ा 94 हजार करोड़ पहुंचने के साथ ही भिलाई स्टील प्लांट में हर महीने 100 से 125 करोड़ रुपये की चोरी वाली तीन हजार करोड़ के भ्रष्टाचार में सीबीआइ जांच शुरू से राजनीतिक संरक्षकों के नाम भी सामने आने की उम्मीद जग गई है।

आइआरएस का वीआरएस : आइआरएस शीतल शाश्वत वर्मा का वीआरएस चर्चा में है। वित्त विभाग में विशेष सचिव की भूमिका निभा रहीं भारतीय राजस्व सेवा की 2005 बैच की अधिकारी वर्मा ने केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पर छत्तीसगढ़ छोड़ने की जगह स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का मार्ग चुन लिया। तालमेल और कदमताल की बात तब समझ आई जब प्रदेश सरकार ने उन्हें पांच वर्षों के लिए संविदा नियुक्ति पर भी रख लिया। अब वह मुख्य सचिव के कार्यालय में विशेष सचिव होंगी। इसी के साथ सभी को याद आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के कार्यकाल में प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह। वह भी भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी थे और केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर वीआरएस लेकर यहीं पांच साल साल की संविदा नियुक्ति प्राप्त करने में सफल रहे थे तथा 2018 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने पर त्यागपत्र देकर कारपोरेट जगत का हिस्सा बन गए।

दूसरी तिमाही में वेदांता की बिजली बिक्री 26 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली: चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के दौरान वेदांता पावर लिमिटेड की बिजली बिक्री में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही है। कंपनी के अनुसार, जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान उसने 555.3 करोड़ यूनिट बिजली की बिक्री की है। पिछले वर्ष समान तिमाही में कंपनी ने 443.3 करोड़ यूनिट बिजली की बिक्री की थी। पहली छमाही के दौरान कंपनी की बिजली बिक्री 32 प्रतिशत बढ़कर 1,081.7 करोड़ यूनिट रही है। (प्रेट्र)

कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद इस वर्ष त्योहारी सीजन के दौरान होम अप्लांसेज की बिक्री में दहाई अंक की वृद्धि होने की उम्मीद है।

–एनएस सतीश, सीईओ, हायर अप्लायंसेज

लोन की मंजूरी में कर्ज-आय अनुपात की अहम भूमिका

आमतौर पर माना जाता है कि आय और सिबिल या क्रेडिट स्कोर के आधार पर बैंक या वित्तीय संस्थान लोन मंजूर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक और वित्तीय संस्थान किसी भी प्रकार के लोन की मंजूरी देते समय विभिन्न कारकों पर आवेदन की जांच करते हैं। इसमें में कर्ज-आय अनुपात भी एक प्रमुख कारक है। यदि किसी आवेदक का कर्ज-आय अनुपात मानक से अधिक है तो उसका लोन आवेदन खारिज हो सकता है। पर्सनल लोन के मामले में इस कारक का बेहद ध्यान रखा जाता है। दैनिक जागरण के उप समाचार संपादक **मनोज कुमार** बता रहे हैं कर्ज-आय अनुपात और इसके मानकों के बारे में...

लोन की मंजूरी पर असर

यदि आपका कर्ज-आय अनुपात बहुत अच्छी या अच्छी श्रेणी में है तो आपका लोन आसानी से मंजूर हो जाएगा। साथ ही बैंक या वित्तीय संस्थान कम अनुपात के चलते ब्याज दर में छूट भी दे सकते हैं। यदि अनुपात संतोषजनक स्थिति में है तो भी लोन मंजूर होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे मामलों में थोड़ा ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। ज्यादा जोखिम वाला कर्ज आय अनुपात की संभावना में बैंकों से नया कर्ज मिलने की संभावना न के बराबर होती है। हालांकि, कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) ज्यादा ब्याज दर पर लोन दे सकती हैं।

क्या है कर्ज आय अनुपात

कर्ज-आय अनुपात के महत्वपूर्ण वित्तीय मानक है। कम कर्ज-आय अनुपात दर्शाता है कि आप अपने कर्जों या लोन का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर रहे हैं और आप नया कर्ज लेने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। इसके विपरीत, ज्यादा कर्ज-आय अनुपात दर्शाता है कि आप वित्तीय तनाव में हैं और इससे नए लोन पाने में दिक्कत हो सकती है। कर्ज-आय अनुपात के आधार पर लोन की राशि में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है।

ऐसे होती है कर्ज-आय अनुपात की गणना

किसी भी व्यक्ति के कर्ज-आय अनुपात की गणना उसके कुल मासिक कर्ज भुगतान और उसकी कुल मासिक आय के आधार पर होती है। इसका फार्मूला है-

कर्ज-आय अनुपात = (कुल मासिक कर्ज भुगतान/कुल मासिक आय) x 100

मान लीजिए आपका कुल मासिक कर्ज भुगतान 33 हजार रुपये है और कुल मासिक आय एक लाख रुपये है। ऐसे में आपका कर्ज-आय अनुपात (33,000/1,00,000) x 100 = 33 प्रतिशत होगा।

इसका मतलब यह है कि आपकी कुल आय का 33 प्रतिशत हिस्सा कर्ज भुगतान में जाता है।

कर्ज-आय अनुपात के मानक

- 20 प्रतिशत से कम : बहुत अच्छा
- 20-35 प्रतिशत : अच्छा
- 36-40 प्रतिशत : संतोषजनक
- 40 प्रतिशत से ज्यादा : ज्यादा जोखिम

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

कर्ज-आय अनुपात में कमी कैसे लाएं

- सबसे पहले महंगे ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान करें (यदि कोई है)
- पर्सनल लोन लेकर अलग-अलग कर्जों को खत्म करें केवल एक कर्ज रखें। इससे मासिक किस्त में भी कमी आएगी
- कर्ज-आय अनुपात को संतुलित करने के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनाएं
- जब तक कर्ज-आय अनुपात में सुधार न हो, तब तक नया लोन लेने से परहेज करें

खास बातें

- प्रत्येक कुछ महीने बाद अपने कर्ज-आय अनुपात की जांच करते रहें। खासतौर पर लोन के लिए आवेदन करने से पहले इसकी जांच करें।
- कर्ज-आय अनुपात आपके कुल कर्ज और कुल आय पर निर्भर करता है। कर्ज में वृद्धि या आय में कमी से कर्ज-आय अनुपात बढ़ता है।
- बैंक या वित्तीय संस्थान आमतौर पर लोन आवेदन को मंजूरी देते समय 40 प्रतिशत से कम कर्ज-आय अनुपात को प्राथमिकता देते हैं। ज्यादा कर्ज-आय अनुपात से लोन आवेदन खारिज हो सकता है।

जागरण इन्फो

मुश्किल क्षेत्रों से निकलने वाली प्राकृतिक गैस का मूल्य बढ़ाया

सरकार ने अधिकतम मूल्य सीमा 9.89 डालर प्रति एमएमबीटीयू तय की, रिलायंस और बीपी को होगा फायदा

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी के केजी-डी6 ब्लाक जैसे मुश्किल क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस की अधिकतम कीमत सीमा बढ़ाकर 9.89 डालर प्रति एमएमबीटीयू कर दी है। यह नई कीमत सीमा एक अक्टूबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक लागू रहेगी। इससे पहले यह सीमा 8.90 डालर प्रति इकाई थी। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और आयल इंडिया लिमिटेड के पुराने क्षेत्रों से उत्पादित गैस की कीमत सात डालर प्रति इकाई पर कायम रहेगी। यह बदलाव गहरे समुद्र, बेहद-गहरे समुद्र और उच्च दबाव एवं उच्च तापमान वाले क्षेत्रों से निकलने वाली गैस पर लागू होगा।

प्राकृतिक गैस उर्वरक उत्पादन में प्रमुख कच्चा माल है। इसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन के साथ-साथ शहर गैस वितरण कंपनियों द्वारा सीएनजी और पाइप के जरिये घरों में आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति में भी किया जाता है। ऐसे में घरेलू गैस की कीमतों में बदलाव का असर इन क्षेत्रों की लागत पर पड़ सकता है। सरकार की नीति के तहत ऐसे मुश्किल क्षेत्रों से गैस निकालने वाली कंपनियों को विपणन और कीमत तय करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उनके लिए सरकार द्वारा एक अधिकतम कीमत सीमा तय की जाती है।

बढ़ती महंगाई के बीच 0.25% बढ़ सकता है रेपो रेट

आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से, सात को गवर्नर देंगे फैसलों की जानकारी

मुंबई, प्रेट्र: अर्थशास्त्रियों और बैंक अधिकारियों का मानना है पश्चिम एशिया संकट के दोबारा गहराने से पैदा हुए मुद्रास्फीति के दबाव के बीच आरबीआइ अक्टूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा (एमपीसी) में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। प्रेट्र के सर्वे के मुताबिक, सोलह अर्थशास्त्रियों और वरिष्ठ बैंक अधिकारियों का मानना है कि यदि आगामी नीतिगत समीक्षा में केंद्रीय बैंक दरों में वृद्धि करता है, तो यह ब्याज दर नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत होगा। एमपीसी की बैठक सोमवार से शुरू हो रही है। आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे।

2025 में दरों में कटौती और उसके बाद लंबे समय तक ठहराव देखा गया था। रेपो रेट में आखिरी बार वृद्धि जनवरी, 2023 में की गई थी और उस समय आरबीआइ ने दर को 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया था। इसके बाद उसने 2023-24 के दौरान दर को अपरिवर्तित रखा और फिर 2025 में कटौती का चक्र शुरू किया। इस समय आरबीआइ की नीतिगत रेपो दर 5.25 प्रतिशत पर है। यूनियन बैंक आफ इंडिया की मुख्य आर्थिक सलाहकार कनिका पसरीचा ने कहा, वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में बढ़ोतरी के साथ तालमेल बैठाने, बढ़ती मुद्रास्फीति के जोखिम और मजबूत वृद्धि की रफ्तार ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए नीतिगत गुंजाइश देती है।

क्रिसिल की प्रमुख अर्थशास्त्री दीप्ति देशपांडे ने कहा कि पिछली नीति के बाद से मुख्य रूप से पश्चिम एशिया संघर्ष के फिर से भड़कने और ऊर्जा तथा जिंस की कीमतों में तेजी के कारण मुद्रास्फीति का दबाव और बढ़ गया है। यदि यह दबाव जारी रहता है, तो आगे दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। सर्वे में शामिल शामिल ज्यादातर विशेषज्ञों को आगामी नीतिगत समीक्षा में सख्त रुख के साथ ब्याज दर में बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है। हालांकि, नीतिगत रुख में कोई बदलाव होगा या नहीं, इस पर राय बंटी हुई है।

जीडीपी वृद्धि के अनुमान को ऊपर की ओर बढ़ा सकता है आरबीआइ: ज्यादातर विशेषज्ञों को उम्मीद है कि आरबीआइ चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि के अनुमान को ऊपर की ओर बढ़ाएगा, क्योंकि पहली छमाही में उम्मीद से ज्यादा मजबूत आर्थिक गतिविधियां इसका समर्थन कर रही हैं। डीबीएस बैंक में सीनियर अर्थशास्त्री और कार्यकारी निदेशक राधिका राव को सात प्रतिशत से ऊपर की ओर संशोधित किए जाने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंक ने अपनी अगस्त की मौद्रिक नीति में 2026-27 के लिए रियल जीडीपी वृद्धि 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था, जिसमें पहली तिमाही में सात प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.8 प्रतिशत रहनी थी।

- रेपो रेट में आखिरी बार वृद्धि जनवरी, 2023 में की गई थी और उस समय दर को 0.25% बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया गया था
- इसके बाद 2023-24 में दर को अपरिवर्तित रखा गया और फिर 2025 में कटौती का चक्र शुरू किया, अभी 5.25 प्रतिशत है रेपो रेट

अगस्त में आठ महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है खुदरा महंगाई

भारत की खुदरा महंगाई अगस्त में बढ़कर आठ महीने के सबसे ऊंचे स्तर 4.82 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो जुलाई में 4.45 प्रतिशत थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) आधारित महंगाई दर लगातार तीन महीनों से आरबीआइ के चार प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर रही है। मई में यह 3.93 प्रतिशत से बढ़कर जून में 4.38 प्रतिशत और जुलाई में 4.45 प्रतिशत हो गई। अगस्त की महंगाई दर सीपीआइ की नई सीरीज के तहत अब तक का सबसे ऊंचा स्तर था, जिसका आधार वर्ष 2024 है। अगस्त में मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2027 के लिए सीपीआइ महंगाई पांच प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

12 लाख करोड़ रुपये हो सकता है जियो प्लेटफार्म्स का मूल्यांकन

नई दिल्ली, प्रेट्र: जियो प्लेटफार्म्स इस महीने के आखिर तक 143-146 अरब डालर (12 लाख करोड़ से ज्यादा) के एंटरप्राइज मूल्यांकन पर सूचीबद्ध हो सकती है। जियो प्लेटफार्म्स के आइपीओ को भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम बताया जा रहा है और इसका अनुमानित आकार 3.8 अरब डालर है। कंपनी ने विदेश में रोडशो पूरे कर लिए हैं और उम्मीद है कि 12 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में आइपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी के पास अंतिम दस्तावेज जमा कर देगी।

अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई, हांगकांग और सिंगापुर में हुए रोडशो का नेतृत्व जियो प्लेटफार्म्स के प्रबंध निदेशक और रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने किया। बैंकिंग सूत्रों ने बताया कि दशहरा से पहले एंकर निवेशक से धन जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आइपीआइ के दशहरा के बाद 23 अक्टूबर से पहले खुलने की उम्मीद है। कंपनी ने जून में मसौदा दस्तावेज पास जमा किए थे। दस्तावेजों के मुताबिक, कंपनी 27 करोड़ तक नए शेयर जारी करने की योजना बना रही है और यह उसके कुल इक्विटी बेस का लगभग 2.9 प्रतिशत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जियो प्लेटफार्म्स की लगभग 66.4 प्रतिशत हिस्सेदारी और मेटा और गूगल के पास मिलाकर लगभग 17.7 प्रतिशत हिस्सा है। यह 2008 के बाद रिलायंस समूह का पहला सार्वजनिक निर्गम होगा।

- 12 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में आइपीओ दस्तावेज जमा कर सकती है कंपनी
- 3.8 अरब डालर हो सकता है आइपीओ का आकार, 27 करोड़ तक नए शेयर जारी होंगे

व्यापार समझौते पर भारत-कनाडा में पांचवें दौर की वार्ता आज से

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित कांप्रिहेंसिव इकोनमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीईपीए) के लिए वार्ता का पांचवां चरण सोमवार से ओटावा में शुरू होगा। यह वार्ता नौ अक्टूबर तक चलेगी।

प्रस्तावित व्यापार समझौते पर तेजी से बातचीत करने का मुख्य मकसद कैलेंडर वर्ष 2026 के आखिर तक बातचीत खत्म करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस साल दिसंबर के आसपास कनाडा जाने की उम्मीद है। इसका संकेत पिछले महीने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दिया था। सीईपीए एक तरह का मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें दो देश अपने बीच ट्रेड होने वाले ज्यादा से ज्यादा सामान पर कस्टम ड्यूटी या तो काफी कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। दोनों देशों ने पहली बार 2015 में बातचीत शुरू की थी। 2015-17 के दौरान, उन्होंने प्रस्तावित समझौते पर आधा दर्जन से ज्यादा राउंड की बातचीत की। हालांकि, उसके बाद बातचीत रुक गई थी।

राष्ट्रीय फलक

असुरक्षित निकला एवरेस्ट का जीरा पाउडर, बाजार से वापस लेनी होगी खेप

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स को पैकेटबंद जीरा पाउडर बाजार से तत्काल वापस मंगाने का आदेश दिया है। इसका नमूना परीक्षण में असुरक्षित पाया गया था। इसलिए खाद्य नियामक ने यह कार्रवाई की है। एफएसएसएआइ ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी गंभीर कमियों के कारण बंगाल के क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड का खाद्य लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

एफएसएसएआइ ने रविवार को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट में बताया कि गोवा में रिवरसाइड रिजार्ट्स एंड हालिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से जीरा पाउडर का नमूना लिया गया था। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में एजोक्सीस्ट्रोबिन और थियामेथोक्साम नामक कीटनाशकों के अवशेष निर्धारित सीमा से अधिक पाए गए। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नमूने को 'असुरक्षित' घोषित किया गया। कंपनी को रिपोर्ट के खिलाफ अपील का अवसर दिया गया। इसके बाद नमूना खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। वहां भी जांच में दोनों कीटनाशकों के अवशेष निर्धारित सीमा से अधिक पाए गए। इसके बाद एफएसएसएआइ ने संबंधित खेप के जीरा पाउडर (बैच नंबर ई080668761) को बाजार से तत्काल वापस मंगाने का निर्देश दिया।

- एफएसएसएआइ ने एवरेस्ट फूड को दिया आदेश, निर्धारित सीमा से अधिक पाए एजोक्सीस्ट्रोबिन और थियामेथोक्साम के अवशेष

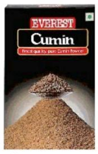

प्रतीकात्मक।

एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स को वापस मंगाए गए उत्पाद का पूरा रिकार्ड रखने और इसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। एफएसएसएआइ ने खाद्य कारोबार संचालक को ऐसी घटना दोबारा न होने देने के लिए कदम उठाने और उत्पाद वापस मंगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी रिपोर्ट जमा करने को भी कहा है। खाद्य नियामक ने एक अन्य पोस्ट में कहा, स्वच्छता मानकों के पालन में कमियों के कारण क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड का एफएसएसएआइ लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निरीक्षण करने वाली टीम को फूड प्रोडक्शन और हैंडलिंग एरिया में गंदगी, ग्रीस, धूल, मकड़ी के जाले और मक्खियां मिलीं। खराब होने वाले कच्चे माल को खुले में रखा गया था। परिसर में मक्खियों को रोकने के सही इंतजाम नहीं थे। खिड़कियों में जाली नहीं लगी थी।

आइटीबीपी जवानों ने फतह की माउंट अभिगामिन चोटी

माउंट अभिगामिन चोटी में ध्वज फहराते आइटीबीपी के जवान। स्वयं

जासं, गोपेश्वर: उत्तराखंड में चमोली जिले के पैनखंडा क्षेत्र के साहसी युवाओं ने पर्वतारोहण के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। क्षेत्र के पर्वतारोही ज्योतिर्मठ मेरग निवासी कपिल राणा और गांधीनगर निवासी प्रेम प्रकाश ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (आइटीबीपी) के अभियान के तहत दुर्गम एवं चुनौतीपूर्ण 7,355 मीटर ऊंची चोटी माउंट अभिगामिन चोटी पर एक बार फिर सफलतापूर्वक तिरंगा लहराया है। 14 अगस्त को दल घमशाली पहुंचा और 16 सितंबर को एक महीने बाद 27 सदस्यीय दल ने 60 किलोमीटर पैदल चलकर भारत तिब्बत सीमा पर स्थित माउंट अभिगामिन पर फतह हासिल की।

हिमाचल में उमड़े पर्यटक, जाम ने छुड़ाया पसीना

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला

मानसून के विदा लेने के साथ ही पर्यटक पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। इस सप्ताहांत पर तीन दिन की छुट्टियां होने से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के पर्यटन स्थलों शिमला, मनाली, कसौली, चायल, मैक्लोडगंज व डलहौजी सहित अन्य स्थानों पर पहुंचे। पहाड़ पर पर्यटकों का दबाव बढ़ा तो उन्हें जाम से भी परेशान होना पड़ा। दो दिन जाम ने पर्यटकों को काफी परेशान किया, हालांकि रविवार को राहत रही। कई पर्यटकों को कमरे लेने के लिए भी भटकना पड़ा।

सप्ताहांत पर शिमला, मनाली, धर्मशाला सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर करीब एक लाख 10 हजार वाहन पहुंचे। इन वाहनों से करीब 2.50 लाख पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान हैं। शिमला के शोघी बैरियर से तीन दिन में करीब 50 हजार वाहनों की आवाजाही हुई। इनमें बड़ी संख्या में पर्यटक वाहन शामिल रहे। कुल्लू-मनाली में करीब 43 हजार वाहनों की आवाजाही हुई। धर्मशाला में करीब पांच हजार पर्यटक वाहन पहुंचे। इसके अलावा चंबा, डलहौजी व अन्य पर्यटक स्थलों पर 10 हजार पर्यटक वाहन पहुंचे। सोलन के कसौली व चायल में भी पर्यटक पहुंचे। कसौली में सप्ताहांत पर पर्यटकों की भरमार के अलावा द लारेंस स्कूल सनावर के तीन दिवसीय 179वें स्थापना दिवस समारोह को लेकर भी सैकड़ों वाहनों का जमावड़ा लगा। इससे कसौली की सड़कों पर वाहन रेंगते दिखे।

- शिमला, मनाली, कसौली, मैक्लोडगंज और डलहौजी रहे पर्यटकों से पैक
- दो दिन जाम ने पर्यटकों को किया खूब परेशान, रविवार को मिली थोड़ी राहत

हिमाचल के मैक्लोडगंज में रविवार को लगा यातायात जाम। पर्यटक वाहन बढ़ने से ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। जागरण >>

मसूरी तीसरे दिन भी जाम से बेहाल

जासं, मसूरी : तीन दिन के महा वीकेंड के अंतिम दिन भी मसूरी पर्यटकों से गुलजार रहा, लेकिन जाम ने फिर मुश्किलें बढ़ा दीं। पर्यटकों सहित स्थानीय लोग हांफते नजर आए। सुबह करीब छह बजे से ही गांधी चौक और लाइब्रेरी बाजार क्षेत्र में वाहनों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई। दिन चढ़ने के साथ यातायात का दबाव बढ़ता गया और दोपहर बाद तक यही हालात रहे। मसूरी से लौट रहे पर्यटक वाहनों के कारण देहरादून-मसूरी मार्ग पर भी यातायात का दबाव बना रहा। कई पर्यटक वाहन जाम में फंसे रहे।

अब बिना तकनीकी रुकावट के 10 हजार किमी तक दौड़ेंगी मालगाड़ियां

- आधुनिक सेंसर तकनीक और नई व्यवस्था से बार-बार जांच के झंझट से मिली राहत
- देशभर में लागू हुई व्यवस्था, बार-बार यार्डों में जांच में नहीं बर्बाद होगा समय

डीएफसी ट्रैक से गुजरती मालगाड़ी। साभार : रेलवे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

देशभर में पटरियों पर दौड़ने वाली मालगाड़ियों के पहियों की सुस्ती अब पूरी तरह टूटने वाली है और वे बिना किसी तकनीकी रुकावट के एक बार में पूरे 10 हजार किलोमीटर तक लगातार दौड़ेंगी। सामान की तेज आपूर्ति के लिए रेलवे बोर्ड ने 30 सितंबर को मालगाड़ियों के ब्रेक पावर सर्टिफिकेट (बीपीसी) के देशव्यापी ट्रायल को 31 मार्च, 2027 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इससे समय बचेगा, मालगाड़ियों को बार-बार यार्डों में नहीं ले जाना पड़ेगा। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट (बीपीसी) मालगाड़ी का प्राथमिक सुरक्षा और फिटनेस पासपोर्ट होता है।

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग-फ्रेट) लोकेश सिंह के अनुसार पुरानी व्यवस्था के तहत मालगाड़ियों को महज छह हजार से साढ़े सात हजार किलोमीटर या करीब 30 दिनों में दोबारा जांच के लिए डिपो भेजना पड़ता था।

खेल कोटे से मिली थी नौकरी, 40 साल बाद अब 25 लाख रुपये की होगी वसूली

प्रेम नारायण द्विवेदी • जागरण

गोरखपुर : खेल कोटे से हाकी खिलाड़ी के रूप में रेलवे में नौकरी मिली, महाप्रबंधक के आदेश से वेतनमान बढ़ा और चार दशक तक उसी आधार पर वेतन मिलता रहा। अब सेवानिवृत्ति के समय उसी बढ़े वेतन की वसूली की जा रही है। लेखा सहायक राज कुमार यादव से 31 अक्टूबर को करीब 25 लाख रुपये की वसूली की तैयारी है। एक दूसरे कर्मचारी निर्मला रौतेला से करीब 25 लाख रुपये की रिकवरी हो चुकी है। रेलवे की इस कार्यप्रणाली पर कर्मचारी संगठनों ने सवाल उठाया है। कहना है कि जब रेलवे ने 40 साल तक बढ़े वेतनमान पर वेतन दिया, तो अब सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी से उसकी वसूली कैसे की जा सकती है?

राज कुमार यादव की नियुक्ति 14 अप्रैल 1986 को पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के लेखा विभाग में खेल कोटे (हाकी) से हुई थी। तत्कालीन महाप्रबंधक वीके चौबे ने उनके खेल से प्रभावित होकर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनका वेतनमान 260-400 रुपये से बढ़ाकर 950-1500 रुपये किया था। राजकुमार, निर्मला समेत दर्जनों कर्मचारियों का वेतनमान इस आधार पर बढ़ा और बढ़े वेतनमान पर वेतन मिलना शुरू हो गया।

रेलवे प्रशासन ने चतुर्थ वेतनमान लागू होने पर वर्ष 1988 के नियम का हवाला देते हुए कर्मचारियों का वेतनमान घटाकर 1350 कर दिया। वेतनमान घटते ही कर्मचारियों ने महाप्रबंधक से लेकर कार्मिक विभाग के उच्च अधिकारियों तक शिकायत की। स्थायी वार्ता तंत्र (पीएनएम) की बैठक में मुद्दा उठा। लेखा विभाग ने माना कि इन मामलों में दो फरवरी 1988 में दिए गए निर्देश लागू नहीं होने चाहिए। बोर्ड के 21 फरवरी 1986 में जो निर्देश दिए थे वही लागू होंगे, जो चतुर्थ वेतनमान के लागू होने से पहले के हैं। उसके बाद वेतनमान प्रकरण का पटाक्षेप हो गया था। अब महाप्रबंधक के आदेश को दरकिनार कर राज कुमार यादव के वेतन से रिकवरी का आदेश जारी किया गया है।

पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद कुमार राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (रफीक मसीह केस) और रेलवे बोर्ड के नियम (आरबीई संख्या 72/2016) के अनुसार सेवानिवृत्ति पर या पांच साल से अधिक पुराने मामलों में रिकवरी नहीं की जा सकती।

रेलवे में व्यवस्था पर सवाल

- महाप्रबंधक के आदेश से बढ़े वेतनमान पर मिलता रहा वेतन
- रेलवे प्रशासन ने सेवानिवृत्ति के समय शुरू की वसूली की तैयारी

रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 के विजेता बने अविनाश मिश्रा

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुए कलर्स चैनल के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी-15 के विजेता बने हैं टीवी अभिनेता अविनाश मिश्रा। रविवार को शो के फिनाले में होस्ट रोहित शेट्टी ने अविनाश को विजेता घोषित करते हुए उन्हें शो की ट्राफी दी। यह जीत उन्होंने टाप तीन में शामिल पहले रनरअप रित्विक धनजानी और दूसरे रनरअप ओरहान अवात्रामणि (ओरी) को शिकस्त देकर हासिल की है। शो की ट्राफी के साथ अविनाश ने 20 लाख रुपये की इनामी धनराशि, एक गाड़ी और यूरोप की ट्रिप भी जीत ली है। इसके साथ ही बाकी सभी प्रतिभागियों को बाइक तोहफे के तौर पर दी गई।

अविनाश ने शो जीतने के बाद कहा कि मैं कई सालों से टीवी से जुड़ा हूं, जहां मेरे छवि अच्छा दिखने वाले कलाकार की रही है। हालांकि, मैं जानता था कि मेरे अंदर और भी बहुत कुछ है, जिसे लोगों को दिखाना है। इस शो ने मुझे अपने काम से खुद को साबित करने का मौका दिया। शो के स्टंट्स ने मुझे मानसिक तौर पर मजबूत बनाया। आप खुद को शारीरिक रूप से तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब डरावने स्टंट के सामने खड़े होते हैं तो वहां दिखावे की कोई गुंजाइश नहीं रहती।

- ट्राफी के साथ 20 लाख रुपये की इनामी धनराशि, एक गाड़ी और यूरोप की ट्रिप भी जीती

खतरों के खिलाड़ी-15 के विजेता अभिनेता अविनाश मिश्रा फिनाले में शो के होस्ट रोहित शेट्टी के साथ। इंटरनेट मीडिया

एशियाड से हासिल

जापान में खेलों के एशियाई महाकुंभ का सुखद समापन उत्सव और समीक्षा का समय है। जो पदक जीते हैं, वे उत्सव मना रहे हैं और इस बार जिनका संघर्ष सफल न हुआ, वे समीक्षा कर रहे हैं। उत्सव जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है समीक्षा। कोई भी देश खेलों में तभी ऊंचाई पर पहुंचता है, जब वह समीक्षा करता है और उसके अनुरूप अपनी कमियां दूर करता है। भारत ने भी अपनी अनेक कमियों को दूर करना शुरू किया है और लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों में चौथे स्थान पर रहा है। पिछली बार भारत को 106 पदक मिले थे और इस बार 85 ही मिले हैं, लेकिन जीत का प्रतिशत ठीक है। इस बार भारतीय खिलाड़ियों का दल छोटा था, पर लगभग हर तीसरा भारतीय खिलाड़ी पदक के साथ लौटा है। चीन को देखें, तो उसका हर दूसरा खिलाड़ी पदक के साथ लौटा है, लेकिन ध्यान रहे, चीन खेल दुनिया में एशियाई चैंपियन 1982 में बना। उसके पहले जापान शिखर पर था। शिखर पर पहुंचने और रहने के लिए चीन ने बहुत मेहनत की है। आज चीन से ही नहीं, जापान, दक्षिण कोरिया से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।

यह चर्चा बहुत होगी कि इस बार भारत को पिछली बार से कम पदक मिले हैं। भारत को 21 पदक कम मिले हैं, तो चीन के 42 पदक घटे हैं। चीन की झोली में 32 स्वर्ण और 22 रजत पदक घटे हैं। जहां भारत को मेहनत बढ़ाने की जरूरत है, वहीं चीन भी अब ज्यादा मेहनत करेगा।

भारत के 21, तो चीन के 42 पदक घटे हैं। चीन की झोली में 32 स्वर्ण और 22 रजत घटे हैं। जहां भारत को मेहनत बढ़ाने की जरूरत है, वहीं चीन भी ज्यादा मेहनत करेगा।

उसे पता है, दूसरे देशों ने खेलों में मशक्कत बढ़ा दी है। मिसाल के लिए, हॉकी में भारतीय लड़कियों ने 44 साल बाद चीनी लड़कियों को फाइनल में हराकर स्वर्ण जीता है। भारतीय लड़कियों की जीत एक बेहतरीन उदाहरण है। यह टीम हमें बताती है कि नए युग में पदक जीतने वाले खिलाड़ी कहां से आएंगे, उन्हें मैदान पर कितना आक्रामक होना होगा और कितना रक्षात्मक? इस मोर्चे पर भारत का कौशल बढ़ा है, लेकिन प्रदर्शन में निरंतरता जरूरी है। वैसे, दुनिया में अभी माहौल खेलों के बहुत अनुकूल नहीं है। आधी से ज्यादा दुनिया युद्ध के चलते आर्थिक तनाव झेल रही है। क्या असर खेलों पर पड़ रहा है? क्या खेल बजट में कमी आई है? क्या धन कुछ खेलों तक सिमट जा रहा है? प्रश्न यह भी है कि हम व्यक्तिगत पदक क्यों कम जीत रहे हैं? 34 पदक टीम या समूह खेलों में आए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रयास बढ़ाने की जरूरत है।

इनकार नहीं किया सकता, भारत ने खेलों में देर से कदम बढ़ाए हैं और अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। चीन, जापान जैसे देश खेलों में सिरमौर रहे हैं, क्योंकि यहां स्कूली स्तर पर ही खेलों को महत्वपूर्ण जीवन कौशल और नैतिक विकास के साधन के रूप में देखा जाता है। अनुशासन, टीम वर्क और मेहनत पर जोर दिया जाता है। खेल सिर्फ शौक नहीं है, यह जीवन है। जीवन जीने और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की एक सफलतम रणनीति है। संस्थान निजी हों या सरकारी, कहीं भी खेल खानापूर्ति का माध्यम नहीं हैं। खेल संस्कृति का हिस्सा हैं। मिसाल के लिए, उज्बेकिस्तान को देखा जा सकता है। यह देश भारत की तरह ही 21 स्वर्ण जीतने में कामयाब रहा है। वहां की सरकार विगत वर्षों में खेलों को देश के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय गौरव के निर्माण के लिए एक प्रमुख स्तंभ मानने लगी है। खेलों का बुनियादी ढांचा इतना मजबूत कर दिया गया है कि खिलाड़ी स्वतः प्रदर्शन के लिए आगे आने लगे हैं। यह समझना होगा कि खेल केवल पदक ही नहीं दिलाते हैं, पूरे समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम करते हैं।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 05 अक्तूबर, 1951

जिला बोर्ड के चुनाव

दिल्ली जिला बोर्ड के चुनावों का पूरा नतीजा सामने आ गया है। जिला बोर्ड में कुल 21 स्थान हैं, उनमें से 11 स्थानों पर कांग्रेस अधिकार करने में सफल हुई है और इस प्रकार उसने जिला बोर्ड में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। दिल्ली प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी इस चुनाव परिणाम पर बधाई की हकदार है। अनेक कठिनाइयों के बावजूद कांग्रेस को यह सफलता प्राप्त हुई है। विरोधी दलों ने कांग्रेस को परास्त करने के लिए जमीन आसमान एक कर डाला था। कांग्रेस के विरुद्ध अनर्गल प्रचार किया और जनता को आर्थिक क्षेत्र में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उस सबके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। लोगों की जातीयता की भावनाओं को काफी भड़काया गया। विरोधी प्रचार को देखते हुए यह आशंका प्रकट की जा रही थी कि संभव है जिला बोर्ड में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त न हो, किन्तु यह आशंका अन्त में निराधार साबित हुई। देहात की जनता में कांग्रेस के प्रति अब भी काफी श्रद्धा की भावना है और उसी के बल पर कांग्रेस यह चुनाव जीतने में सफल हुई है।

किन्तु कांग्रेस को इस चुनाव से सबक सीखने की जरूरत है। कांग्रेस अब अपनी पुरानी कमाई पर निश्चिन्त होकर नहीं बैठ सकती। वयस्क मताधिकार ने कार्यक्षेत्र को खूब विस्तृत बना दिया है और विरोधी दल जोश के साथ मैदान में काम कर रहे हैं। कांग्रेस यदि अपने कार्यक्षेत्र को नगरों और बड़े कस्बों तक ही सीमित रखेगी, तो उसका काम नहीं चलेगा। ज्यादातर लोग देहात में रहते हैं और कांग्रेस को सतत उनके निकट सम्पर्क में आना चाहिए। जो दल केवल चुनावों के दिनों में वोट की भीख मांगने के लिए मतदाताओं के पास जायेगा और बाद में उनको भुला देगा, वह उनका विश्वास-भाजन नहीं रह सकेगा। कांग्रेस को देहातों की समस्याओं में जीवित दिलचस्पी लेनी चाहिए और चुनावों के समय देहात की हालत को सुधारने और उनके अभाव-अभियोग दूर करने के जो वादे किये गये हैं, उन्हें ईमानदारी से पूरा करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। देहात के लोगों में भी राजनीतिक चेतना का उदय हो रहा है। वोट ने उनके हाथों में जो शक्ति प्रदान की है, उसकी प्रतीति इन चुनावों के जरिये उन्हें भलीभांति हो जायेगी। जिला बोर्ड के चुनावों में मत डालने वाले लोगों का प्रतिशत आशाजनक रहा है।

हम चीन-जापान के बराबर कब पहुंचेंगे

यहां स्कैन करें

नौरिस प्रीतम | वरिष्ठ खेल पत्रकार

एशियाई खेलों में भारत पदक-तालिका में चौथे स्थान पर रहा, लेकिन यदि हमें अधिक पदक जीतने हैं, तो उन खेलों में सुधार लाना होगा, जहां पदकों की संख्या अधिक होती है।

जान बची तो लाखों पाए। यह कहावत पूरी तरह खरी उतरती है भारतीय दल पर, जिसने नागोया एशियाई खेलों के आखिरी दो दिनों में कई तमगे जीतकर पदक-तालिका में चौथा स्थान प्राप्त कर लिया। शनिवार को ही उसके खाते में पांच स्वर्ण आए। इस तरह, भारतीय खिलाड़ियों ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य के साथ कुल 85 पदक झटककर दो हफ्ते से आगे चल रहे उज्बेकिस्तान को पछाड़ दिया।

हालांकि, उज्बेकिस्तान बहुत पीछे नहीं रहा और 21 स्वर्ण जीतकर कुल 70 पदकों के साथ वह पांचवें स्थान पर रहा। यहां चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की बात छोड़ ही दें। वे हमसे काफी आगे रहे। यहां तक कि ईरान, जो पिछले काफी समय से आंतरिक अशांति और युद्ध झेल रहा है, 52 पदक जीतने में सफल रहा। गौर करने वाली बात है कि ईरान और भारत के स्वर्ण पदकों में महज दो का अंतर रहा।

कई साल पहले की बात है। सुरेश कलमाड़ी तब भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से 7, रेसकोर्स मार्ग (अब 7, लोक कल्याण मार्ग) आवास पर जाकर मुलाकात की थी। कलमाड़ी ओलंपिक संघ के लिए कुछ अधिक आर्थिक मदद पाने के इरादे से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। अभी उन्होंने बोलना शुरू ही किया था कि वाजपेयी जी ने उन्हें टोका, आप लोग खेल आयोजनों में बहुत बड़े दल ले जाते हैं और पदक आते नहीं। इससे देश की बदनामी होती है। इतना बोलकर प्रधानमंत्री वापस चले गए। स्थिति अब भी वैसी ही है। इस बार के एशियाई खेलों में कुल 503 खिलाड़ियों का भारतीय दल जापान गया था और पदक आए हैं 85।

इसके लिए सिर्फ खिलाड़ियों को दोष देना ठीक नहीं होगा। कई खेलों में तो हमारे खिलड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। हॉकी में पुरुष और महिला, दोनों टीमों ने सोना जीता है और साल 2028 के लॉस एंजेल्स ओलंपिक के लिए अपना टिकट भी हासिल कर लिया है। यहां यह भी गौरतलब है कि महिला हॉकी टीम ने पुरुषों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया और 44 साल के बाद वह एशियाई खेलों में खिताब जीतने में सफल रही। इसी तरह, क्रिकेट में भी दोनों भारतीय टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है।

बॉक्सिंग में भी भारतीय मुक्केबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा। यह पहला मौका था, जब किसी एक ही एशियाई खेलों में भारत ने तीन सोना जीता हो। इस कारनामे को अंजाम दिया लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने। एथलेटिक्स में भारत की महिला टीम ने चार गुने चार सौ रिले में स्वर्ण पदक जीता, बल्कि कुल 24 पदक झटके। शूटिंग में भारत का उम्मीद से कमतर प्रदर्शन रहा और बैडमिंटन, टेनिस में तो उससे भी ज्यादा खराब। खेलों के आखिरी दिन फ्रीस्टाइल पहलवान अमन सेहरावत, दीपक पूनिया और अंतिम पंघाल ने पदक जीतकर तालिका में भारत को शीर्ष पांच में ला दिया।

अगर वाजपेयी जी के शब्दों को याद करें और बड़े खेल-दल की तरफ देखें, तो पता चलता है कि भारत की दोनों क्रिकेट टीमों में कुल 28 खिलाड़ी थे और हॉकी की पुरुष व महिला टीमों में 36। इसका एक अर्थ यह भी है कि कुल 64 खिलाड़ियों ने चार पदक देश के नाम किए। यहां किसी खेल को छोटा या कमतर दिखाने की मंशा कतई नहीं है, लेकिन अगर भारत को अधिक पदक जीतने हैं, तो इसे उन खेलों में सुधार लाना होगा, जहां पदकों की संख्या अधिक होती है। जिमनास्टिक और तैराकी में पदकों की भरमार होती है, लेकिन इन खेल विधाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करीब-करीब न के बराबर होता है। जो खिलाड़ी इन स्पर्द्धाओं में भाग लेते भी हैं, उनका स्तर पदक लायक शायद ही होता है। यही कारण है, एशियाई खेलों में शुरू के आठ-नौ दिन जापान और चीन छाए रहे।

अब बीच वॉलीबॉल को ही लें। आम धारणा है कि यह खेल केवल वहीं हो सकता है, जहां बीच या समंदर का किनारा हो, क्योंकि इस खेल का नाम ही बीच वॉलीबॉल है, जबकि सच्चाई यह है कि गांवों के खेतों में मिट्टी का बड़ा-सा अखाड़ा बनाकर भी यह खेल खेला जा सकता है। भारत के गांव-देहात में वॉलीबॉल तो वैसे भी प्रचलित है ही।

इस एशियाई खेलों में एक बात बहुत अटपटी लगी। शुरुआती दिनों में पदक न आने की वजह से खेल मंत्रालय के दल ने नागोया जाने की अपनी योजना रद्द कर दी। अच्छा होता, अगर खेल मंत्रालय के सचिव, खेल प्राधिकरण के डीजी या अन्य अफसर जापान जाते और वहां खुद देखते कि गलती कहां हो रही है और उन गलतियों को सुधारने की गंभीर कोशिश करते। अब कबूतर के आंखें बंद कर लेने से बिल्ली भाग नहीं जाती। हां, कबूतर को वह नहीं दिखती। इन बड़े खेल आयोजनों में शिरकत करने से पहले खेल मंत्रालय, खेल प्राधिकरण आदि पदकों के बड़े-बड़े दावे करते हैं और जहां एक ओर वे खिलाड़ियों पर दबाव डालते हैं, तो वही आम जनता को बहलाते हैं। नागोया के कुछ असफल खिलाड़ियों को छोड़ भी दें, तो कुल मिलाकर हमारे खिलाड़यों ने वैसा ही प्रदर्शन किया है, जिसके वे काबिल थे।

कई खिलाड़ियों ने नागोया में रहने के इंतजाम को लेकर आयोजकों की काफी आलोचना की। हालांकि, सवाल यह है कि क्या यह सब भारतीय दल को वहां पहुंचकर मालूम हुआ? हर बड़े खेल मेले की आयोजन समिति खेलों की विधिवत शुरुआत से बहुत पहले समय-समय पर एडवाजरी या बुलेटिन द्वारा ओलंपिक संघ को सूचना देती है। इसमें रहने के इंतजाम, खाने-पीने की व्यवस्था, परिवहन आदि सभी विषयों के बारे में बताया जाता है। क्या इन सब पर समय रहते ध्यान दिया गया था? अगर नहीं, तो फिर क्यों नहीं दिया गया?

अब तक नागोया से काफी खिलाड़ी वापस आ चुके हैं और जब पूरा दल लौटकर आ जाएगा, तो जश्न और पार्टी होगी ही। खिलाड़ियों की नेताओं के साथ सेल्फी की होड़ भी मचेगी, और फिर कुछ दिनों के बाद सब कुछ भुला दिया जाएगा। साल 2030 के एशियाई खेल कतर की राजधानी दोहा में आयोजित होंगे। क्या यही कहानी वहां भी दोहराई जाएगी या अब वाकई पूर्व प्रधानमंत्री के शब्दों पर ध्यान दिया जाएगा? इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

एआई के भरोसे भविष्य को दांव पर लगाना ठीक नहीं

यहां स्कैन करें

अनुराग बेहर | सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन

दुनिया के धनकुबेरों में से एक ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की दुनिया में बच्चों को जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखने की कोई जरूरत नहीं है; इन सबको अब भूल जाएं। हालांकि, अगर एआई का बुलबुला फूटा, तो बहुत मुमकिन है कि यह धनकुबेर खुद ताकतवर लोगों की सूची से बाहर हो जाएं और दुनिया उनके इस दावे पर हंसती नजर आए। फिलहाल, पैसा एवं ताकत के बल पर उनके कहे हर शब्द एआई समर्थकों के लिए किसी वेदवाक्य से कम नहीं, चाहे वह बात कितनी भी गलत या स्वार्थपूर्ण क्यों न हो।

मैंने इसी तरह का एक और तर्क सुना है कि एआई बच्चों की सोचने की क्षमता को घटा रहा है और बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करने से कहीं उनकी यह क्षमता अविकसित ही न रह जाए। हर जगह के स्कूल और विश्वविद्यालय इस बड़े बदलाव को महसूस कर रहे हैं। हालांकि, 'टेक्नोलॉजिस्ट' इसे अपने घिसे-पिटे इस तर्क से टाल देते हैं कि क्या कैलकुलेटर से हम पार नहीं पा गए? हैरानी की बात है, जो लोग तकनीक की पूजा करते हैं, वे इतनी बुनियादी बात को भी नहीं समझ पा रहे। बच्चे सबसे पहले अंक सीखते हैं। कैलकुलेटर के हाथ में आने से बहुत पहले ही वे समझ जाते हैं कि गिनती का क्या मतलब है और जोड़ क्या करता है? उसके बाद ही मशीन की उपयोगिता होती है, जो उस काम को आसान कर देती है। अब ऐसे बच्चे के बारे में सोचिए, जिसने कभी यह नहीं समझा कि अंक क्या है और उसे पहले ही दिन कैलकुलेटर दे दिया जाए। स्क्रीन पर दिख रहे अंकों का उसके लिए क्या मतलब होगा? इससे भी बुरा यह कि उसे पता ही नहीं होगा कि क्या करना है? एआई ठीक यही खतरा पैदा कर रहा है।

विसंगतियों से भरे हमारे इस समाज में एआई को प्रगति के रूप में इस तरह पेश करना, पहले से कमजोर वर्गों के साथ सरासर अन्याय है।

इस खतरे का एक और पहलू है। जो बच्चे पढ़े-लिखे संपन्न परिवारों के होंगे, वे तो इससे बहुत हद तक बच जाएंगे, क्योंकि उनकी सोच विकसित न होने की पूर्ति उनके शिक्षित माता-पिता, शिक्षक, भाई-बहन और उनके घर में भरी पड़ी किताबें कर देंगी, किंतु उस बड़ी आबादी का क्या होगा, जिसके पास ऐसा कोई सुरक्षा जाल नहीं है? अनेक विसंगतियों से भरे हमारे समाज में एआई को प्रगति के ऐसे रूप में पेश करना, दरअसल पहले से कमजोर वर्गों के साथ जान-बूझकर किया गया अन्याय है। यदि हमने इसे अभी नियंत्रित नहीं किया, तो एआई को हमारी दुनिया फतह करने के लिए आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम खुद-ब-खुद अपनी दुनिया उसे सौंप देंगे। आखिर सोशल मीडिया ने सार्वजनिक जीवन को तहस-नहस कर ही दिया है।

एआई के खरबपति भविष्यवक्ता इस प्रवृत्ति के वाहक हैं। वह टेक्नोलॉजिस्ट तबके के अग्रणी दल का नेतृत्व करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाले उनके जैसे लोग इस दुनिया को गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हालांकि, प्रत्येक एआई समर्थक इस तरह से नहीं बोलता है, फिर भी हमें एआई को लेकर बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है।

भविष्य बताने वालों का एक अन्य समूह अर्थशास्त्रियों का है। बहुत से अर्थशास्त्री पूरी संजीदगी से इस बात पर जोर देते हैं कि एआई के कारण नौकरी छूटने की आशंकाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि एआई पुरानी तकनीक से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सोचने-समझने वाला काम करने की इसकी क्षमता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। कई नौकरी जाने की बात को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया डर कहते हैं।

जब ये अर्थशास्त्री घिर जाते हैं, तो वे दूसरी दलील देने लगते हैं। वे मानते ही नहीं कि एआई कंपनियों के आकलन में 'बुलबुला' (बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई कीमत) और नौकरियां खत्म होने का तूफान एक साथ उठ सकता है। जोर देने पर वे अपनी आखिरी दलील देते हैं कि हर नई तकनीक ने कुछ नौकरियां खत्म की हैं और कुछ नई नौकरियां पैदा की हैं, लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं बता पाता कि जो नौकरियां जाएंगी, उनकी जगह आखिर कौन सी नौकरियां ले पाएंगी?

तकनीक बनाने वालों के दावे और अर्थशास्त्रियों के काम करने के तरीके, दोनों ही हमारे भविष्य के साथ जुआ खेल रहे हैं। ऐसे में, भला कैसे कोई अपने भविष्य को दांव पर लगाए?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

मुश्किलों से निपटने का मंत्र

हम सब कभी न कभी उस अजीब निराशा की गिरफ्त में आ जाते हैं, जो किसी ऐसी चीज में फंसने से होती है, जिसे हमने खुद चुना हो। चाहे वह कोई ऐसी नौकरी हो, जिसे आप कभी बहुत शिद्दत से पाना चाहते थे; कोई ऐसी कमिटी, जिसका नेता आप खुद बनाना चाहते थे या कोई ऐसा कार्यक्रम, जिसे होस्ट करने की जिद आपने की हो।

लोग तब बहुत परेशान होते हैं, जब वे अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं या जब लगता है कि कोई चीज उन पर थोपी जा रही है। अगर आप खुद को याद दिलाएं कि 'यह मेरा ही चुना हुआ फैसला है। हां, जिस वक्त मैंने इसे सोचा और इसका आयोजन किया, तब हालात कुछ अलग थे और अब चीजें बदल गई हैं। तब मैंने यह नहीं सोचा था कि मेरे फैसले के मुश्किल नतीजे निकल सकते हैं, लेकिन अब मुझे इसका दायित्व लेना चाहिए। किसी दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है।' तो यह आपका मंत्र बन सकता है और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे सकता है।

इसे आजकल कहते हैं, 'कोपिंग मंत्र।' एक छोटा, सोच-समझकर चुना गया वाक्य, जिसे आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपका दिमाग सबसे बुरे परिणामों के बारे में सोचना शुरू करता है। होता यह है कि जब कोई तनाव से घिर जाता है, तब छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने की गुंजाइश कम होती है। जब आपका शरीर 'फाइट-ऑर-फ्लाइट' मोड (लड़ने या भागने की स्थिति) में होता है, तब आप तर्क-वितर्क करके उससे बाहर नहीं निकल सकते। तब आप खुद से यह कह सकते हैं : 'इसे हमने ही चुना था। हमने हर दिन इसे चुना। जब यह बहुत बड़ा और मुश्किल नहीं हुआ था, तब भी हम इसे छोड़ सकते थे और मैंने ऐसा न करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे यह बहुत पसंद था।'

ऐसा मंत्र एक संबल है, जो आपकी बहुत ज्यादा बिखरी हुई ऊर्जा को कुछ आसान सा सहारा देता है और आपको अगला कदम तय करने के लिए थोड़ा समय देता है। जैसे 'सब ठीक हो जाएगा', एक प्यारा मंत्र है, जो बहुत लोग अपनाते हैं, मानो खुद को ही समझा रहे हैं। जब स्थिति बेकाबू हो जाए, तो खुद को समझाना पड़ता है। यह एक ऐसे भविष्य के बारे में किया गया वादा है,

'सब ठीक हो जाएगा' मंत्र कोई भविष्य बताने का दावा नहीं करता, बल्कि आपके टूट रहे हौसले के पलों में भरोसा रखने के लिए उज्ज्वल भविष्य की आशा का दीप जलाता है।

जिसे आप देख नहीं सकते; यह इसीलिए कहा जाता है, ताकि आपका बेचैन दिमाग कुछ स्थिर हो जाए। यह एक थेरेपी की तरह काम करता है। आपको हिम्मत और आगे बढ़ने की ताकत देता है, लेकिन अगर आप अंदर से यकीन नहीं करते, तो आपका दिमाग इसे नहीं मानेगा।

'सब ठीक हो जाएगा' मंत्र कोई भविष्य बताने का दावा नहीं करता, बल्कि आपके टूट रहे हौसले के पलों में भरोसा रखने के लिए उज्ज्वल भविष्य की आशा का दीप जलाता है।

अमृत साधना

कैलाश सत्यार्थी | नोबेल विजेता

मशीनें संवेदनशील नहीं हो सकतीं, उनको बनाने वाले हो सकते हैं। हमारे इंजीनियर प्रयोगशालाओं से बाहर निकल समुदायों की बात सुनें और ऐसे उपकरण बनाएं, जिनसे समाज के हाशिये पर रहने वाले लोगों की मूल समस्याएं हल हो सकें।

अनुलोम-विलोम
इंडिया ब्लॉक

चुनाव आयोग में पारदर्शिता की मांग सही

नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 30 सितंबर को हुई 'इंडिया' ब्लॉक की आठवीं बैठक के बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी एसआईआर को लेकर अपने आंदोलन का खाका सामने रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और 6 अक्तूबर को विपक्षी सांसदों द्वारा चुनाव आयोग के घेराव की घोषणा की। खबरों के मुताबिक, बैठक में 19 विपक्षी दल शामिल हुए। विपक्ष ने 2 से 8 अक्तूबर तक जिला स्तर पर मार्च, अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति से मुलाकात, पांच बड़ी रैलियां और 1 नवंबर को दिल्ली में महारैली सहित कई कार्यक्रम तय किए हैं।

बैठक का केंद्र एसआईआर, मतदाता सूची से छेड़छाड़, ईवीएम-वीवीपैट और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता रहा। खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को केंद्र सरकार की कठपुतली बना दिया गया है और मतदाता सूची में बदलाव के जरिये विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। यह विपक्ष का राजनीतिक आरोप है, जिसे तथ्य के रूप में स्वीकार करने से पहले संबंधित प्रमाणों और चुनाव आयोग का पक्ष देखना जरूरी है। एसआईआर को लेकर विपक्ष जिस तरह लगातार अभियान चला रहा है, उससे स्पष्ट है कि मतदाता सूची का मुद्दा आने वाले चुनावों की राजनीति में बड़ा विषय बनने जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि किसी वैध मतदाता का नाम हटाने से पहले उसे सूचना, कारण और अपील का अवसर मिलना चाहिए। दूसरी ओर, चुनाव आयोग की मौजूदा व्यवस्था में मतदाता पंजीकरण, नाम में सुधार, आवेदन की स्थिति देखने और मतदाता सूची से संबंधित सेवाओं के लिए आधिकारिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर नया मतदाता पंजीकरण करने के लिए फॉर्म-6 की सुविधा भी दी गई है।

फॉर्म-6 को लेकर भी विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को उन राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में अतिरिक्त घोषणापत्र की आवश्यकता समाप्त करने की जानकारी दी, जहां एसआईआर का काम पूरा हो चुका है या अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोपों के साथ-साथ वास्तविक प्रक्रिया को समझना भी जरूरी है। मतदाता सूची से जुड़ा कोई भी बदलाव कितना व्यापक है, कितने नाम जोड़े या हटाए गए और किन कारणों से कार्रवाई हुई, इसका राज्यवार आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण ही अधिक स्पष्ट तस्वीर दे सकता है।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

आरोपों में ठोस तथ्यों, दस्तावेजों का अभाव

सबसे अहम सवाल यह है कि इस बैठक से कांग्रेस और 'इंडिया' ब्लॉक को क्या राजनीतिक लाभ हासिल हुआ? विपक्ष को एक साझा मुद्दा जरूर मिला है, जिसके जरिये वह अलग-अलग राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एक अभियान से जोड़ सकता है। छह सूत्री कार्यक्रम इसी रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन आंदोलन की घोषणा और उसके राजनीतिक प्रभाव के बीच काफी अंतर होता है। किसी भी आरोप को जनता के बीच प्रभावी मुद्दा बनाने के लिए ठोस तथ्य, दस्तावेज और लगातार राजनीतिक संवाद की आवश्यकता होती है।

इंडिया ब्लॉक ने भविष्य के चुनावों में एसआईआर से पहले की मतदाता सूची इस्तेमाल करने, मतदाता सूची में बदलाव की जानकारी सार्वजनिक करने और चुनाव प्रक्रिया में संस्थागत जवाबदेही बढ़ाने की मांग रखी है। ये विपक्ष की घोषित राजनीतिक मांगें हैं। इन मांगों पर अंतिम निर्णय चुनावी कानून, सांविधानिक व्यवस्था और सक्षम संस्थाओं की प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शरद पवार गुट, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट, राजद, वाम दलों सहित विभिन्न विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। इंडिया ब्लॉक की असलियत इस तथ्य से भी उजागर होती है कि द्रमुक और आम आदमी पार्टी बैठक में शामिल नहीं हुईं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी व्यक्तिगत रूप से बैठक में नहीं पहुंचे और उनकी जगह पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए। इससे यह संकेत जरूर मिलता है कि इंडिया ब्लॉक के भीतर आयोग के मुद्दे पर व्यापक सहमति बनाने का प्रयास है, पर सभी दलों की भागीदारी एक जैसी नहीं है।

भाजपा ने उचित ही कांग्रेस पर सांविधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और मतदाता सूची में मृत या दोहरे नाम बनाए रखने जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। इस प्रकार विवाद अब केवल एसआईआर की तकनीकी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और चुनावी प्रक्रिया पर राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। तथ्य यह भी है कि अलग-अलग राज्यों में विपक्षी दल अपने संगठन को मजबूत करने और सरकार के खिलाफ मुद्दे तलाशने में जुटे हैं। ऐसे में, मतदाता सूची, एसआईआर और चुनाव आयोग ऐसे मुद्दे बन गए हैं, जिनको विपक्ष सियासी अभियान में बदलना चाहता है, लेकिन बिना प्रमाण के गड़बड़ी का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में चुनाव आयोग पर सवाल उठाना राजनीतिक दलों का अधिकार है, लेकिन आरोप भी तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही लगाए जाने चाहिए।

अनिमेष शर्मा, टिप्पणीकार

कड़वी यादों को किनारे रखना सीखें

हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे कड़वे अनुभव होते हैं, जिन्हें भूलना आसान नहीं होता। हम अतीत से आगे निकल चुके होते हैं, पर अचानक कोई खुशबू, गीत या कोई छोटी-सी घटना वापस पीछे ले जाती है। मन में बेचैनी और उदासी बढ़ने लगती है। समझ नहीं आता कि बीती बातें इतना परेशान क्यों करती हैं? दोष हमारा नहीं है, दरअसल यह दिमाग का बुरी यादों से उबरने का अपना तरीका है।

आप पीछे जाकर शुरुआत नहीं बदल सकते, लेकिन जहां हैं, वहीं से शुरुआत करके अंत को बदल सकते हैं।" —**सी. एस. लुईस**

कभी कोई खुशबू, गीत या जगह अचानक हमें कई साल पीछे ले जाती है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन एक पल में दिल तेज धड़कने लगता है, सांस भारी हो जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। लगता है कि जैसे पुराना दर्द फिर सामने आ खड़ा हुआ हो।

कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं रसोई में थी कि बाहर से आती एक इत्र की खुशबू ने मुझे रोक दिया। यह खुशबू मेरे पूर्व साथी को पसंद थी। हमारा रिश्ता मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा रहा। उसमें डर, तनाव और ऐसे व्यवहार शामिल थे कि मैं अक्सर खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। रिश्ता खत्म हुए काफी समय बीत चुका था, फिर भी उस खुशबू ने एक पल में मुझे उसी दौर में पहुंचा दिया।

सीने में जकड़न हुई, दिल तेजी से धड़कने लगा और आंखों में आंसू आ गए। मैंने खुद से पूछा-'मैं अब भी क्यों रो रही हूं? वह रिश्ता तो बहुत पहले खत्म हो चुका है।'

बाद में मुझे समझ आया कि यह कमजोरी नहीं थी। मेरे शरीर का तंत्रिका तंत्र पुराने खतरे से जुड़ी प्रतिक्रिया दोहरा रहा था। मैं एक पंजीकृत नर्स हूं। मानसिक आघात के बारे में पढ़ने के बावजूद उस दिन मैंने पहली बार इसे अपने शरीर में महसूस किया। इससे मुझे यह समझने में मदद मिली कि कई बार दिमाग किसी घटना को अतीत मान चुका होता है, लेकिन शरीर उससे जुड़ी प्रतिक्रिया को देर तक संभालकर रख सकता है।

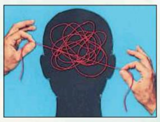

दिमाग पर ऐसे होता है बुरी यादों का असर

अमिग्डाला : दिमाग का वह हिस्सा, जो खतरे को पहचानकर शरीर को प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। पुराने आघात के बाद यह अधिक सतर्क हो सकता है, जिससे कोई खुशबू, आवाज या जगह पुरानी याद को जगा सकती है।

हिप्पोकैम्पस : यादों को समय व संदर्भ से जोड़ता है। आघात के बाद याद के साथ उससे जुड़ी भावनाएं और शारीरिक संवेदनाएं भी बनी रह सकती हैं।

प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स : तर्क व स्थिति को समझने और निर्णय लेने में मदद करता है। तेज तनाव में इसकी कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है, इसलिए ट्रिगर के क्षण में खुद को सुरक्षित समझ पाना कठिन होता है।

दिमाग का बुरी यादों से बचने का तरीका

जब हम दुर्व्यवहार की बात करते हैं, तो अक्सर शारीरिक चोटों के बारे में सोचते हैं। जबकि, बार-बार होने वाला मानसिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार भी व्यक्ति पर गहरा असर डाल सकता है। किसी को डराना, नियंत्रित करना, अलग-थलग करना या उनकी समझ पर बार-बार सवाल खड़े करना लंबे समय तक तनाव पैदा कर सकता है।

कई बार यह सवाल बहुत परेशान कर देता है कि जिस व्यक्ति ने हमें चोट पहुंचाई, उसकी याद हमें क्यों आती है? इसका एक कारण ट्रॉमा बॉन्डिंग हो सकता है। यह ऐसी स्थिति है, जिसमें दुर्व्यवहार और भावनात्मक राहत का चक्र चलता रहता है। ऐसे रिश्तों में तनाव के बाद कई बार माफी, प्यार या सामान्य व्यवहार का दौर आता है। लंबे तनाव के बाद मिलने वाली यह राहत बहुत तीव्र महसूस हो सकती है। जब तक तनाव और राहत का ये चक्र चलता है, तब तक उन बुरी यादों से दूरी बनाना कठिन हो जाता है।

किसी पुराने साथी की याद आना हमेशा यह नहीं बताता कि आप उस रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं। कभी-कभी याद के साथ उस राहत या उम्मीद की अनुभूति भी लौट सकती है, जो उस रिश्ते में बनी थी। अब मैंने खुद को दोष देना कम कर दिया।

विचारों को लिखने से मिली मदद

पुरानी यादों से उबरने के लिए मैंने लिखना शुरू किया। बिना ज्यादा सोच-विचार किए अपनी भावनाओं को कागज पर लिखना मेरे लिए उपयोगी रहा। मैंने दुख, गुस्से, डर और शर्मिंदगी के बारे में लिखा। कई बार ऐसे पत्र भी लिखे, जिन्हें कभी भेजना नहीं था। उनमें वह सब लिखा, जो उस समय कह नहीं पाई थी। धीरे-धीरे मुझे लगा कि मेरे भीतर बिखरी भावनाएं शब्दों के जरिये स्पष्ट हो रही हैं। घटना बदली नहीं थी, पर उसे देखने का मेरा तरीका बदल रहा था। मैंने समझा कि किसी बुरे रिश्ते से बाहर आने के बाद भी उससे जुड़ी भावनाएं देर तक बनी रह सकती हैं।

बुरी यादें एक दिन में नहीं जातीं

भावनात्मक चोट से उबरना ऐसा नहीं है कि एक दिन सब ठीक हो जाए। कुछ दिन हल्के होंगे, कुछ दिन मुश्किल। कभी-कभी बहुत समय बाद भी कोई छोटी-सी चीज पुरानी भावना को जगा सकती है। ऐसे समय में खुद को यह याद दिलाना जरूरी है कि पुरानी प्रतिक्रिया लौटने का मतलब यह नहीं कि आपकी सारी प्रगति खत्म हो गई।

विचारों को लिखने से मुझे अपनी कहानी को नए ढंग से देखने में मदद की। जो अनुभव कभी केवल दर्द और शर्मिंदगी से जुड़े लगते थे, वे धीरे-धीरे मेरे संघर्ष और उससे उबरने की कहानी का हिस्सा बन गए।

यह ध्यान रखें, आपका दिमाग खराब नहीं हुआ है। वह उस तरीके से प्रतिक्रिया कर रहा है, जिसे उसने कभी आपको बचाने के लिए सीखा था। उसे समझना, अपनी भावनाएं स्वीकारना और वर्तमान में लौटना-उबरने की दिमागी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। आप अतीत को बदल नहीं सकते, पर उसके साथ रहना धीरे-धीरे सीख सकते हैं।

क्रिस्टिना डिचकोफ्स्की
tinybuddha.com

पुरानी यादें जब सताएं, तो इन तरीकों को आजमाएं

अगर किसी खुशबू, गीत, तस्वीर या जगह से अचानक पुरानी याद और बेचैनी लौट आए, तो कुछ देर रुककर खुद को वर्तमान में लाने की कोशिश करें।

1. शरीर पर ध्यान दें
खुद से पूछें- अभी मेरे शरीर में क्या हो रहा है? दिल तेज धड़क रहा है, सांस भारी है, सीने में जकड़न है या आंखों में आंसू हैं? इन संवेदनाओं को पहचानें। चाहें तो 10-15 मिनट तक उन्हें कागज पर लिखें।

2. याद और वर्तमान के बीच फर्क करें
खुद से कहें- 'यह एक पुरानी याद और उससे जुड़ी शरीर की प्रतिक्रिया है। मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूं।' इससे वर्तमान स्थिति और पुराने अनुभव के बीच अंतर समझने में मदद मिल सकती है।

3. वर्तमान में लौटें
पैरों को जमीन पर महसूस करें। आसपास की चीजों पर ध्यान दें। धीरे-धीरे सांस लें। खुद से कहें-'मैं इस समय सुरक्षित हूं।'

विविध

ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठना नहीं है। वर्तमान क्षण के प्रति सजग रहना और जो कर रहे हैं, उस पर पूरा ध्यान देना भी ध्यान का एक तरीका है। रोजमर्रा के कुछ सामान्य कामों को करते हुए भी आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। आइए इनके बारे में जानें-

1. भोजन करें सजगता से: फोन या टीवी से ध्यान हटाकर खाने पर केंद्रित रहें। भोजन का रंग, बनावट, खुशबू व स्वाद महसूस करें। धीरे-धीरे खाएं। इस ढंग से भोजन करना भी वर्तमान में रहने का अभ्यास बन सकता है।

2. मन लगाकर किताब पढ़ें: किताबें पढ़ना आपको नोटिफिकेशन, शोर और रोजमर्रा की चिंताओं से कुछ देर दूर कर सकता है। ऐसी किताब चुनें, जिसमें आपकी रुचि हो। पढ़ते समय खुद को कहानी या विचारों में पूरी तरह डूबने दें।

3. चाय या कॉफी की चुस्कियों पर ध्यान दें
सुबह की कॉफी या शाम की चाय को भी सजगता का छोटा अभ्यास बनाया जा सकता है। कप की गर्माहट महसूस करें, उसकी खुशबू पर ध्यान दें और हर घूंट के स्वाद को महसूस करें। इसे जल्दबाजी में खत्म करने के बजाय कुछ मिनट शांत बैठें और उस पल का अनुभव करें।

4. प्रार्थना करें, जाप करें या भजन गाएं: आप अपनी पसंद का कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास चुन सकते हैं। जो कर रहे हैं, उसे डूबकर करें। ऐसा करते हुए मन को कुछ देर एक जगह टिकाने में मदद मिलती है। आप खुद से जुड़ते हैं।

5. बर्तन या कपड़े धोते समय: कोई भी काम मन शांत करने वाला अनुभव बन सकता है। जैसे, बर्तन धोते समय पानी का तापमान, बर्तन के डिजाइन, हाथों की हरकत और आवाजें महसूस करें। ऐसा करते हुए आपको नया ही अनुभव होगा।

6. टहलते हुए आसपास के रंगों को देखें
टहलने निकलें और रास्ते में किसी एक रंग को पहचानने की कोशिश करें। फूल, इमारतें, गाड़ियां, साइन बोर्ड या ऐसी कोई भी चीज देखें, जो उस रंग की हो। यह छोटा-सा अभ्यास आपका ध्यान विचारों से हटाकर आसपास की दुनिया पर ले आएगा।

7. नहाने का आनंद लें नहाते समय अतीत या भविष्य की बातों पर न सोचें। पानी का शरीर पर एहसास, साबुन की खुशबू, भाप, झाग आदि हर चीज पर ध्यान दें। नहाने के समय को खुद पर ध्यान देने का समय बनाएं।

8. डायरी लिखें: मन में जो भी विचार आ रहे हैं, उन्हें उसी तरह कागज पर लिख दें। डायरी लिखने से विचारों की रफ्तार थोड़ी धीमी करने, उन्हें पहचानने और परेशान करने वाले विचारों से कुछ दूरी बनाने में मदद मिल सकती है।

ध्यान रखें: ये छोटे-छोटे तरीके दिमाग को भटकने से रोकते हैं और हमें खुद से जुड़ने में मदद करते हैं। अगर किसी को लगातार तनाव या भावनात्मक परेशानी रहती है, तो योग्य विशेषज्ञ से सलाह लें।

आलस को अपनी आदत न बनाएं

अपने आलस को सही ठहराने के लिए हमारे पास कई बहाने होते हैं। उस समय काम से बच निकलना भले ही आसान लगे, लेकिन उसकी कीमत हमें बाद में चुकानी पड़ती है। जब काम टालना, शॉर्टकट अपनाना और कम प्रयास करना हमारी आदत का हिस्सा बनने लगे, तो हमें ठहरकर अपनी आदतों पर गौर करना चाहिए।

एक समय था, जब मेहनत को केवल कमाई का जरिया नहीं माना जाता था। समय पर पहुंचना, अपनी जिम्मेदारी निभाना, काम करने में गर्व महसूस करना और दूसरों की मदद करना अच्छे व्यवहार का हिस्सा था। बच्चों को भी अपने काम करना और घर के कामों में योगदान देना सिखाया जाता था।

आज जीवन और काम करने का तरीका बदल गया है। लोग बेहतर अवसरों के साथ काम में संतुष्टि, उद्देश्य और निजी जीवन के लिए समय भी चाहते हैं, लेकिन इसके नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से बचना ठीक नहीं।

आलस के कई रूप

आलस कई बार बहुत छोटी आदतों से शुरू होता है। जरूरी काम को बाद के लिए टाल देना, काम जल्दी निपटाने के लिए आसान रास्ते अपनाना, समय सीमा को गंभीरता से न लेना या दूसरों के काम शुरू करने का इंतजार करना आदि, धीरे-धीरे हमारी कार्यशैली का हिस्सा बन जाते हैं। समस्या तब बढ़ती है, जब हम इन आदतों को सही ठहराने लगते हैं। 'मुझे इसके लिए पैसे नहीं मिलते।' 'दूसरे भी तो इतना ही कर रहे हैं।' 'मैं क्यों ज्यादा मेहनत करूं?'

ऐसी सोच उस समय राहत दे सकती है, लेकिन लंबे समय में इसका असर हम पर ही पड़ता है। धीरे-धीरे यही हमारे काम का स्तर बन जाता है।

खुद से पूछें सवाल

जरूरत पड़ने पर मदद मांगना बिल्कुल स्वाभाविक है, पर जो काम हम खुद कर सकते हैं, उसे भी दूसरों पर छोड़ देना, हमारी आदत बन सकती है।
खुद से पूछें- 'क्या मुझे सचमुच मदद की जरूरत है या मैं सिर्फ मेहनत से बचना चाहता हूं?' इसी तरह खुद से पूछें, 'क्या मैं इस काम को थोड़ा और बेहतर कर सकता हूं?'
ऐसे छोटे-छोटे सवाल हमें अपनी आदतें समझने में मदद कर सकते हैं। अपने काम स्वयं करने से अपने फैसलों पर हमारा भरोसा बढ़ता है।

मेहनत का सही अर्थ समझें

काम और निजी जीवन के बीच संतुलन होना जरूरी है। हर समय काम करते रहना न तो संभव है और न ही जरूरी, लेकिन संतुलन का मतलब जिम्मेदारी से बचना भी नहीं है।

अगर किसी काम में हमें अपना समय देना ही है, तो उसे आधे-अधूरे मन से क्यों करें? जो जिम्मेदारी हमारे हिस्से में आई है, उसे अपनी क्षमता के अनुसार अच्छी तरह पूरा करना आत्मसम्मान के लिए भी महत्वपूर्ण है।

मेहनत का मतलब यह नहीं कि हम हर समय व्यस्त रहें। बस हम जो काम करें, उसे ईमानदारी और जिम्मेदारी से करें।

कई बार नौकरी कर रहे लोगों को लगता है कि ज्यादा मेहनत का फायदा उन्हें नहीं किसी और को मिलेगा। ऐसा नहीं है, इसका असर हमारे अपने व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। जब हम किसी काम को जिम्मेदारी से पूरा करते हैं, तो अपने ऊपर भरोसा बढ़ता है। इसके उलट, हर बार काम टालने और कम प्रयास करने पर, धीरे-धीरे हर काम बोझ बन जाता है। खुद पर हमारा भरोसा कम होने लगता है।

अपना मानक खुद तय करें

हर दिन असाधारण मेहनत करना संभव नहीं है। कभी थकान भी होगी और काम टालने का भी मन होगा, पर हर बार आलस के आगे झुकना नहीं चाहिए। जरूरी काम समय पर शुरू करें। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटें। जहां थोड़े अतिरिक्त प्रयास से काम बेहतर हो सकता है, वहां जरूर कोशिश करें। अपना मानक इसलिए कम न करें कि आसपास के लोग कम मेहनत कर रहे हैं। आलस तुरंत आराम देता है, पर मेहनत से मिलने वाला आत्मविश्वास लंबे समय तक साथ रहता है।

franksonnenbergonline.com

एकदा — सूखा कुआं

गांव के किनारे एक किसान का खेत था। खेत के बीचोबीच एक पुराना कुआं था। उसी से उसकी फसलों की सिंचाई होती थी। एक बार गर्मी में कुआं सूख गया। किसान ने कुएं में झांका। वहां सिर्फ मिट्टी दिखाई दे रही थी। पड़ोसी बोले, 'अब तुम कोई दूसरा खेत ढूंढ़ लो।'

किसान ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कुएं के आसपास की जमीन को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने देखा कि बारिश का पानी पास की पहाड़ी से बहकर गांव के बाहर चला जाता है। उसने एक योजना बनाई।

अगले दिन से उसने छोटी-छोटी नालियां खोदनी शुरू कर दीं। काम कठिन था। लोग हंसते भी थे- 'सूखे कुएं में पानी लाने चला है!' किसान चुपचाप काम करता रहा। कुछ दिनों बाद बारिश हुई। पहाड़ी से बहता पानी उन्हीं नालियों से होकर कुएं के पास की जमीन तक पहुंचने लगा। पहली बारिश में कुआं नहीं भरा। किसान ने नालियां और गहरी कर दी। कुछ महीनों बाद कुएं के तल में पानी दिखाई देने लगा। किसान का बेटा खुशी से बोला, 'आपने सूखे कुएं को फिर से जिंदा कर दिया!

किसान बोला, 'कुआं सूखा था, रास्ता नहीं। मुझे पानी पैदा नहीं करना था, बस उसका रास्ता खोजना था।' बेटा समझ गया कि हर बंद रास्ता अंत नहीं होता। कई बार समस्या को बदलने के बजाय समाधान तक पहुंचने का अपना तरीका बदलना पड़ता है।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कारोबार में वृद्धि होगी। संगीत व वस्त्रों के प्रति रुझान बढ़ सकता है। लाभ बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

वृष : संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। लेखनादि कार्यों में सम्मान की प्राप्ति होगी। आय में वृद्धि होगी। कारोबार के लिए यात्रा से लाभ के अवसर भी मिलेंगे।

मिथुन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। पढ़ाई के कार्यों में सफल रहेंगे। कारोबार में वृद्धि होगी।

कर्क : आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मन में उतार-चढ़ाव रहेगा। पिता की सेहत में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। पढ़ाई के कार्यों में सफल रहेंगे।

सिंह : मन परेशान हो सकता है। बातचीत में संतुलित रहें। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ में वृद्धि भी होगी। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। रहन-सहन कष्टमय रहेगा।

कन्या : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। कारोबार का विस्तार होगा। परिवार व मित्रों का साथ मिलेगा। लेखन के कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।

तुला : आत्मविश्वास भरपूर तो रहेगा, परंतु धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय बढ़ेगी।

वृश्चिक : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय बढ़ेगी।

धनु : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। कारोबार में वृद्धि होगी, परंतु काम के लिए किसी दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ सकता है। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे।

मकर : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। किसी रुके धन की प्राप्ति हो सकती है।

कुंभ : मन परेशान रहेगा। संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। धार्मिक संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है।

मीन : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। पढ़ाई के कार्यों में सफल रहेंगे। मान-सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

05 अक्तूबर, सोमवार, **शक संवत्** : 13 आश्विन (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 19 आश्विन मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम**: 23 रबि-उल्सानी, 1448, **विक्रमी संवत्** : आश्विन कृष्ण दशमी तिथि रात्रि 02.08 मिनट तक पुष्य रात्रि 11. 10 बजे तक पश्चात आश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि। **सूर्य दक्षिणायन**। सूर्य दक्षिण गोल। प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। भद्रा अपराह्न 03.01 बजे से रात्रि 02.08 बजे तक। दशमी का श्राद्ध। गण्डमूल रात्रि 11.10 मिनट से।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

घर में वास्तु संबंधी गलतियों को समझने का तरीका :

- यदि धन या नकद आगमन से जुड़ी समस्या है, तो फिर अग्निकोण में पानी या गड्ढा है। अगर अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगा है, तो दक्षिण पश्चिम में गड्ढा या शौचालय है। परिवार के सदस्यों के मन या दिमाग में बहुत तनाव है, तो ईशान कोण में रसोई या स्टोर है।
- अगर दोस्त या रिश्तेदार मुंह फेरने लगे हैं, तो उत्तर पश्चिम ढाल या फिर सबसे ज्यादा ऊंचाई है। सरकार संबंधी समस्या है, तो पूर्व दिशा में टॉयलेट बना हुआ है। अगर नए ग्राहक मिलने में समस्या हो रही है, तो उत्तर दिशा में अंधेरा रहता है।

वर्ग पहेली : 8472

1	2		3		■	4	■	5
■		■		■	6			
7		8		9	■		■	
	■		■		■	■	10	
	■	11				12	■	
13		■	■		■		■	
	■	14	■	15	16		17	
18				■		■		■
	■		■	19				

बाएं से दाएं
1. नियम रहित; अव्यवस्थित; अनिश्चित (5)
6. कार्यारंभ की पहली अवस्था; किसी कार्य को आरंभ करने के पहले का आयोजन; प्रथमारंभ; तैयारी (4)
7. आशा के अनुकूल; आशानुरूप; आशाप्रद; (5)
10. आच्छादन; आवरण; बड़ी छतरी (2)
11. परिपक्व होना; बड़ा होना; बुद्धिमान होना; (3,2)
13. करतब दिखाने वाली एक जाति; नर्तक (2)
15. पूरे जोर के साथ कुछ करने के लिए कहना; वास्ता देना; सौगंध देना (3,2)
18. एक फल; मकोय; रस से भरपूर (4)
19. श्रद्धापूर्वक धन देना (2,3)

ऊपर से नीचे
2. आशा का अभाव; नाउम्मीदी (3)
3. गोष्ठी; संगम; संयोग; भाव; भेंट; मिलाप; (3)
4. पट; वस्त्र; परिधान (3)
5. अनुबंध करना; मेल-मिलाप करना (4,3)
7. हिसाब लगाना; संभावित व्यय का पहले से ही अनुमान लगाना (4,3)
8. राजा की सवारी; जनयात्रा; प्रदर्शन; विरोधस्वरूप पंक्तिबद्ध चल रहे लोग (3)
9. कल्पना का लोक; कल्पित संसार; (5)
12. असफल; विफल (3)
14. ऐश्वर्य; धन-संपत्ति; समृद्धि (3)
16. आदर; इज्जत; गौरव; प्रतिष्ठा; मान; श्रद्धा (3)
17. पति का छोटा भाई (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8471

■	1 का	2 म	धा	3 म	■	4 क	ठि	5 न
6 प	र	त	■	हा	■	न	■	र
■	से	■	7 अ	न	र्थ	क	र	ना
8 न	व	9 म	■	ता	■	ना	■	री
■	10 क	न	क	■	11 म	ह	12 ल	■
13 द	■	में	■	14 ली	■	15 ट	प	का
16 म	न	ब	ह	ला	ना	■	क	■
ख	■	स	■	ध	■	17 ह	वा	ई
18 म	ल	ना	■	19 र	ट	वा	ना	■

सुडोकू : 8426

*मध्यम

6	5				1			
4					2	3		
	8		9		3			
9								
7	3	8		5		2	6	1
								4
			3		6		5	
		1	8					3
			1				9	2

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8425

1	7	8	9	6	3	4	5	2
6	9	4	2	7	5	3	1	8
5	2	3	8	4	1	9	7	6
4	1	6	7	3	9	8	2	5
2	8	7	5	1	4	6	9	3
9	3	5	6	8	2	7	4	1
3	4	9	1	5	6	2	8	7
7	5	2	3	9	8	1	6	4
8	6	1	4	2	7	5	3	9

चिंतन

एआई की दुनिया में सतर्कता और जवाबदेही बेहद जरूरी

एआई ने दुनिया को काम करने की अभूतपूर्व गति दी है, लेकिन यही गति अब साइबर अपराध की दुनिया को भी मिल रही है। जिस काम को करने में कभी हमलावरों को कई दिन लगते थे, एआई की मदद से सिस्टम की कमजोरियां तलाशने, जानकारी जुटाने और हमले को अंजाम देने में बेहद कम समय लग रहा है। ऐसे में एआई को केवल तकनीकी सुविधा मानकर आगे बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है। एआई की दुनिया के विस्तार के साथ सतर्कता और जवाबदेही को भी उतनी ही तेजी से मजबूत करना होगा। तभी इसके फायदे सही मायने में सामने आ पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट की डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट 2026 के आंकड़े खतरे की गंभीरता बताते हैं। भारत दुनिया के शीर्ष 7 साइबर प्रभावित देशों में शामिल है और दुनिया भर में ट्रैक किए गए साइबर खतरों में भारत की हिस्सेदारी 2.5 प्रतिशत रही है। सबसे चिंताजनक बात रैनसमवेयर हमलों में 5 गुना बढ़ोतरी है। यानी अपराधियों के लिए डिजिटल माध्यम केवल धोखाधड़ी का जरिया नहीं रह गया, बल्कि संस्थानों और महत्वपूर्ण ढांचे को बंधक बनाने का हथियार भी बनता जा रहा है। साइबर अपराधियों ने हमले के तरीके भी बदल दिए हैं। अब केवल संदिग्ध ईमेल या लिंक से सावधान रहने की जरूरत नहीं है। ईमेल अथवा पीडीएफ में भेजे गए क्यूआर कोड के जरिए फिशिंग कराई जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक साल में ऐसे 14.5 करोड़ क्यूआर फिशिंग हमले पकड़े हैं। फर्जी कैप्चा के जरिए यूजर से कमांड कॉपी-पेस्ट करवाकर सिस्टम में सेंध लगाने का तरीका भी तेजी से बढ़ा है। करीब 11 लाख डिवाइस पर ऐसी गतिविधि देखने को मिली हैं। वहीं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर वॉइस फिशिंग में एक साल में 502 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अपराधी अब तकनीक के साथ-साथ विश्वास को भी निशाना बना रहे हैं। बॉस, एचआर, पेरोल टीम, वेंडर या कारोबारी साझेदार की पहचान की नकल कर कर्मचारियों को जाल में फंसाया जा रहा है। अप्रैल से जून 2026 के दौरान रिपोर्ट किए गए 85 प्रतिशत फिशिंग ईमेल में किसी व्यक्ति या संस्था की पहचान की नकल किए जाने की बात सामने आई। इसका मतलब है कि साइबर सुरक्षा अब केवल तकनीकी विभाग की जिम्मेदारी नहीं रह गई। हर कर्मचारी और हर डिजिटल उपयोगकर्ता इसकी पहली सुरक्षा पंक्ति है। दूसरी ओर, एआई एजेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि दो साल में एआई एजेंट की संख्या 130 करोड़ तक पहुंच सकती है। ये एजेंट ईमेल, कैलेंडर, सिस्टम अपडेट और डेटा एक्सेस जैसे काम कर सकेंगे। यही सुविधा यदि पर्याप्त सुरक्षा के बिना दी गई तो एक एआई एजेंट पर हमला उसके जरिए जुड़े कई सिस्टम और संवेदनशील डेटा तक पहुंच का रास्ता खोल सकता है। इसलिए चुनौती एआई के इस्तेमाल को रोकने की नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदार और सुरक्षित बनाने की है। सरकारों को महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचे की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र मजबूत करना होगा। कंपनियों को एआई एजेंट को अधिकार देने से पहले उनकी निगरानी, सीमाएं और जवाबदेही तय करनी होगी। कर्मचारियों और आम लोगों को फर्जी कैप्चा, क्यूआर कोड, आवाज की नकल और पहचान आधारित धोखाधड़ी के नए तरीकों के प्रति जागरूक करना होगा। डिजिटल दुनिया में सुविधा की रफ्तार जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी यह सुनिश्चित करना है कि तकनीक की यह रफ्तार अपराधियों के हाथों की ताकत न बन जाए।

क्यों है चुनाव आयोग संदेह के घेरे में

मुद्दा
अम्बरीष प्रजापति

> बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बिना सुनवाई के नाम काटने तथा फार्म -8 के स्वत: खारिज होने पर चुनाव आयोग को लगाई गई कड़ी फटकार और प्रशासनिक नियमों की दी गई दलीलें, एक बार फिर इस बहस को केंद्र में ले आई है कि लोकतांत्रिक ढांचे में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली कितनी निष्पक्ष और पारदर्शी है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों के बाद से ही विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन दो चुनाव आयुक्तों द्वारा आपत्तियों के मीडिया में खुलासे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार निशाने पर हैं। निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के फैसलों पर ही चुनाव आयोग की साख टिकी है।

हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बिना सुनवाई के नाम काटने तथा फार्म -8 के स्वतः खारिज होने पर चुनाव आयोग को लगाई गई कड़ी फटकार और प्रशासनिक नियमों की दी गई दलीलें, एक बार फिर इस बहस को केंद्र में ले आई है कि लोकतांत्रिक ढांचे में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली कितनी निष्पक्ष और पारदर्शी है। अदालत की यह टिप्पणी कि देश कानून से चलेगा, न कि सॉफ्टवेयर या मनमाने प्रशासनिक तौर-तरीकों से। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर उठने वाले सवालों को और गंभीर बना दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईआर के तहत विभिन्न कारणों से लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के मतदाता सूची से नाम काटे गए हैं। इनके नाम काटे जाने से चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों के घेरे में आ गया। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों के बाद से ही विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन दो चुनाव आयुक्तों द्वारा आपत्तियों के मीडिया में खुलासे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार निशाने पर हैं। ज्ञानेश कुमार द्वारा दोनों आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ बैठक कर और प्रेस रिलीज जारी कर 'आयोग में सब कुछ ठीक' होने का दावा करने की सफलता तो मिल गई, लेकिन आयोग द्वारा किए गए सुधारात्मक कदमों से उन आरोपों के सवालों एवं संदेह की पुष्टि भी हो गई। कांग्रेस पार्टी से लेकर पूरा विपक्ष व कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, एसआईआर से पहले की मतदाता सूची बहाल करने तथा बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर दिल्ली में इंडिया गठबंधन के बैनर तले लगभग 20 विपक्षी पार्टियों ने व्यापक स्तर पर आंदोलन किया। मुंबई के शिवाजी पार्क में सीजेपी ने आंदोलन किया और कांग्रेस ने कई राज्य में प्रदर्शन किया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग कर दी है।

इस समय भले ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा हो लेकिन चुनाव आयोग को लेकर स्वतंत्रता के बाद का इतिहास देखने पर साफ हो जाता है कि यह कोई पहली बार नहीं है जो चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा हो। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक देश में शायद ही कोई ऐसी सरकार रही हो जिसके कार्यकाल में मुख्य चुनाव आयुक्त पर पक्ष या विपक्ष की ओर से अंगुली न उठाई गई हो। विडंबना यह है कि राजनीति के इस अखाड़े में पाले बदलते ही नियम और नेताओं के सुर बदल जाते हैं। सत्ता में रहते हुए जो दल चुनाव आयोग को दुनिया का सबसे स्वायत्त और बेहतरीन बताता है, वहीं दल विपक्ष में बैठते ही चुनाव आयोग को सत्ताधारी दल की कठपुतली और लोकतंत्र का हत्यारा करार देने लगता है। ऐसा सिर्फ कोई एक दल नहीं करता, बल्कि कांग्रेस से लेकर बीजेपी और क्षेत्रीय दलों तक समान रूप से करते हैं। ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि क्या वाकई हर बार गलती चुनाव आयोग या आयुक्त की होती है? या फिर इसके पीछे राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां और कुंठाए हैं। इस संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य का गहराई से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग पर लगने वाले

आरोप असल में भारतीय राजनीतिक संस्कृति के उस अंतर्विरोध को उजागर करते हैं, जहां हार का ठीकरा हमेशा सिस्टम पर फोड़ा जाता रहा है। कोई भी राजनीतिक दल अपनी हार की समीक्षा करने की बजाय हार के कारणों को बाहरी संस्थाओं, चुनाव आयोग की मिलीभगत से जोड़ने में अधिक सहज महसूस करता है। जब कोई दल सत्ता में होता है तो वह प्रशासनिक मशीनरी, नौकरशाही और संवैधानिक संस्थाओं के साथ अपने तालमेल को अपनी राजनीतिक कुशलता का नाम देता है। वह हर उस फैसले को सही ठहराता है जो उसके अनुकूल होता है, लेकिन जैसे ही जनादेश उसके खिलाफ जाता है और वह विपक्ष की बेंच पर बैठता है, वहीं संस्था अचानक उसे पक्षपाती नजर आने लगती है। ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाना, एसआईआर पुनरीक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाना और केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ चुनाव आयोग की कथित मिलीभगत का दावा करना, यह सब विपक्ष का एक स्थापित और राजनीतिक हथियार बन चुका है। जब वही विपक्षी दल दोबारा सत्ता में लौटते हैं तो उनके तेवर व सुर बिल्कुल बदल जाते हैं और चुनाव आयोग की आलोचना करने वालों को लोकतंत्र का विरोधी बताने लगते हैं। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता और उसकी चयन प्रक्रिया को लेकर उठने वाले सवाल पूरी तरह निराधार भी नहीं है। हाल ही में अदालतों की सख्त टिप्पणियां इस बात का प्रमाण हैं कि कई बार चुनाव आयोग की प्रशासनिक, तकनीकी और सॉफ्टवेयर आधारित त्रुटियां जनता के संवैधानिक अधिकारों पर भारी पड़ने लगती हैं।

यह अकाट्य सच है कि कार्यपालिका और विधायिका के पास चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जो शक्तियां रही हैं, उसने भी कहीं न कहीं जनता के मन में यह संदेह पैदा किया है कि क्या नियुक्त होने वाला आयुक्त पूरी तरह निष्पक्ष रहकर काम कर रहा है? सुकुमार सेन से लेकर टी. एन. सेशन और आज के दौर के आयुक्तों तक, संस्था के भीतर कामकाज के तौर-तरीकों को लेकर हमेशा बहस होती रही है। टी.एन. सेशन को एक कड़क, सख्त और सुधारवादी आयुक्त के रूप में जाना जाता है। इनके कार्यकाल को यदि छोड़ दिया जाए, तो अधिकांश समय चुनाव आयोग पर यह दबाव स्पष्ट रूप से देखा गया है कि सत्ता के गलियारों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखे। आयोग की तरफ से जब जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा में तकनीकी खामियों का हवाला दिया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से चुनाव आयोग आशंकाओं के घेरे में आ जाता है लेकिन जनता को यह भी समझना होगा कि राजनीतिक दल अक्सर अपनी राजनीतिक विफलता को छिपाने के लिए चुनाव आयोग को एक आसान बलि का बकरा बनाते हैं।

चुनाव हारने के बाद अपनी रणनीतिक कमियों, जनविरोधी नीतियों और संगठन के भीतर की फूट को स्वीकार करने के बजाय, ईवीएम, वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों और आयोग के फैसलों को अपनी हार का एकमात्र कारण बता देते हैं। यह रवैया न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है, बल्कि मतदाताओं के उस विवेक का भी अपमान करता है जो सोच-समझकर अपना मत करता है। यदि चुनाव आयोग वास्तव में किसी एक दल की कठपुतली होता, तो भारत के इतिहास में राज्यों और केंद्र में सत्ता परिवर्तन के इतने बड़े अप्रत्याशित रिकॉर्ड कभी देखने को नहीं मिलते। निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के फैसलों पर आयोग की साख टिकी है। आयोग संवैधानिक अधिकार तथा जनविश्वास एक –दूसरे को मजबूत करें, न कि विपरीत दिशाओं में जाएं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

विचार

राजीव श्रीवास्तव

एशियन गेम्स 2026 में भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

हॉकी की दोहरी स्वर्णिम सफलता ने मन गर्व से भर दिया। आइची-नागोया एशियाई खेलों से भारत के लिए सबसे सुखद और ऐतिहासिक समाचार भारतीय हॉकी का दोहरा स्वर्ण है। पुरुष टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर अपना खिताब बरकरार रखा और महिला टीम ने चीन को 1-0 से हराकर 44 वर्ष बाद एशियाई खेलों का स्वर्ण हासिल किया। दोनों टीमों ने लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालीफाई भी किया। एक भारतीय खेल प्रशासक के रूप में मेरे लिए यह उपलब्धि विशेष संतोष का विषय है। मैंने खेल प्रशासन को बहुत करीब से देखा है और मेरा अनुभव है कि किसी टीम की सफलता केवल मैदान पर दिखाई देने वाले खिलाड़ियों की सफलता नहीं होती। उसके पीछे वर्षों की प्रतिभा पहचान, कोचिंग, फिटनेस, प्रशासनिक सहयोग, खेल विज्ञान और सबसे बढ़कर एक मजबूत टीम संस्कृति होती है। भारतीय हॉकी की यह सफलता उसी सामूहिक प्रयास का परिणाम है। पुरुष और महिला दोनों टीमों का एक ही एशियाई खेल में स्वर्ण जीतना भारतीय हॉकी के इतिहास का यादगार अध्याय है। विशेष रूप से महिला टीम का 44 वर्ष बाद स्वर्ण जीतना आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत की बेटियां किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं।

85 पदक-गर्व का विषय, लेकिन आत्मसंतोष का नहीं : भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। कुल पदकों की दृष्टि से यह हांगझोउ 2023 के 106 पदकों के बाद भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ एशियाई खेल प्रदर्शन है। मेरी दृष्टि में 85 पदकों को केवल हांगझोउ के 106 पदकों से तुलना करके कमतर आंकना उचित नहीं होगा। अलग-अलग एशियाई खेलों में स्पर्धाओं की संख्या, प्रतिस्पर्धा और परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन 22 पदकों की कमी और स्वर्ण पदकों का 28 से घटकर 21 होना एक गंभीर संकेत जरूर है। मैं इसे असफलता नहीं मानता, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। यही वह बिंदु है जहां उपलब्धि के साथ आत्ममंथन जरूरी हो जाता है। मेरी नजर में इस एशियाड की सबसे बड़ी सकारात्मक बात - पदकों का फैलाव : इस बार भारत ने हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती, निशानेबाजी, गोल्फ और एथलेटिक्स जैसे अनेक खेलों में अपनी ताकत दिखाई। महिला गोल्फ में प्रणवी उर्स का स्वर्ण, तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद का स्वर्ण और विभिन्न टीम खेलों की सफलता विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन मुझे सबसे अधिक आश्वस्त करता है। किसी भी देश की खेल शक्ति का वास्तविक आकलन केवल वर्तमान पदकों से नहीं, बल्कि इस बात से होता है कि उसके पास अगली पीढ़ी के कितने खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। कुमकुम जैसी युवा प्रतिभाएं मेरे लिए केवल आज का पदक नहीं हैं। वे 2032 और 2036 के भारत की संभावित ओलंपिक शक्ति का संकेत हैं।

हांगझोउ के 106 से 85 तक - सवाल कठिन है, लेकिन पूछना जरूरी है: हांगझोउ में भारत ने 106 पदक जीते थे और नागोया में 85। इस अंतर के कई कारण हो सकते हैं। हर संस्करण में खेलों और स्पर्धाओं की संरचना बदलती है, विभिन्न देशों की तैयारी अलग होती है और पदक की प्रतिस्पर्धा भी बदलती रहती है। फिर भी एक पूर्व खेल प्रशासक के रूप में मैं मानता हूं कि 22 पदकों का अंतर हमें कुछ कठिन सवाल पूछने के लिए बाध्य करता है। क्या हमारी पदक रणनीति अभी भी कुछ चुनिंदा खेलों पर बहुत अधिक निर्भर है? क्या हम अधिक पदक अवसर वाले खेलों में पर्याप्त निवेश कर रहे हैं? क्या जूनियर खिलाड़ियों को सीनियर स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिल रहा है? और क्या हमारे रजत तथा कांस्य पदकों को भविष्य में अधिक स्वर्ण में बदला जा सकता है? इन सवालों के जवाब किसी खिलाड़ी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए खोजे जाने चाहिए।

भारत और एशिया की शीर्ष शक्तियां- अब अंतर कम करना होगा : चीन 341, जापान 269 और दक्षिण कोरिया 150 पदकों के साथ भारत से आगे रहे, जबकि भारत 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। चौथा स्थान सम्मानजनक है, लेकिन मेरे विचार से भारत जैसे विशाल प्रतिभा आधार वाले देश के लिए यह अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। दक्षिण कोरिया से 65 पदकों का अंतर हमें बताता है कि केवल कुछ खेलों में मजबूत होना पर्याप्त नहीं है। हमें ऐसे खेलों में भी दीर्घकालीन निवेश करना होगा जिनमें पदकों की संख्या अधिक है- जैसे तैराकी, जिम्नास्टिक्स, साइक्लिंग, रोइंग, फेंसिंग और अन्य तकनीकी खेल। मेरी स्पष्ट राय है कि अब 'टॉप-4 में बने रहना' लक्ष्य नहीं होना चाहिए। टॉप-3 में स्थायी स्थान बनाना भारत का रणनीतिक लक्ष्य होना चाहिए।

मेरा व्यक्तिगत निष्कर्ष : मैं इस एशियाड के परिणाम को न तो असफलता मानता हूं और न ही अंतिम सफलता। मेरे लिए यह एक महत्वपूर्ण संक्रमण-बिंदु है। एक ओर 85 पदक और चौथा स्थान भारतीय खेलों की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। दूसरी ओर हांगझोउ के 106 से 85 तक आना और शीर्ष तीन एशियाई शक्तियों से हमारा अंतर यह बताता है कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। मुझे सबसे अधिक भरोसा हमारे खिलाड़ियों की क्षमता पर है। मेरी चिंता खिलाड़ियों की प्रतिभा को लेकर नहीं, बल्कि उस प्रतिभा के आसपास खड़ी व्यवस्था की निरंतरता को लेकर है। हमारे खिलाड़ियों को केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि 'और मेहनत करो'। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें बेहतर कोच, बेहतर प्रतियोगिता, बेहतर खेल-विज्ञान, बेहतर चिकित्सा सहायता, बेहतर मानसिक तैयारी और पारदर्शी खेल प्रशासन मिले। यदि हम यह कर सके, तो 85 पदकों को अगली बार 100 से आगे ले जाना असंभव लक्ष्य नहीं है। लेकिन मेरा बड़ा लक्ष्य केवल पदक संख्या नहीं है। मेरा लक्ष्य यह देखना है कि भारत ऐसी खेल व्यवस्था खड़ी करे जो हर एशियाड और हर ओलंपिक चक्र में नई प्रतिभाओं को तैयार करती रहे।

-लेखक पूर्व एवं प्रथम खेल आयुक्त, छत्तीसगढ़

पूर्वजों के प्रति आभार जताने के दिन

संकलित
दर्शन

श्राद्ध केवल एक अनुष्ठान नहीं है। यह पूरी श्रद्धा के साथ किया जाने वाला एक ऐसा कार्य है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में परिवार के मृत सदस्यों के योगदान को पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं। इसके अलावा उन्हें याद करते हुए कृतज्ञता की भावना व्यक्त करते हैं। ऐसा करने पर निश्चित रूप से कुछ ऐसे कंपन उत्पन्न होते हैं, जो इस भौतिक संसार के दायरे से परे चले जाते हैं और इस अर्थ में दिवंगत आत्मा तक पहुंचते हैं। यदि आप कृतज्ञता और श्रद्धा की भावना महसूस किए बिना केवल अनुष्ठान करते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। श्राद्ध हमारे उन पूर्वजों की याद में अच्छे कर्म करने का एक माध्यम है, जो अस्तित्व के इस भौतिक स्तर को पार कर चुके हैं। यह जीवित लोगों को याद कराता है, सब कुछ अनित्य है। हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, 'यत पिंडे तत ब्रह्माण्डे'- 'जो इस शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है।' कोई आत्मा अपने सांसारिक जगत से निकलती है, तो वह सार्वभौमिक चेतना में विलीन हो जाती है। यह एक निराकार और अगोचर क्षेत्र है। यह टीवी के विभिन्न चैनलों में ट्यूनिंग के कार्य के समान है। हम एक चैनल से संपर्क बनाते हैं, लेकिन उसी स्थान पर अन्य चैनलों की तरंगें भी मौजूद होती हैं, जिन्हें हम आवृत्ति बदलने पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार, हम अपने दिवंगत प्रियजनों की आत्मा की उपस्थिति को तब महसूस कर सकते हैं, जब हम उन्हें श्रद्धा के साथ याद करते हैं।

क्रोधी जीवनसाथी से रहें सावधान

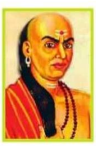

संकलित
प्रेरणा

आचार्य चाणक्य ने हमेशा क्रोध करने वाली पत्नी से दूरी की बात कही है। उनके समय की सामाजिक व्यवस्था आज से अलग थी, इसलिए इस सीख को केवल महिलाओं तक सीमित करके देखना जरूरी नहीं है। इसका व्यापक अर्थ ऐसे जीवनसाथी से जुड़ा है, जिसके व्यवहार में लगातार क्रोध, झगड़ा और कटुता बनी रहे। पति-पत्नी के रिश्ते में सम्मान और संवाद का होना जरूरी है। हर बात पर गुस्सा और विवाद घर के माहौल को प्रभावित करता है। इसलिए रिश्ते में समस्या आने पर बातचीत, समझ और सुधार की कोशिश जरूरी है। चाणक्य की यह सीख बताती है कि केवल रिश्ते का नाम बनाए रखना ही पर्याप्त नहीं, उसके भीतर स्नेह और सम्मान भी होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि रिश्ते सिर्फ नाम या खून के संबंध से नहीं निभते, उनमें अपनापन और स्नेह भी होना चाहिए। अगर कोई अपना ही व्यक्ति आपके सुख-दुख से कोई मतलब नहीं रखता और जरूरत के समय साथ खड़ा नहीं होता, तो ऐसे रिश्ते को केवल मजबूरी में ढोते रहने का कोई अर्थ नहीं है। लगातार उपेक्षा और स्वार्थ वाले संबंध मन को भीतर से परेशान करते हैं। ऐसे लोगों से हर समय उलझने के बजाय जरूरत के अनुसार, दूरी बनाना बेहतर है। चाणक्य की इस सीख का भाव रिश्ते तोड़ने से ज्यादा ऐसे संबंधों को पहचानने का है, जहां अपनापन खत्म हो चुका है और साथ केवल नाम भर का रह गया है।

अंतर्मन

आज की पाती

दशहरे पर आत्ममंथन की जरूरत

हर साल जब दशहरे की शाम को रावण के विशाल पुतले धू-धू कर जलते हैं, तो दर्शकों की आंखों में उत्सव का रोमांच दिखाई देता है। पटाखों की गड़गड़ाहट, आतिशबाजी की चमक और भीड़ का शोर इस पर्व को एक रंगीन उत्सव में बदल देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पूरे आयोजन का संदेश– बुराई पर अच्छाई की जीत– हमारे जीवन और समाज में कहीं उतर पाता है? आज दशहरा एक मनोरंजन का ट्रेंड बनकर रह गया है। लोग पुतले जलाते हैं, फोटो और वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। लेकिन यह सोचने का समय शायद ही निकालते हैं कि यह रावण दहन केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं, बल्कि हमें आत्ममंथन और सामाजिक सुधार का अवसर देने के लिए शुरू हुआ था।

संजय सिंह, रायपुर

ट्रेंड

अधिकारों की लड़ाई

देश भर में लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और अक्सर अकेले ही लड़ रहे हैं। जेन ज़ी, छात्र, किसान, आदिवासी, दलित, महिलाएँ-हर संघर्ष की अपनी कहानी है। लेकिन जो आवाज अकेले उठती है, वह अक्सर दबा दी जाती है।

- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

गठबंधन की जीत हो

जब नजर मंजिल पर टिकी हो, तो सफर आसान हो जाता है! अहम बात यह नहीं है कि गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हैं या कौन सी सीट किसे मिलती है, अहम बात यह है कि हम सब यह पक्का करें कि जीत गठबंधन की ही हो।

- अखिलेश यादव, सांसद, सपा

खिलाड़ियों का समर्थन

हमारे खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में मेडल टेबल पर चौथा स्थान हासिल किया। सभी को बधाई। हमें हर खेल में अपने खिलाड़ियों का समर्थन और हौसला बढ़ाना चाहिए। वे सच में इसके हकदार हैं।

-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

कानून का डर कम

पंजाब में न तो कानून का रुतबा बचा है और न ही अपराधियों में कानून का डर ! एक ही दिन में एक इन्फ्लुएंसर और एक पूर्व सरपंच की हत्या बेहद चिंताजनक है। दिन-दहाड़े होने वाले अपराध इस बात का संकेत हैं कि अपराधियों के मन से कानून का डर कम होता जा रहा है।

- सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

फेलोशिप पाने वाले पीएचडी के शोधार्थियों के लिए गाइडलाइन

दिल्ली के अंबेडकर विश्वविद्यालय ने फेलोशिप प्राप्त करने वाले पूर्णकालिक पीएचडी शोधार्थियों के लिए अपने दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। नए दिशानिर्देशों ने 31 जुलाई को जारी उस कार्यालय आदेश का स्थान लिया है, जिसके बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था।

विश्वविद्यालय की 31 जुलाई की अधिसूचना में फेलोशिप प्राप्त करने वाले पूर्णकालिक पीएचडी शोधार्थियों के लिए उपस्थिति संबंधी अनिवार्यता लागू की गई थी। इससे शोधार्थियों के बीच उनकी अकादमिक और शोध संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर चिंता पैदा हुई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब कहा है कि 31 जुलाई की अधिसूचना को 30 सितंबर को जारी संशोधित कार्यालय आदेश से बदल दिया गया है। नए आदेश में शोधार्थियों को अधिक लचीलापन दिया गया है, हालांकि, उन्हें पाठ्यक्रम और सेमिनार में उपस्थित रहना होगा तथा अकादमिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के साथ अपने शोध कार्य में प्रगति बनाए रखनी होगी। प्रशासन ने कहा कि उपस्थिति का रिकॉर्ड शोध पर्यवेक्षक और कार्यक्रम समन्वयक रखेंगे तथा संबंधित स्कूल के डीन इसकी पुष्टि करेंगे। शोध पर्यवेक्षक, डीन के समग्र मार्गदर्शन में, शोधार्थी की संतोषजनक अकादमिक भागीदारी और उसके शोध कार्य में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

ऑफ बीट

विनिमय दर को बचाव तंत्र के रूप में काम करने दे भारत

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के फैसले से वैश्विक वित्तीय स्थितियां सख्त होंगी। इसके साथ ही

उसने भारत को सुझाव दिया कि वह विनिमय दर को बचाव तंत्र के रूप में काम करने दे। आईएमएफ के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि ऐतिहासिक रूप से फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने पूंजी प्रवाह, वित्तपोषण की स्थितियों और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के जरिए उभरते बाजारों के लिए कुछ दबाव पैदा किया है। मुद्रास्फीति से निपटने के अपने प्रयासों के तहत फेडरल रिजर्व ने 17 सितंबर को जुलाई 2023 के बाद पहली बार ब्याज दरों में वृद्धि की और संकेत दिया कि आगे एक और बढ़ोतरी हो सकती है। प्रवक्ता ने कहा कि अन्य देशों की तरह भारत पर इसका प्रभाव सख्ती (दर वृद्धि) की गति और अवधि के साथ ही घरेलू आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करेगा। आईएमएफ प्रवक्ता ने कहा, हालांकि, भारत इस दौर में मजबूती की स्थिति के साथ प्रवेश कर रहा है। मजबूत वृद्धि की रफ्तार, एक भरोसेमंद मुद्रास्फीति-लक्षित ढांचा, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और कंपनियों तथा वित्तीय क्षेत्र के मजबूत बही-खातों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को बढ़ाया है।

कल्पमेधा

दार्शनिक होने का अर्थ यह है कि हम ज्ञान के ऐसे प्रेमी बन जाएं कि उसके इशारों पर चलते हुए विश्वास, सादगी, स्वतंत्रता और उदारता का जीवन व्यतीत करने लगें।

- थोरो

संकट का तापमान

दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप से उपजी समस्या ने अब मौसम को इस कदर प्रभावित करना शुरू कर दिया है कि आम जनजीवन से लेकर खेती-किसानी तथा पर्यावरण के अन्य क्षेत्रों पर भी उसके विपरीत असर दिखने शुरू हो गए हैं। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ओर से यह कहा गया कि अल नीनो का प्रभाव अब साफतौर पर देखा जा सकता है। आने वाले महीनों में इसके असर में और तीव्र बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। अगले वर्ष फरवरी तक इसके जारी रहने का अनुमान है। जहां तक भारत पर इसके असर का सवाल है, तो यहां पिछले महीने तक बरसात में 12.6 फीसद तक की गिरावट दर्ज की गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में वर्षा पर निर्भर खेती-किसानी और फसलों पर इस स्थिति का कैसा असर पड़ रहा होगा। यह बेवजह नहीं है कि देश के कृषि मंत्रालय ने 2026-27 के खाद्यान्न लक्ष्य को कम करके 373.93 मिलियन टन निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष के अनुमानित उत्पादन के मुकाबले 2.63 मिलियन टन कम है।

जाहिर है, अल नीनो और जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभावों के ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आने के बाद स्थितियां जटिल होती जा रही हैं। मौसम का चक्र बिगड़ता जा रहा है और स्वाभाविक रूप से इसका असर चौतरफा पड़ रहा है। अकेले महाराष्ट्र में सरकार को राज्य के दो सौ पैंसठ तालुका को सूखा घोषित करना पड़ा है। इसकी मुख्य वजह यह भी है कि पिछले कई वर्षों में इस बार मानसून बेहद कमजोर रहा। इसी वजह से खेतों में तकरीबन तैयार फसलें सूख गईं और किसानों को व्यापक नुकसान हुआ। नतीजतन, कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र ने भी राज्य को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। बीते अगस्त में बरसात में गिरावट की वजह से कर्नाटक को सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ा था। समूचे पूर्वोत्तर के राज्यों में पिछले सवा सौ वर्षों में इस साल सबसे सूखा मानसून रहा है। वहीं पंजाब और बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्यों में भी बारिश में भारी कमी दर्ज की गई।

एक समस्या यह भी है कि मौसम के बारे में जितने भी पूर्वानुमान सामने आते हैं, उनमें से कम ही उसके अनुरूप सही साबित होते हैं। खेती पर व्यापक असर और खाद्य-चक्र बिगड़ने से इतर भी मौसम की मार के बहुस्तरीय प्रभाव देखे जा रहे हैं। पर्यावरण संतुलन पर इसके विपरीत प्रभाव की वजह से न केवल मनुष्य के लिए कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, बल्कि वन्यजीवों के सामने भी अपने पर्यावास क्षेत्र को बचाने की मुश्किल पेश आ रही है। पेड़-पौधों के अस्तित्व पर इसका कैसा असर पड़ रहा है, यह समझना मुश्किल नहीं है। ठंड के महीनों की अवधि में जिस तरह की कमी दर्ज की जाने लगी है, वह एक अलग चिंता का विषय है। इसी तरह, हर वर्ष गर्मी के दिनों में सामान्य तापमान के बजाय लू की ही आशंका ज्यादा हावी रहती है। विडंबना यह है कि मौसम विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञ और पर्यावरणविदों की ओर से संकट के कारणों और स्थितियों का विश्लेषण तो सामने आता है, लेकिन इससे बचने के कारगर उपाय फिलहाल नजर नहीं आ रहे। दुनिया भर में मौसम के चक्र में जिस तरह की उथल-पुथल और अनियमितता देखी जा रही है, ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हालात का सामना करने की कोई सार्थक वैश्विक कार्ययोजना और उस पर अमल के लिए ईमानदार इच्छाशक्ति को लेकर ठोस पहल हो।

टकराव की भाषा

भारत विविधताओं का देश है और यहां अलग-अलग भाषाएं एवं संस्कृतियां क्षेत्रीय विशेषताओं तथा ऐतिहासिकता को रेखांकित करती हैं। भाषा के विभिन्न स्वरूप केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान, परंपरा और भावनाओं से भी जुड़े हुए हैं। मगर सवाल है कि क्या किसी एक भाषा के संरक्षण और विकास के लिए दूसरी भाषा का विरोध करना या किसी पूर्वाग्रह के आधार पर उसे उपयोगिता के तराजू में तौलना उचित है? तमिलनाडु में एक राजमार्ग के साइनबोर्ड पर शहरों के नाम तमिल और अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी लिखे जाने के कारण दो अधिकारियों को निलंबित कर देने की घटना ने देश की विविध भाषाओं की सर्वत्र स्वीकार्यता को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस को फिर तेज कर दिया है। कायदे से भाषाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के बजाय सह-अस्तित्व और परस्पर सम्मान की भावना होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि भाषा को लेकर मतभेद लोकमत से ज्यादा एक राजनीतिक औजार बन गया है।

यह सच है कि कुछ राज्यों में हिंदी को लेकर आशंकाएं रही हैं। विशेषकर दक्षिण भारत में हिंदी को अनिवार्य बनाने के विचारों का विरोध भाषाई पहचान और क्षेत्रीय स्वायत्तता से जुड़ा मसला हो सकता है और इन चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी भाषा को शिक्षा, रोजगार या प्रशासन में जबरन थोपने के बजाय क्षेत्र के लोगों की सहमति और सुविधा को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। मगर क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का अर्थ हिंदी का विरोध करना नहीं होना चाहिए। कोई एक भाषा किसी दूसरी भाषा के अस्तित्व के लिए खतरा कैसे हो सकती है! प्रत्येक भाषा अपने समाज की ऐतिहासिक स्मृतियों, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है। इसलिए किसी एक भाषा को दूसरी भाषा के मुकाबले खड़ा करना भाषाई सद्भाव को कमजोर करता है। ऐसे में तमिलनाडु की आधिकारिक दो-भाषा नीति पर भी सवाल खड़े होते हैं, जिसमें सिर्फ तमिल और अंग्रेजी को शामिल किया गया है। क्या यह नीति वहां रह रहे हिंदी भाषी लोगों के साथ भेदभाव नहीं करती है? देश की भाषाई एकता किसी एक भाषा के प्रभुत्व से नहीं, बल्कि सभी भाषाओं के सम्मान से ही मजबूत होगी।

आत्मनिर्भरता के लिए सहारे की दरकार

बाल देख-रेख संस्थाओं में पले-बढ़े युवाओं को बाहर की दुनिया में कई तरह की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें आत्मनिर्भर नागरिक बनाने की समग्र व्यवस्था जरूरी है।

ज्ञान चंद पाटनी

अठारह वर्ष की उम्र को बालपन से वयस्कता की ओर बढ़ने की दहलीज माना जाता है। मगर बालगृह या बाल देख-रेख संस्था में पले-बढ़े किसी युवा के लिए यह दहलीज अक्सर स्वायत्त जीवन की शुरुआत नहीं, बल्कि सहारे की डोर के अचानक टूट जाने से उपजी जटिलता होती है। जिस दिन वह अठारह वर्ष का होता है, उसी दिन उसके सिर से संस्थागत छत हट जाती है। रहने की जगह बदल जाती है, नियमित भोजन एवं दूसरी बुनियादी सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं और सामने ऐसी दुनिया खड़ी हो जाती है, जिसके तौर-तरीकों से वह पूरी तरह परिचित नहीं होता। उसके पास न तो परिवार का सहारा होता है, न कोई संपत्ति या स्थायी आमदनी होती है। कई बार उसके पास जरूरी पहचान के दस्तावेज तक नहीं होते। ऐसे में सिर्फ यह कह देना कि अब वह वयस्क है और अपना जीवन खुद संभाले, व्यवस्था का जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने जैसा है।

राजस्थान हाई कोर्ट के हालिया निर्देशों ने इसी अनदेखे संक्रमणकाल की ओर ध्यान खींचा है। अदालत ने बाल देख-रेख संस्थाओं से निकलने वाले युवाओं, जिन्हें आमतौर पर 'केयर लीवर्स' कहा जाता है, उनके पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था करने पर जोर दिया है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को सरकारी नौकरियों, सार्वजनिक रोजगार, अनुबंध कार्यों और शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे युवाओं के लिए एक फीसद आरक्षण की नीति बनाने और उसे अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। स्थायी नीति बनने तक आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट और सरकारी चयन प्रक्रियाओं में आवेदन तथा परीक्षा शुल्क से छूट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह पहल महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसका असली अर्थ तभी निकलेगा, जब आरक्षण के साथ उस तक पहुंचने की राह भी तैयार की जाए। जिस युवा के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साधन, डिजिटल सुविधा और सिर छिपाने की स्थायी जगह नहीं, उसके लिए आरक्षण कागज पर दर्ज एक अवसर भर रह सकता है।

अदालत ने ऐसे युवाओं के लिए छात्रवृत्ति कोष बनाने, उच्च शिक्षा के लिए कम से कम चार हजार और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छह हजार रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने तथा छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने जैसे निर्देश दिए हैं। इसका संदेश स्पष्ट है कि बाल संरक्षण की जिम्मेदारी अठारहवें जन्मदिन पर समाप्त नहीं हो सकती। युवाओं के सामने दस्तावेजों का संकट भी कम गंभीर नहीं है। आधार, पैन और बैंक खाते जैसे सामान्य दिखाई देने वाले दस्तावेज उनके लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार, सरकारी योजनाओं और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की पहली सीढ़ी हैं। मगर संस्था से बाहर निकलते समय यदि यही दस्तावेज उपलब्ध न हों, तो वयस्क जीवन की शुरुआत ही प्रशासनिक बाधाओं से होती है। अदालत ने संस्था छोड़ने से करीब छह महीने पहले, यानी साढ़े सत्रह वर्ष की उम्र से आवश्यक पहचान दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने और 'आफ्टरकेयर आइडी कार्ड' के बिना किसी युवा को संस्था से बाहर न भेजने जैसी व्यवस्था पर जोर दिया है। यह महज कागजी सुधार नहीं है, दरअसल पहचान का दस्तावेज स्वायत्त नागरिक जीवन में प्रवेश का पासपोर्ट है।

इसी क्रम में बालगृह से निकलने वाले प्रत्येक युवा का केंद्रीकृत डिजिटल

डेटाबेस तैयार करने का विचार भी उपयोगी है। संस्था से निकलने के बाद कोई युवा कहां है, पढ़ रहा है या काम कर रहा है, कौशल प्रशिक्षण ले रहा है या स्वरोजगार से जुड़ा है- इसकी जानकारी के बिना सरकारी योजनाओं की निगरानी और सहायता दोनों अधूरी रहेंगी। मगर इस कार्य में सावधानी और संवेदनशीलता

> **बाल देख-रेख संस्थाओं से बाहर निकलने वाले युवाओं के लिए अठारह वर्ष की उम्र आत्मनिर्भरता से ज्यादा असुरक्षा का दौर बन जाती है। परिवार, स्थायी आवास, आय और जरूरी दस्तावेजों के अभाव में उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच बनाने में कठिनाइयां आती हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देशों में इस संक्रमणकाल के लिए आरक्षण, छात्रवृत्ति, छात्रावास, पहचान-पत्र, वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। मगर केवल नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं, इन युवाओं को बैंकिंग, नौकरी, कानूनी अधिकार और वित्त प्रबंधन जैसे व्यावहारिक जीवन-कौशल भी सिखाने होंगे। उनकी रुचि और क्षमता के अनुरूप शिक्षा तथा स्वरोजगार के रास्ते खोलना जरूरी है।**

भी जरूरी है। यह ध्यान रखना होगा कि ऐसा डेटाबेस युवाओं की सहायता का माध्यम बने, उनकी निजता और गरिमा पर निगरानी का औजार नहीं। संस्था से बाहर निकलने से पहले युवाओं को जीवन की उन व्यावहारिक चुनौतियों के लिए तैयार करना जरूरी है, जिनका सामना परिवार के साथ रहने वाला बच्चा धीरे-धीरे सीखता है। बैंक खाता चलाना, डिजिटल भुगतान करना, किराए का मकान लेना, नौकरी के लिए आवेदन करना, साक्षात्कार देना, सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल करना, कानूनी अधिकार समझना और अपनी आय-व्यय का प्रबंधन करना- इन बातों का ज्ञान होना जीवन के लिए अनिवार्य है।

हर युवा का सपना एक जैसा नहीं होता। किसी की रुचि इंजीनियरिंग में हो सकती है, कोई नर्सिंग या पैरामेडिकल क्षेत्र में जाना चाहता हो, किसी को सूचना-प्रौद्योगिकी, होटल प्रबंधन, डिजाइन, कृषि या हस्तशिल्प में अपना भविष्य दिखाई दे सकता है। व्यवस्था का काम सबको एक ही रास्ते पर धकेलना नहीं, बल्कि उनकी रुचि, क्षमता और परिस्थितियों के अनुरूप रास्ते खोलना होना चाहिए। अदालत ने नवउद्यम, स्वरोजगार और आवास के लिए पांच लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता या ब्याज-मुक्त ऋण जैसी व्यवस्था करने की बात कही है। ऐसे हर युवा को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं और न ही हर कोई उच्च शिक्षा लेना चाहेगा। कोई छोटी दुकान खोल सकता है, कोई खाद्य व्यवसाय शुरू कर सकता है। किसी के लिए हस्तशिल्प आजीविका का साधन बन सकता है।

मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस व्यवस्था को केवल राजस्थान तक सीमित रखा जाना चाहिए? बाल देख-रेख संस्थाओं से बाहर आने वाले युवाओं की चुनौतियां राज्यों की सीमाओं से बड़ी हैं। शिक्षा, रोजगार, आवास, पहचान, सामाजिक सुरक्षा और अकेलेपन की समस्या लगभग हर जगह अलग-अलग रूपों में सामने आती है। इसलिए केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय ढांचे पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर 'पोर्टेबल आफ्टरकेयर' पहचान-पत्र, छात्रवृत्ति, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार के विशेष अवसर, आवास सहायता और डिजिटल सहायता तंत्र जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जा सकती हैं। प्रत्येक जिले में 'केयर लीवर्स सचिवालय' और राज्य स्तर पर निगरानी व्यवस्था तभी कारगर होगी, जब इसे किसी एक विभाग की जिम्मेदारी मानकर छोड़ न दिया जाए।

यह पहल सामाजिक कल्याण से कहीं आगे की है। परिवार और सुरक्षित सामाजिक परिवेश से वंचित युवा जब अकेला पड़ता है, तो शोषण और आपराधिक गतिविधियों के संजाल में फंसने का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए समय पर शिक्षा, रोजगार, आवास और सामाजिक सहारा उपलब्ध कराना सुरक्षा और अपराध की रोकथाम का भी उपाय है। एक युवा को आत्मनिर्भर बनने में मदद करना उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब असली परीक्षा निर्देश की नहीं, उसे जमीन पर उतारने की है। न्यायालय दिशा दिखा सकता है, लेकिन स्थायी व्यवस्था सरकारों को ही बनानी होगी।

बालगृह से निकलने वाले किसी युवा को हमेशा सहायता पाने वाले व्यक्ति के रूप में देखना भी उचित नहीं होगा। असली उद्देश्य उसे सहायता का स्थायी उपभोक्ता बनाना नहीं, आत्मनिर्भर नागरिक बनाना है। जिसने बचपन में परिवार का सहारा खोया, उसे वयस्क होते ही अकेला छोड़ देना न्यायपूर्ण नहीं है। उसे इतनी मजबूत जमीन देना जरूरी है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और फिर किसी और के लिए सहारा बन सके। आखिर किसी भी कल्याणकारी व्यवस्था की सबसे बड़ी सफलता यही होनी चाहिए कि उसका सहारा लेकर नागरिक एक दिन बिना सहारे के खड़ा हो सके।

जिजीविषा का जीवन

पल्लवी 'पल्लव'

आजकल सबके लिए जीवन में समय की कमी एक सामान्य अनुभव बन गया है। काम, परिवार, आर्थिक जरूरतों और डिजिटल माध्यमों की लगातार मौजूदगी ने रोजमर्रा की जिंदगी को अधिक व्यस्त बना दिया है। ऐसे में सवाल यह नहीं कि हमारे पास समय कितना है, बल्कि यह है कि उस समय में हम खुद के लिए कितना वक्त निकाल पाते हैं। विकास और व्यस्तता जरूरी हो सकते हैं, लेकिन हर समय आगे बढ़ते रहना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। बचपन में खुशी के लिए किसी बड़ी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं होती। बारिश में भीगना, पेड़ की छांव में बैठना, दोस्तों के साथ खेलना या खुले आसमान को देखते रहना अपने आप में पर्याप्त था। उम्र बढ़ने के साथ पढ़ाई, रोजगार, परिवार और आर्थिक सुरक्षा जैसी जिम्मेदारियां स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता बन जाती हैं। यह बदलाव आवश्यक है, लेकिन इसके साथ जीवन के सहज आनंद का पूरी तरह समाप्त हो जाना जरूरी नहीं।

जीवन का अर्थ केवल उपलब्धियों और भौतिक सुविधाओं में तलाशना शायद उसके व्यापक अनुभव को सीमित कर देना है। परिवार के साथ बिताया गया समय, प्रकृति के बीच कुछ पल और पुराने मित्र से हुई सहज बातचीत भी जीवन का हिस्सा है। तकनीक ने काम और संवाद को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ काम और निजी जीवन की सीमाएं भी धुंधली हुई हैं। मोबाइल पर लगातार आने वाले संदेश और सूचनाएं व्यक्ति के अवकाश को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए कभी-कभी कुछ समय स्क्रीन से दूर रहना और अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है। कभी बारिश में कुछ देर भीगना, किसी पेड़ के नीचे बैठना, सुबह की धूप महसूस करना या बिना किसी विशेष कारण किसी पुराने मित्र को फोन करना छोटी बातें हैं। इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं, लेकिन ये व्यक्ति को अपनी दिनचर्या से बाहर निकलने और वर्तमान को महसूस करने का अवसर दे सकती हैं।

दुनिया मेरे आगे

> **जिम्मेदारियों की दौड़ में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि रास्ते में खड़े होकर मुस्कुराता हुआ अपना ही बचपन हमें दिखाई देना बंद हो जाए। शायद जीवन को बेहतर बनाने की शुरुआत किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, बल्कि इस छोटे-से निर्णय से हो सकती है- हर दिन थोड़ा-सा समय केवल जीने के लिए बचाकर रखना।**

जरूरत केवल इतनी है कि जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए भी थोड़ी जगह बची रहे। उम्र बढ़ने के साथ हमारे भीतर का बच्चा पूरी तरह समाप्त हो जाए, यह आवश्यक नहीं। जिज्ञासा, सहजता और छोटी चीजों में खुशी खोजने की क्षमता वयस्क जीवन में भी बनी रह सकती है। जिंदगी केवल यह हिसाब नहीं है कि हमने क्या हासिल किया। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि उस सफर में हमने कितना महसूस किया, कितना जिया और कितनी छोटी खुशियों को अपने पास ठहरने दिया।

आज जरूरी है कि जिम्मेदारियों की दौड़ में आगे बढ़ा जाए, लेकिन कभी-कभी ठहरना भी सीखना चाहिए। यानी जिज्ञासा को बचाए रखना, छोटी चीजों में आनंद महसूस करना, प्रकृति के लिए समय निकालना, रिश्तों को केवल औपचारिकता न बनने देना और कभी-कभी बिना किसी उपलब्धि के भी खुश रह पाना। लगातार काम और तनाव से भरी दिनचर्या में विश्राम केवल आलस्य नहीं है। पर्याप्त नींद, अवकाश, सामाजिक संबंध और मनोरंजन व्यक्ति की सामान्य जीवन-शैली का हिस्सा है।

यहां एक सावधानी भी जरूरी है। छोटी खुशियों की बात करते हुए उन लोगों की वास्तविक परेशानियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनके सामने रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा या परिवार की गंभीर चुनौतियां हैं। हर व्यक्ति के पास समान संसाधन और समान परिस्थितियां नहीं होतीं। इसलिए 'खुश रहिए' कहना समस्याओं का समाधान नहीं है। अपनी परिस्थितियों के भीतर जितना संभव हो, उतनी जगह जीवन के सहज अनुभवों के लिए बचाई जाए। कभी घर की छत पर कुछ देर बैठना भी पर्याप्त हो सकता है। कभी परिवार के साथ बिना मोबाइल के भोजन करना। कभी किसी पुराने मित्र से बात करना। कभी सड़क किनारे चाय पीते हुए लोगों को देखना। कभी किसी पार्क में बैठकर पेड़ों की हरियाली को महसूस करना। ये बहुत साधारण काम हैं, लेकिन जीवन की स्मृतियां अक्सर इन्हीं साधारण पल से बनती है।

हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं। बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, करिअर के अगले पड़ाव के बारे में सोचते हैं, आर्थिक सुरक्षा के लिए बचत करते हैं। मगर भविष्य की तैयारी करते हुए वर्तमान को पूरी तरह खर्च कर देना भी समझदारी नहीं हो सकती। जीवन हमेशा हमारे तय किए हुए समय के अनुसार नहीं चलता। इसलिए जो समय हमारे पास है, उसका कुछ हिस्सा आज के लिए भी होना चाहिए।

जिम्मेदारियां निभाना, अपने सपनों के लिए मेहनत करना, आर्थिक सुरक्षा के लिए योजना बनाना, परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्व पूरे करना अच्छी बात है, लेकिन अपने भीतर की सहजता, संवेदनशीलता और आनंद की क्षमता को बचाना भी जरूरी है। कभी बारिश में भीगने, पेड़ों की छांव में कुछ देर ठहरने, सुबह के आकाश को बिना किसी उद्देश्य के निहारने, किसी बच्चे की तरह किसी छोटी चीज पर उत्साहित हो जाने और कभी-कभी बिना किसी वजह मुस्कुरा देने का सुख महसूस करना चाहिए। जीवन का मूल्य केवल इस बात से तय नहीं होता कि हमने कितनी मंजिलें हासिल की, यह भी मायने रखता है कि उन मंजिलों तक पहुंचते हुए हमने रास्ते को कितना महसूस किया।

जिम्मेदारियों की दौड़ में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि रास्ते में खड़े होकर मुस्कुराता हुआ अपना ही बचपन हमें दिखाई देना बंद हो जाए। शायद जीवन को बेहतर बनाने की शुरुआत किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, बल्कि इस छोटे-से निर्णय से हो सकती है- हर दिन थोड़ा-सा समय केवल जीने के लिए बचाकर रखना। जीवन को समझने का रास्ता हमेशा आगे जाने से नहीं, कभी पीछे मुड़कर भीतर के उस बच्चे को देखने से भी गुजरता है, जो अब भी छोटी-सी खुशी पर मुस्कुराना जानता है।

संवाद से समाधान

विद्यार्थियों द्वारा अपनी समस्याओं और चिंताओं को सामने रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है। शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से वे अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। मगर जब विरोध हिंसक रूप ले लेता है, तब उसका उद्देश्य पीछे छूट जाता है और स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। इससे न केवल विद्यार्थियों, बल्कि पुलिस, प्रशासन और आम नागरिकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। विशेषकर संवेदनशील मामलों में अफवाहों के आधार पर प्रतिक्रिया देना हालात को और बिगाड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में शैक्षणिक संस्थानों और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वे विद्यार्थियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनें और पारदर्शिता के साथ उनका समाधान करें। वहीं, विद्यार्थियों को भी कानून और सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करते हुए अपनी बात रखनी चाहिए। किसी भी विवाद का समाधान बल प्रयोग या टकराव से नहीं, बल्कि संवाद और आपसी विश्वास से संभव है। ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है, ताकि वास्तविक तथ्य सामने आएं और भविष्य में ऐसी स्थितियों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

- अंश दुबे, नई दिल्ली

वादे और जवाबदेही

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच जनता की समस्याओं और विकास के मुद्दों पर चर्चा होना स्वाभाविक है। मगर सवाल यह है कि जनप्रतिनिधियों को जनता की परेशानियां केवल चुनाव के समय ही क्यों याद आती हैं? प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बाढ़ और जलभराव ने सड़क, जल निकासी, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली उजागर की है। इन समस्याओं का समाधान केवल चुनावी आश्वासनों से नहीं, बल्कि सतत प्रयासों और ठोस कार्यों से ही संभव है। जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही केवल चुनाव के दौरान नहीं, बल्कि पूरे कार्यकाल में सुनिश्चित होनी चाहिए। जनता को भी उनसे उनके वादों के बजाय काम का हिसाब मांगना चाहिए। लोकतंत्र की सार्थकता तभी है, जब चुनावी घोषणाओं के साथ पिछले कार्यकाल के प्रदर्शन और जमीनी हकीकत की भी पड़ताल हो।

- सुमित चंद्र वर्मा, रामपुर, उप्र

नशामुक्त परिसर

विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच धूम्रपान की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है। कम उम्र में तंबाकू की लत न केवल उनके स्वास्थ्य, बल्कि उनके भविष्य के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती है। इसे रोकने के लिए केवल जागरूकता अभियान पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि प्रभावी निगरानी और परामर्श की भी आवश्यकता है। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय धूम्रपान की पहचान करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल की संभावना पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, ऐसी व्यवस्था लागू करते समय विद्यार्थियों की निजता, गरिमा और अधिकारों का ध्यान रखना भी जरूरी है। केवल पकड़े जाने का भय किसी बुरी आदत को स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर सकता। इसके लिए विद्यार्थियों को तंबाकू के दुष्परिणामों से अवगत कराने के साथ उचित परामर्श और अभिभावकों का सहयोग भी जरूरी है। शिक्षण संस्थानों का दायित्व केवल शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि स्वस्थ और नशामुक्त वातावरण तैयार करना भी है।

- अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

बदलती जनसांख्यिकी

देश में जनसंख्या नियंत्रण की चर्चा के बरक्स अब घटती प्रजनन दर एक नई चुनौती के रूप में उभर रही है। भारत में प्रजनन दर घटकर 1.9 बच्चे प्रति महिला रह जाना इस बदलाव का संकेत है। इसका असर भविष्य में कार्यशील आबादी, अर्थव्यवस्था और बुजुर्गों की देखभाल पर पड़ सकता है। घटती प्रजनन दर के कारण इस सदी के उत्तरार्ध में भारत की आबादी में बुजुर्गों का अनुपात बढ़ सकता है। पहले जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने पर जोर देने वाले राजनीतिक विमर्श में अब बदलती जनसांख्यिकी के अनुरूप नीतियों की जरूरत है। युवाओं पर बढ़ते आर्थिक दबाव और बच्चों के पालन-पोषण की लागत को भी इस बदलाव के कारणों के रूप में समझना होगा। ऐसे में जनसंख्या नीति का उद्देश्य केवल जन्मदर घटाना नहीं, बल्कि बदलती सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप संतुलित नीतियां बनाना होना चाहिए।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

बाजार में भारी उथल-पुथल, सतर्क रुख अपनाएं निवेशक

जनसत्ता कारोबाजार

लगातार विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली, कच्चे तेल के बढ़ते दाम, कमजोर होते रुपए और बढ़ती वैश्विक ब्याज दरों ने भारतीय शेयर बाजारों पर दबाव बनाया है। बंबई स्टाक एक्सचेंज और नेशनल स्टाक एक्सचेंज दोनों इस समय सुधार और भारी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहे हैं। बीएसई सूचकांक में पिछले एक सप्ताह में करीब 2.97 फीसद की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी 50 अपने उच्चतम स्तरों से लगभग 13.5 फीसद गिर गया है, जो कि पिछले 15 वर्षों में इसका सबसे खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। इसलिए इस उथल-पुथल की स्थिति में खुदरा निवेशकों को सुरक्षित, सतर्क और समझदारी भरा तरीका अपनाना चाहिए।

शेयर सूत्र

कंपनी की पृष्ठभूमि क्या है व कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन कैसा है? शेयर का मूल्य क्या है, कहीं शेयर अधिमूल्य या कम मूल्य के स्तर पर भी तो नहीं है। कुछ बुनियादी तरीकों में प्राइस टू अर्निंग रेशियो (पी/ई रेशियो), प्राइस टू सेल्स रेशियो शामिल होंगे, जो यह समझने में मदद करता है कि शेयर के बाजार मूल्य कंपनी के ग्रोथ ट्रेंड के अनुसार हैं या नहीं।

बाजार में जब गिरावट का दौर हो, तो एकमुश्त पैसा लगाने के बजाय एसआइपी का रास्ता चुनें। इस समय हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड या मजबूत कंपनियों में निवेश करने से आपको रुपया लागत को औसत करने का फायदा मिलेगा।

एसआइपी का रास्ता अपनाएं

बाजार में जब गिरावट का दौर हो, तो एकमुश्त पैसा लगाने के बजाय एसआइपी का रास्ता चुनें। इस समय हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड या मजबूत कंपनियों में निवेश करने से आपको रुपया लागत को औसत करने का फायदा मिलेगा। गिरते बाजार में कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी, जो भविष्य में बाजार सुधरने पर बड़ा मुनाफा देंगी।

लार्ज-कैप व ब्लूचिप शेयरों पर ध्यान दें

बाजार की इस गिरावट में मिड-कैप और स्माल-कैप शेयरों में बहुत तेज गिरावट देखने को मिलती है और विश्लेषकों के अनुसार इन्हें रिकवर होने में समय लग सकता है। इस समय अपनी पूंजी को लार्ज-कैप व ब्लूचिप कंपनियों में लगाएं, जिनके पास मजबूत बैलेंस शीट और स्थिर कमाई है। यह समय शेयर चुनाव करने वाले 'स्टाक पिकर्स मार्केट' का है, जहां कंपनियों के मूल्यांकन को देखकर ही पैसा लगाना सही है।

म्यूचुअल फंड व इंडेक्स फंड का सहारा लें

बाजार में हलचल अधिक हो और यदि आप व्यक्तिगत रूप से शेयर नहीं चुन पा रहे हैं, तो सीधे शेयर खरीदने के बजाय निफ्टी 50 या बीएसई 30 इंडेक्स फंड्स (ईटीएफ) में निवेश करें। यह सबसे सुरक्षित तरीका है क्योंकि इसमें बीएसई की शीर्ष 30 कंपनियों या निफ्टी की 50 कंपनियों में आपका पैसा आटोमेटिक रूप से डाइवर्सिफाई हो जाता है।

पोर्टफोलियो विविधीकरण

अनिश्चितता के आलम में अपना पूरा पैसा केवल शेयर बाजार में न लगाएं। बाजार के इस अनिश्चित दौर में सुरक्षा के लिए अपनी कुल निवेश राशि का एक हिस्सा सोना और नियत आय साधनों (जैसे डेट फंड या एफडी) में रखें। जब इक्विटी मार्केट गिरता है, तो अक्सर सोना अच्छा प्रदर्शन करता है, जिससे आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा मिलती है। हालांकि इस वक्त सोना की स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है। इसलिए निवेश पोर्टफोलियो का विविधीकरण करना चाहिए।

पैनिक बिक्री से बचें व नजरिया लंबा रखें

लंबे समय से भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत (जीडीपी) मजबूत हैं और 3 से 5 साल के लंबे नजरिए से बाजार में 12-15 फीसदी रिटर्न की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए डरकर घाटे में अपने अच्छे शेयरों को न बेचें। केवल उसी पैसे का निवेश करें जिसकी आपको अगले 3 से 5 सालों तक जरूरत नहीं है। डर कर या घबराकर शेयरों की बिक्री नहीं करें और लंबी अवधि का नजरिया रखें।

अभी निवेश से पहले ये समझें

कंपनी की पृष्ठभूमि क्या है व कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन कैसा है? शेयर का मूल्य क्या है, कहीं शेयर अधिमूल्य या कम मूल्य के स्तर पर भी तो नहीं है। कुछ बुनियादी तरीकों में प्राइस टू अर्निंग रेशियो (पी/ई रेशियो), प्राइस टू सेल्स रेशियो शामिल होंगे, जो यह समझने में मदद करता है कि शेयर के बाजार मूल्य कंपनी के ग्रोथ ट्रेंड के अनुसार हैं या नहीं। उद्योग परिदृश्य यानी मार्केट शेयर और उद्योग के समग्र प्रदर्शन के बारे में जानें, जो वे काम करते हैं। उद्योग को प्रभावित करने वाले नियामक, राजनीतिक कारकों की तलाश करें। प्रमोटर चेक करें यानी उन लोगों के बारे में पढ़ें जो कंपनी चला रहे हैं।

सफल तरीका ये

बाजार की खराब स्थिति में कम राशि का निवेश करना चाहिए। अगर नुकसान होता है, तो पूर्व की गई गलतियों का विश्लेषण करें। डायवर्सिफिकेशन लाएं। अपने सभी पैसे को एक ही जगह पर निवेश करने से बचे।

बाजार के माहौल को प्रभावित करते हैं शेयरों के थोक सौदे

जनसत्ता कारोबाजार

शेयर बाजार में निवेश के कई तरीके हैं। इनमें एक है ब्लाक डील यानी थोक सौदे। जब एक ही भुगतान में (ट्रांजैक्शन) में कम से कम 5 लाख शेयर या कम से कम 5 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं, तो इसे थोक सौदे कहते हैं। शेयरों के थोक सौदे (ब्लाक डील) में स्टाक एक्सचेंज की सेंट्रल आर्डर बुक को निष्पादित किए जाते हैं और दो पक्षों के बीच बातचीत की जाती है, आमतौर पर म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस फर्म जैसे संस्थागत निवेशक, ये सौदे करते हैं। वे शेयर बाजार की कीमत को प्रभावित किए बिना बड़ी राशि के शेयर खरीदने या बेचने के लिए ब्लाक डील का उपयोग करते हैं।

शेयर बाजार में निवेश के कई तरीके हैं। इनमें एक है ब्लाक डील यानी थोक सौदे। जब एक ही भुगतान में कम से कम 5 लाख शेयर या कम से कम 5 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं, तो इसे थोक सौदे कहते हैं। इस सौदे में खुदरा निवेशक भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये सौदे बाजार के ट्रेंड, निवेशक के भरोसे को प्रभावित करते हैं।

थोक सौदे स्टाक एक्सचेंज को रिपोर्ट की जाती है, जहां शेयर ट्रेड किए जाते हैं और किसी विशिष्ट निवेश उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निष्पादित किए जाते हैं, जैसे कि किसी विशेष शेयर या सेक्टर के बाजार को बढ़ाना या कम करना। इस सौदे में खुदरा निवेशक भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये सौदे बाजार के ट्रेंड, निवेशक के भरोसे को प्रभावित करते हैं। दरअसल, थोक सौदा दो पक्षों के बीच शेयरों का बड़ा लेनदेन है। इनमें उच्च मूल्य वाले शेयर शामिल होते हैं। ये सौदे विशेष समय आबंटन (स्पेशल टाइम स्लाट) के दौरान होती हैं, जिसे ब्लाक डील विंडोज कहा जाता है। लेनदेन के दौरान खरीदार और विक्रेता दोनों की कीमत और मात्रा मेल खानी चाहिए। अगर नहीं है, तो सौदा रद्द हो जाता हे। सौदा हो जाने के बाद स्टाक एक्सचेंज को तुरंत सूचित किया जाता है।

बाजार की बात

ट्रेडिंग के बारे में नियम

नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) और बांबे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) दोनों के पास ब्लाक डील ट्रेडिंग के संबंध में नियम और विनियम हैं। ब्लाक डील केवल फ्यूचर्स और आप्शन्स सेगमेंट के भाग वाली प्रतिभूतियों में निष्पादित की जा सकती है और कंपनियों का कम से कम 500 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हो। ब्लाक डील को बीएसई 500 इंडेक्स के भाग वाली प्रतिभूतियों में निष्पादित किया जा सकता है। थोक सौदे के लिए विंडो सुबह 8:45 बजे से सुबह 9:00 बजे तक सुबह 15 मिनट के लिए और दोपहर के ट्रेडिंग सत्र में 2:05 बजे से शाम 2:20 बजे तक 15 मिनट के लिए खुली रहती है। स्टाक एक्सचेंज में थोक सौदे में ट्रेडिंग नियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए जुर्माना भी होता है।

थोक व बहुतायत सौदे में अंतर

ब्लाक (थोक) और बल्क (बहुतायत) सौदे शेयर बाजार में दोनों प्रकार के बड़े ट्रेड हैं, लेकिन उनके बीच कुछ प्रमुख अंतर हैं। ब्लाक डील में बड़ी संख्या में शेयर या प्रतिभूतियां शामिल होते हैं, जो आमतौर पर कंपनी में बकाया कुल शेयरों की संख्या के 0.5 फीसद से अधिक होते हैं, जबकि बल्क डील एक ट्रेड है।

तैयारी

सूरत में नवरात्रि पर्व से पूर्व गरबा के लिए घड़े तैयार करती महिलाएं।

निवेश का नियम 72 क्या है

जनसत्ता कारोबाजार

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका निवेश कब दोगुना होगा, तो आप नियम 72 से जान सकते हैं। यह एक आसान वित्तीय नियम है। इसकी मदद से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी निवेश को दोगुना होने में कितने साल लग सकते हैं। इसके लिए 72 में अनुमानित सालाना रिटर्न से भाग देना होता है।

फार्मूला : पैसा दोगुना होने का अनुमानित समय = 72 रुसालाना रिटर्न (%)। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए निवेश किया और आपको सालाना 9 फीसद रिटर्न मिलता है। तो इस हिसाब से होगा: 72 रु9 = 8 साल। इस नियम की सबसे खास बात है कि इससे आपको रिटर्न और समय के बीच का संबंध समझ आता है। मसलन, अगर रिटर्न 12 फीसदी है तो 72 रु12 = 6 साल होगा। वहीं 6 फीसद रिटर्न पर: 72 रु6 = 12 साल। इसका मतलब है कि सामान्य तौर पर ज्यादा रिटर्न होने पर निवेश के दोगुना होने का अनुमानित समय कम हो जाता है।

नियम 72 सिर्फ निवेश का हिसाब समझने तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल महंगाई के असर को समझने के लिए भी किया जा सकता है। मान लीजिए महंगाई की दर लंबे समय तक 6 फीसद के आसपास रहती है। ऐसे में 72 को 6 से भाग देने पर करीब 12 साल आता है। इसका मतलब यह है कि समान दर बनी रहने की स्थिति में कीमतों का स्तर लगभग 12 साल में दोगुना हो सकता है।

जोखिमों के आकलन के लिए आलोचनात्मक सोच जरूरी

जनसत्ता कारोबाजार

निवेश संपत्ति बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है। छोटे-छोटे निवेश से बड़ी संपत्ति बनती है। बचत में से आपातकालीन फंड रख कर अगर निवेश शुरू किया जाय तो अच्छा कदम हो सकता है। हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं आएगा जो पैसों की बरसात कर देगा। आप अपनी बचत को विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश कर सकते हैं जो आपको भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है। हमारी अल्पकालिक आवश्यकताओं को हमारी बचत की मदद से पूरा किया जा सकता है, लेकिन हमारे दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, निवेश अनिवार्य है। यह केवल वित्तीय योजना के साथ ही संभव है।कोई भी निवेशक कुछ आसान चरणों को पूरा करने के बाद निवेश करना शुरू कर सकता है।

सबसे पहले व्यक्तिगत पहचान पत्र और निवास के पते का प्रमाण जरूरी है। शेयर दलाल, म्यूचुअल फंड या आरएम आदि जैसे मध्यस्थों से संपर्क करें। केवाईसी फार्म भरें और मांगे गए आवश्यक विवरण प्रस्तुत करें। ब्रोकर-क्लाइंट (बीसी) करार करें। डीमैट खाता खोलें और इसे बचत खाता से जोड़ें। जैसे ही ये चरण पूरे हो जाते हैं, एक निवेशक पूंजी बाजार में निवेश करना शुरू कर सकता है।

निवेश निश्चय

दो तरह के साधन

निवेश विकल्पों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक संपत्ति : इसमें जमीन जायदाद, कमोडिटी, सोना व चांदी के आभूषण के रूप में और यहां तक कि प्राचीन वस्तुएं शामिल हैं।

मनी मार्केट लघु अवधि निवेश विकल्पों का दायरा देता है। यह एक्सचेंज के बिल, व्यावसायिक बिल, ट्रेजरी बिल, डिपाजिट सर्टिफिकेट आदि जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है।

वित्तीय संपत्ति

इसमें बैंक एफडी, पोस्ट आफिस की छोटी बचत योजना, बचत बांड या यील्ड, भविष्य निधि कोष, पेंशन फंड, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट साधन शामिल हैं। मनी मार्केट लघु अवधि निवेश विकल्पों का दायरा देता है। यह एक्सचेंज के बिल, व्यावसायिक बिल, ट्रेजरी बिल, डिपाजिट सर्टिफिकेट आदि जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। इनमें अपेक्षाकृत कम जोखिम और अपेक्षाकृत कम रिटर्न होते हैं। हालांकि, ये सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट विकल्पों में से एक हैं, विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए जो सुरक्षित रहना चाहते हैं। कैपिटल मार्केट लंबी अवधि निवेश का विकल्प है। पूंजी बाजार के विभिन्न उपकरण कंपनियों (इक्विटी), म्यूचुअल फंड, एसआइपी निवेश, डेरिवेटिव बाजार, आइपीओ आदि हैं। मनी मार्केट के साधनों की तुलना में इनमें अधिक जोखिम और अधिक रिटर्न होते हैं। इसमें निवेश रणनीति बनाने में जोखिम लेने की क्षमता, निवेश का समय, अपेक्षित रिटर्न और निवेश की आवश्यकता आदि कारक अहम होते हैं।

निर्णय के लिए विकल्पों का आकलन करें

निवेश के सही निर्णय लेने से पहले आलोचनात्मक सोच (क्रिटिकल थिंकिंग) जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा कौशल है जिससे पूर्वधारणाओं के बजाय विकल्पों का आकलन किया जा सकता है, डेटा की जांच की जासकती है और तथ्यों व तर्कों पर आधारित निर्णय कर सकता है। वित्तीय निर्णय लेने में जोखिम का मूल्यांकन करना, बाजार की गतिशीलता को समझना, लांग टर्म प्रभावों को ध्यान में रखना और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना शामिल है। यह निवेशकों द्वारा तार्किक, अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।

भावना और तर्क के बीच अंतर

आकर्षक निर्णय, जैसे कि मंदी के दौरान पैनिक सेलिंग या पर्याप्त रिसर्च किए बिना अहम शेयर को आगे बढ़ाना, अक्सर भावना-संचालित निवेश का परिणाम होते हैं। इसके विपरीत, तर्क-आधारित निवेश डेटा विश्लेषण, ऐतिहासिक रुझान और निवेश की संभावनाओं का निष्पक्ष मूल्यांकन पर जोर देता है। बाजार अस्थिरता (जैसे मार्केट मूड, राजनीतिक विकास या आर्थिक घटनाएं) के अंतर्निहित कारणों की जांच करके, महत्वपूर्ण सोच निवेशकों को ऐसी स्थितियों को शांत और उद्देश्यपूर्ण रूप से निपटने में सक्षम बनाती है। अस्थिर अवधि के दौरान, निवेशक अपनी रणनीतियों का समावेश करते हैं और आवेग पर काम करने के बजाय डेटा और तार्किक तर्क का उपयोग करके अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेते हैं।

क्रिप्टो ठगी का शिकार बन रही शार्टकट अपनाने वाली जेन जी व अल्फा पीढ़ी

दिव्या तंवर

क्रिप्टोकरंसी ठगी का सबसे नया और खतरनाक तरीका फेक ट्रेडिंग एप्स और एआइ डीपफेक का इस्तेमाल है, जिसके जरिए साइबर ठग करोड़ों रुपए उड़ा रहे हैं। इसके सबसे अधिक शिकार क्रिप्टो में मुनाफे के लिए शार्टकट अपनाने वाली जेन जी व अल्फा पीढ़ी है।

एआइ डीपफेक और फेक मेनेट स्कैम में धोखेबाज एआइ का उपयोग करके एलन मस्क या बड़े क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स के हूबहू दिखने वाले नकली वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो यूट्यूब या टेलीग्राम पर लाइव स्ट्रीम किए जाते हैं, जिसमें किसी नए टोकन में पैसे डबल करने का दावा होता है।

घोटालेबाज एक साफ्टवेयर का उपयोग करके आपके असली वालेट एड्रेस से मिलता-जुलता (शुरुआत और आखिरी के कुछ अक्षर समान) एक नकली एड्रेस बनाते हैं।

क्रिप्टो करामात

एड्रेस पाइजनिंग पूरी तरह से यूजर की असावधानी और जल्दबाजी का फायदा उठाने वाली सबसे नई तकनीक है। क्रिप्टो वालेट के एड्रेस बहुत लंबे और जटिल होते हैं।

आजकल यह आम हो गया है। आसान पैसा। शार्टकट। नतीजा सोचने की फुर्सत किसी के पास नहीं। फोन की स्क्रीन हरी थी। लड़का हंस रहा था। बोला, 'इस बार असली मौका है।' तीन हफ्ते बाद वही लड़का फिर मैसेज कर रहा था। लिखा था, 'थोड़ी मदद चाहिए।' पढ़ाई की बात नहीं थी। काइन में डाले पैसे गायब थे। दो हफ्ते तक एप में नंबर बढ़ता रहा। तीसरे हफ्ते खोलते ही सब शून्य। पूछ रहा था, पुलिस में शिकायत से पैसा वापस आ जाएगा क्या। मैंने सीधा कह दिया। नहीं आएगा। यह अकेली कहानी नहीं है। कालेज के गेट पर, कोचिंग के बाहर, गांव के चौक पर भी यही चल रहा है। कोई फोन घुमाकर चार्ट दिखाता है। 'देख, कल डाला था, आज डबल।' सुनने वाला हंसता है, फिर धीमे से पूछता है, कौन सा है। लिंक मांग लेता है। घर जाकर पहले जेब खर्च से डालता है। फिर दोस्त से उधार। नई पीढ़ी को इंतजार रास नहीं आता। नौकरी में तीन साल, प्रमोशन में और दो। क्रिप्टो वाला कह रहा है, इस हफ्ते निकल जाएगा। वीडियो में लड़का छत पर खड़ा है, पीछे शहर की रोशनी, बोल रहा है नौकरी छोड़ दी। हारने वाला वीडियो नहीं डालता। इसलिए स्क्रीन पर सिर्फ वही दिखते हैं जिनका नंबर अभी ऊपर है। नीचे गिरे हुए कमरे में बैठे हैं, फोन साइलेंट करके। क्रिप्टो कोई फैक्ट्री नहीं। न दुकान, न माल। भाव इसी से हिलता है कि आज कितने खरीद रहे हैं और कितने बेच रहे हैं। खरीदने वाले कम पड़े, तो बेचने वाला बाहर नहीं निकल पाता। चार्ट लाल हो जाता है। ग्रुप में एडमिन लिख देता है, 'पैनिक मत करो, होल्ड करो।' होल्ड वही करता है जिसके पास और पैसे नहीं बचे।

नुकसान सिर्फ गिरने से नहीं होता। आधा तो ठगी में चला जाता है। टेलीग्राम पर सिग्नल आता है। एप में पैसा जमा दिखता है, निकालने का बटन मर जाता है। कोई कहता है वालेट जोड़ दो, सिर्फ बैलेंस देखना है। जोड़ते ही महीने भर की कमाई साफ। शब्द नए हैं। एयरड्राप, स्टेकिंग, अंदर की खबर। खेल पुराना है। जल्दी का लालच, और निकलने का रास्ता पतला। जो पैसा जाता है, अक्सर अपना नहीं होता। ट्यूशन का, शादी के लिए रखा, दवाई का।

लड़का उसे निवेश कहता है। घर वाले बचत समझे बैठे थे। खाता खाली हुआ, तो दोनों तरफ बात नहीं बनती। दोस्तों से कह देता है मार्केट खराब था। कुछ लोग पढ़कर, कम पैसे से, यह मानकर जाते हैं कि डूब भी सकता है। उनकी बात अलग है।

ज्यादातर युवा पढ़कर नहीं जाते। रील्स देखकर जाते हैं। और रील्स आधा सच भी नहीं बतातीं। शार्टकट दिखता है। नतीजा नहीं। आज ही एक काम करो। उस ग्रुप को म्यूट कर दो जहां हर सुबह दस गुना लिखा आता है। जो पैसा खोकर भी रात को नींद आ जाए, सिर्फ उतना ही इस खेल में ले जाओ। बाकी घर में रहने दो। और अगर कोई दोस्त अभी उसी जाल में फंस रहा हो, यह बात उसे आज ही सुना दो। कल उसका मैसेज भी वही होगा। थोड़ी मदद चाहिए। मदद तब काम नहीं करती।